Reg. No. NP CITY/236/2018-20.

सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ११, अंक ३८] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८-२४, २०२५/भाद्रपद २७-आश्विन २, शके १९४७ [ पृष्ठे १२१, किंमत : रुपये १०.००

**स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.**

## भाग एक–अमरावती विभागीय पुरवणी

**अनुक्रमणिका**


| | पृष्ठे |
|---|---|
| **भाग एक-शासकीय अधिसूचना :** नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार–अ, चार-ब व चार–क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. | नाही. |
| **संकीर्ण अधिसूचना :** नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. | १-१२१ |
| **भाग एक-अ.**—(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. | १-७ |


## शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

नाही.

## संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. २४५.

### जिल्हाधिकारी, यांजकडून

**भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना**

क्रमांक म.सहा-भूसंपादन-कावि-९२४-२०२५.—

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक म.सहा-भूसंपादन-कावि-८२-२०२४, दिनांक २४ मे, २०२४ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे; याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव, जि. यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

## अनुसूची-एक

## संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०२०-२०२१, गांव-मंगी, तालुका-राळेगांव, जिल्हा-यवतमाळ.

**डिंगडोह संग्राहक ल. पा. योजनेच्या बुडीत क्षेत्राचे**

| अ. क्र. | भूधारकांचे नांव | भूसंपादन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| | | | हे. आर |
| १ | कांताबाई पांडूरग परचाके | ९६/१ | १ ३० |
| २ | बाळकृष्ण नानाजी दातारकर | ९६/३ | ० २१ |
| ३ | पंकज मारोती पाझारे | ९७/१ब | ० ४५ |
| ४ | गुलाब जानराव कोंडेकर | ९३ | ० १६ |
| ५ | मुकेश माधव निखाडे | ८०/३ | १ ५२ |
| ६ | योगेश माधव निखाडे | ८०/२ | ० ७१ |
| ७ | दिलीप माधव निखाडे | ८०/४ | ० ९१ |
| | | एकूण . . | ५ २६ |

## अनुसूची-दोन

## सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव :- डिंगडोह संग्राहक ल. पा. योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरीता.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- डिंगडोह संग्राहक ल. पा. योजनेच्या बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरीता.

समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पाद्वारे नजिकचे शेतजमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून, लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी फायदा घेता येईल. त्यामुळे त्यांचे कृषि उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल.

## अनुसूची-तीन

## पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

**जमिनीचे वर्णन** :- डिंगडोह संग्राहक ल. पा. योजनेच्या बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरिता.

**गांव** :- मौजा मंगी, ता. राळेगांव, जिल्हा यवतमाळ.

| अ. क्र. | भूधारकांचे नांव | भूसंपादन किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| | | | हे. आर |
| १ | कांताबाई पांडूरग परचाके | ९६/१ | १ ३० |
| २ | बाळकृष्ण नानाजी दातारकर | ९६/३ | ० २१ |

**अनुसूची-तीन**-चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|---|---|---|---|
| | | | हे. आर |
| ३ | पंकज मारोती पाझारे | ९७/१ब | ० ४५ |
| ४ | गुलाब जानराव कोंडेकर | ९३ | ० १६ |
| ५ | मुकेश माधव निखाडे | ८०/३ | १ ५२ |
| ६ | योगेश माधव निखाडे | ८०/२ | ० ७१ |
| ७ | दिलीप माधव निखाडे | ८०/४ | ० ९१ |
| | | एकूण . . | ५ २६ |

**अनुसूची-चार**

**पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश**

–निरंक–

**टीप :-** उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगांव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

यवतमाळ :
दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२५.

**विकास मीना**,
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

---

भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. २४६.

## उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून

### भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३अन्वये कलम १९(१) खालील अधिसूचना

क्रमांक भू.सं.-क.ली.-कावि-१३७-२०२५.—

ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ९५०, दिनांक ३ ते ९ जुलै, २०२५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, याबाबतीत ६० दिवसाच्या आत कोणताही आक्षेप प्राप्त झालेला नाही. उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी

"पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी कैलास देवरे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा, जि. वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

## अनुसूची-एक

## भूमीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०२१-२०२२, गावाचे नाव :- उमरी खु., तालुका :- मानोरा, जिल्हा :- वाशिम.

| अ. क्र. | सर्व्हे नं./गट नं. | ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र | संपादित करावयाचे क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| | | हे. आर | हे. आर |
| १ | १४९ | १ ५२ | ० ०९ |
| | | एकूण . . | ० ०९ |

## अनुसूची-दोन

## सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव :- गोंडेगाव ल.पा. योजना, मौजे उमरी खु., ता. मानोरा, जि. वाशिम.

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील :- गोंडेगाव ल.पा. योजनेच्या डाव्या मुख्य कालव्यावरील लघुपाट क्र. ४ च्या अंत कालव्याकरीता लागणाऱ्या क्षेत्राकरीता भूसंपादन.

सामाजिक फायदे :- शेतकऱ्यांना शेती करण्याकरीता सिंचन सुखसुविधा होऊ शकते.

## अनुसूची-तीन

## बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे

विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती - निरंक -

## अनुसूची-चार

## सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट आहे.

## अनुसूची-पाच

## नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती

(१) ज्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्याचे पदनाम :- आवश्यकता नाही, सबब माहिती - निरंक -

(२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता :- —निरंक—

(३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील :- —निरंक —

**टीप** :- उक्त जमिनीचा /जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. २४७.

**भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील प्रारंभिक अधिसूचना**

क्रमांक भू.सं.-क.ली.-कावि-१३५-२०२५.—

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (e) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यानंतर यापुढे याला " सदरहू अधिसूचना " संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करतांना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम झेड (ए) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समूचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा " उक्त भूमि " असा उल्लेख करण्यात येईल.) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे ज्याचा " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा उल्लेख करण्यात येईल.) याबाबत जिल्हाधिकारी, वाशिम यांची समूचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम २ च्या पोट-कलम (१) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे, असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदरहु भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये नमूद केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे;

त्याअर्थी, आता, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवार कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही :

परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल.

परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अन्वये व भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियम " असा करण्यात येईल.) चे नियम १० उप-नियम (३) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समूचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम (जी) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहेत.

**अनुसूची-एक**

**भूमीचे वर्णन**

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२३-२०२४, गावाचे नाव :- रापेरी, तालुका :- कारंजा, जिल्हा :- वाशिम.

| अ. क्र. | सर्व्हे नं./गट नं. | ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र | संपादित करावयाचे क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| | | हे. आर | हे. आर |
| १ | ४१/२ | ० ८९ | ० २८ |
| २ | १७ पैकी | २ ८४ | ० ४४ |
| | | एकूण . . | ० ७२ |

**अनुसूची-दोन**

**सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| प्रकल्पाचे नांव | :- | रापेरी (सं) ल.पा. योजना, मौजे रापेरी, ता. कारंजा, जि. वाशिम. |
| प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील | :- | मौजे रापेरी, ता. कारंजा, जि. वाशिम येथील बुडीत क्षेत्राकरीता. |
| सामाजिक फायदे | :- | शेतकऱ्यांना पिण्याचे पाण्याच्या सोईसुविधा होऊ शकते. तसेच, जमिनीच्या जल साठ्यामध्ये पाण्याची पातळीत वाढ होते. सिंचन सुखसुविधा होऊ शकते. |

**अनुसूची-तीन**

**बाधित व्यक्तींचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे**

विस्थापनाची आवश्यकता नाही.

**अनुसूची-चार**

**सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा**

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार सदरचा प्रकल्प सिंचन स्वरुपाचा असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट आहे.

**अनुसूची-पाच**

**नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती**

| | | |
|---|---|---|
| (१) ज्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्याचे पदनाम | :- | आवश्यकता नाही. |
| (२) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता | :- | —निरंक— |
| (३) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे, त्याचा तपशील | :- | —निरंक — |

**टीप :-** उक्त जमिनीचा /जमिनींच्या योजनेचे (Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात करता येईल.

**कैलास देवरे,**

कारंजा लाड :
दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२५.

उपविभागीय अधिकारी तथा
भूसंपादन अधिकारी, कारंजा लाड.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २४८.

## जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, यांजकडून

**वाचा :-**(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सर्व्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-१ मौजा-गाडेगांव (५३२४६१) परिरक्षण प्रस्ताव-२०२५ वरुड, दिनांक २८ जुलै, २०२५ का. प्रा. दिनांक ३१ जुलै, २०२५, ई-ऑ. क्र. ३६२१४८७.

(४) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-१ मौजा-वाडेगांव (५३२४५७)-२०२५ वरुड, दिनांक २८ जुलै, २०२५ ई-३६२१४६५.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-१ मौजा-वडाळा (५३२४५८)-२०२५, वरुड, दिनांक २८ जुलै, २०२५ ई-३६२१४३६.

(६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-१ मौजा-पिंपळखुटा बु. (५३२३७६)-२०२५, वरुड, दिनांक २८ जुलै, २०२५ ई-३६२१५३७.

## अधिसूचना

क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३४-५२७७-२०२५.—

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषगांने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सर्व्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबत चे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड, यांचाकडील वाचा (३) ते (६) नुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक, जरुड यांचे साजा मध्ये १. मौजा-गाडेगांव (५३२४६१), २. मौजा-वाडेगांव (५३२४५७), ३. मौजा वडाळा (५३२४५८) ४. मौजा पिंपळखुटा बु., (५३२३७६) ही ४ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, जरुड यांचे साजा मध्ये १. मौजा-गाडेगांव (५३२४६१), २. मौजा-वाडेगांव (५३२४५७), ३. मौजा वडाळा (५३२४५८) ४. मौजा पिंपळखुटा बु., (५३२३७६) ही ४ गांवे नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन वरील नमूद गांव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.

## परिशिष्ट-ब

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, जरुड या साजा मधील समाविष्ट गावे व मिळकतीचा तपशील

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गांवे | | | परिरक्षणास नव्याने | | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | साजा | गांवे | मिळकती | गांवे | मिळकती | साजा | गांवे | मिळकती |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | अमरावती | वरुड | उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, वरुड | परिरक्षण भूमापक जरुड | १. जरुड | २०३९ | १. गाडेगांव | १५७ | परिरक्षण भूमापक जरुड | १. जरुड | २०३९ |
| | | | | | २. बेनोडा | ११४५ | २. वाडेगांव | १५४ | | २. बेनोडा | ११४५ |
| | | | | | ३. लोणी | १८३० | ३. वडाळा | ३१२ | | ३. लोणी | १८३० |
| | | | | | ४. मांगरुळी | ५४२ | पिंपळखुटा बु. | १६२ | | ४. मांगरुळी | १६४३ |
| | | | | | ५. राजुरा बाजार | १०८१ | | | | ५. राजुरा बाजार | १०८१ |
| | | | | | ६. टेंभूरखेडा | ७२६ | | | | ६. टेंभूरखेडा | ७२६ |
| | | | | | ७. जामगांव | ५८० | | | | ७. जामगांव | ५८० |
| | | | | | ८. करजगांव | ५७४ | | | | ८. करजगांव | ५७४ |
| | | | | | ९. पळसोना | ११२ | | | | ९. पळसोना | ११२ |
| | | | | | १०. नटाळा | ५१ | | | | १०. नटाळा | ५१ |
| | | | | | ११. नागझिरी | ७० | | | | ११. नागझिरी | ७० |
| | | | | | १२. मोंगोना | १६ | | | | १२. मोंगोना | १६ |
| | | | | | १३. धामणधस | ६१ | | | | १३. धामणधस | ६१ |
| | | | | | १४. मणिपूर | ३७ | | | | १४. मणिपूर | ३७ |
| | | | | | १५. भेमंडी | ४९ | | | | १५. भेमंडी | ४९ |
| | | | | | १६. झोलंबा | २११ | | | | १६. झोलंबा | २११ |
| | | | | | १७. बेलोरा | २१९ | | | | १७. बेलोरा | २१९ |
| | | | | | १८. पांढरघाटी | ७९ | | | | १८. पांढरघाटी | १७९ |
| | | | | | १९. झटामझरी | १२२ | | | | १९. झटामझरी | १२२ |

**परिशिष्ट-ब**—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | २०. पिंपळशेंडा | ४२ | | | | २०. पिंपळशेंडा | ४२ |
| | | | | | २१. डवरगांव | १०७ | | | | २१. डवरगांव | १०७ |
| | | | | | २२. नांदगांव | २३९ | | | | २२. नांदगांव | २३९ |
| | | | | | २३. वावरुळी | १०१ | | | | २३. वावरुळी | १०१ |
| | | | | | २४. टेंभणी | ५० | | | | २४. टेंभणी | ५० |
| | | | | | २५. अजित भापकी | १९९ | | | | २५. अजित भापकी | १९९ |
| | | | | | २६. बारगांव | ३७ | | | | २६. बारगांव | ३७ |
| | | | | | २७. आलोडा | २४९ | | | | २७. आलोडा | २४९ |
| | | | | | २८. काटी | १९९ | | | | २८. काटी | १९९ |
| | | | | | २९. अमडापुर | १९० | | | | २९. अमडापुर | १९० |
| | | | | | ३०. कुमदरा | ५१ | | | | ३०. कुमदरा | ५१ |
| | | | | | ३१. काचूर्णा | २१० | | | | ३१. काचूर्णा | २१० |
| | | | | | ३२. इसंबरी | २३३ | | | | ३२. इसंबरी | २३३ |
| | | | | | ३३. गोरेगांव | २९० | | | | ३३. गोरेगांव | २९० |
| | | | | | ३४. पळसवाडा | १९० | | | | ३४. पळसवाडा | १९० |
| | | | | | ३५. खडका | ३१० | | | | ३५. खडका | ३१० |
| | | | | | ३६. पेठ मांगरुळी | ३१० | | | | ३६. पेठ मांगरुळी | ३१० |
| | | | | | ३७. वघाड | ३६४ | | | | ३७. वघाड | ३६४ |
| | | | | | | | | | | ३८. गाडेगांव | १५७ |
| | | | | | | | | | | ३९. वाडेगांव | १५४ |
| | | | | | | | | | | ४०. वडाळा | ३१२ |
| | | | | | | | | | | ४१. पिंपळगांव बु. | १६२ |
| | | | एकूण . . | | ३७ गावे | १२,९१५ | ४ गांवे | ७८५ | | ४१ गांवे | १३,७०० |

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (३) ते (६) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा-गाडेगांव (५३२४६१), रु. १,२१,५३०.४५/- २. मौजा-वाडेगाव (५३२४५७), रु. ७४,७३९.२५/- ३. मौजा- वडाळा (५३२४५८), रु. १,७५,६८८.०५/- ४. मौजा- पिंपळखुटा बु., (५३२३७६), रु. ७६,१५२.९५/- या गावांची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

दिनांक १ ऑगस्ट, २०२५.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २४९.

**वाचा :-**(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेबुवारी, २०१९ .

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सर्व्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-परिरक्षण प्रस्ताव व घटकदर प्रस्ताव १. मौजा-ब्राम्हणवाडा (५३२३५२) मोर्शी, दिनांक ३१ जुलै, २०२५ ई-३६२९६६८ का. प्रा. दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

## अधिसूचना

क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३९-५४८१-२०२५.—

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेबुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन निर्णयाचे अनुषगांने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सर्व्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबत चे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी, यांचाकडील वाचा क्र. (३) अनुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक खानापुर, यांचे साजा मध्ये १. मौजा-ब्राम्हणवाडा (५३२३५२), हे १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक खानापुर, यांचे साजा मध्ये १. मौजा ब्राम्हणवाडा (५३२३५२), हे १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन वरील नमूद गांव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.

## परिशिष्ट-ब

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, मोर्शी मधील समाविष्ट गावे व मिळकतीचा तपशील

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे | | | परिरक्षणास नव्याने | | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | साजा | गांवे | मिळकती | गांवे | मिळकती | साजा | गांवे | मिळकती |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | अमरावती | मोर्शी | उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी | परिरक्षण भूमापक खानापुर | १. खानापुर | १२२३ | १. ब्राम्हणवाडा | १५८ | परिरक्षण भूमापक खानापुर | १. खानापुर | १२२३ |
| | | | | | २. अंबाडा | १४५३ | | | | २. अंबाडा | १४५३ |
| | | | | | ३. खेड | ८०८ | | | | ३. खेड | ८०८ |
| | | | | | ४. रिध्दपुर | १२१४ | | | | ४. रिध्दपुर | १२१४ |
| | | | | | ५. पाळा | ४९७ | | | | ५. पाळा | ४९७ |
| | | | | | ६. दापोरी | ५२२ | | | | ६. दापोरी | ५२२ |
| | | | | | ७. हिवरखेड | १४८३ | | | | ७. हिवरखेड | १४८३ |
| | | | | | ८. चिंचोली गवळी | ६४६ | | | | ८. चिचोली गवळी | ६४६ |
| | | | | | ९. उदखेड | ५२१ | | | | ९. उदखेड | ५२१ |
| | | | | | १०. ममदापुर | ६८५ | | | | १०. ममदापुर | ६८५ |
| | | | | | ११. रायपुर | ४९ | | | | ११. रायपुर | ४९ |
| | | | | | १२. भिवकुंडी | २४ | | | | १२. भिवकुंडी | २४ |
| | | | | | १३. मनीअर्थी | ७२ | | | | १३. मनीअर्थी | ७२ |
| | | | | | १४. गणेशपुर | ७६ | | | | १४. गणेशपुर | ७६ |
| | | | | | १५. बेलोना | ११८ | | | | १५. बेलोना | ११८ |
| | | | | | १६. घोडदेव खु. | ८० | | | | १६. घोडदेव खु. | ८० |
| | | | | | १७. दहसुर | ९३ | | | | १७. दहसुर | ९३ |
| | | | | | १८. धानोरा | ११० | | | | १८. धानोरा | ११० |

**परिशिष्ट-ब**—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | १९. पिंपरी | १५३ | | | | १९. पिंपरी | १५३ |
| | | | | | २०. सायवाडा | १५१ | | | | २०. सायवाडा | १५१ |
| | | | | | २१. तरोडा | १९२ | | | | २१. तरोडा | १९२ |
| | | | | | २२. वऱ्हा | २४२ | | | | २२. वऱ्हा | २४२ |
| | | | | | २३. आष्टगांव | २६४ | | | | २३. आष्टगांव | २६४ |
| | | | | | २४. मनिमपुर | १७३ | | | | २४. मनिमपुर | १७३ |
| | | | | | २५. सालबर्डी | ८७ | | | | २५. सालबर्डी | ८७ |
| | | | | | २६. उमरखेड | १५४ | | | | २६. उमरखेड | १५४ |
| | | | | | २७. भाईपुर | २८१ | | | | २७. भाईपुर | २८१ |
| | | | | | २८. डोंगर यावली | ३५६ | | | | २८. डोंगर यावली | ३५६ |
| | | | | | २९. विष्णोरा | ४३८ | | | | २९. विष्णोरा | ४३८ |
| | | | | | ३०. लाखारा तळणी | ७० | | | | ३०. लाखारा तळणी | ७० |
| | | | | | ३१. चिखलसावंगी | ४१५ | | | | ३१. चिखलसावंगी | ४१५ |
| | | | | | ३२. मायवाडी | १७६ | | | | ३२. मायवाडी | १७६ |
| | | | | | | | | | | ३३. ब्राम्हणवाडा | १५८ |
| | | | एकूण . . | | ३२ गावे | १२,८२६ | १ गाव | १५८ | | ३३ गावे | १२,९८४ |

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (३) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा-ब्राम्हणवाडा (५३२३५२), रु. ९०,१६६/- या गांवाची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५०.

**वाचा :-**(१) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेबुवारी, २०१९ .

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन-सर्व्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१.

(३) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी, जिल्हा अमरावती यांचेकडील परिनिरीक्षण प्रस्ताव क्र.-परिनिरीक्षण प्रस्ताव व घटकदर प्रस्ताव १. मौजा मंगरुळ (५३२३३७) मोर्शी, दिनांक ३१ जुलै, २०२५ ई-३६२९६७५ का. प्रा. दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

**अधिसूचना**

क्रमांक-शिर-गावठाण-अधिसूचना-परिरक्षण आदेश क्र. २३८-५४८६-२०२५.—

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.-संकीर्ण-२०१८-प्र. क्र. १३-मातंक, दिनांक २२ फेबुवारी, २०१९ अन्वये राज्यात गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर, शासन निर्णयाचे अनुषगांने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण ड्रोन सर्व्हे-प्र. क्र. ३९-२०२१, दिनांक २५ जानेवारी, २०२१ अन्वये परिपत्रकानुसार जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना प्राप्त प्रस्तावाची पडताळणी करुन ड्रोन व्दारे गावठाण भूमापन झालेली गांवे परिरक्षणास घेणेबाबत व ते कोणत्या कार्यालयाकडे/साजाकडे परिरक्षणास देणेबाबत चे आदेश पारित करणेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी, यांच्याकडील वाचा क्र. (३) अनुसार प्राप्त प्रस्तावामध्ये साजा परिरक्षण भूमापक मोर्शी यांचे साजा मध्ये १. मौजा-मंगरुळ (५३२३३७), हा १ गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी या कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक मोर्शी यांचे साजा मध्ये १. मौजा-मंगरुळ (५३२३३७), हा १ गाव नव्याने समाविष्ट करणेत येत आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन वरील नमूद गांव परिरक्षणास घेणेस याव्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.

## परिशिष्ट-ब

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी कार्यालयाचे अधिनस्थ साजा परिरक्षण भूमापक, मोर्शी मधील समाविष्ट गावे व मिळकतीचा तपशील

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नाव | सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध गावे पुनर्रचनेपूर्वी | | | परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाची गावे | | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | साजा | गांवे | मिळकती | गांवे | मिळकती | साजा | गांवे | मिळकती |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| १ | अमरावती | मोर्शी | उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मोर्शी | परिरक्षण भूमापक मोर्शी | १. येरला | ९६६ | १. मगंरुळ | २२७ | परिरक्षण भूमापक मोर्शी | १. येरला | ९६६ |
| | | | | | २. पिंपळखुटा (मोठा) | ६८४ | | | | २. पिंपळखुटा (मोठा) | ६८४ |
| | | | | | ३. नेर पिंगळाई | २४३९ | | | | ३. नेर पिंगळाई | २४३९ |
| | | | | | ४. राजुरवाडी | ६७६ | | | | ४. राजुरवाडी | ६७६ |
| | | | | | ५. धामणगांव | ५५४ | | | | ५. धामणगांव | ५५४ |
| | | | | | ६. अडगांव | ८०५ | | | | ६. अडगाव | ८०५ |
| | | | | | ७. शिरखेड | ६७० | | | | ७. शिरखेड | ६७० |
| | | | | | ८. सावरखेडा | ६५१ | | | | ८. सावरखेडा | ६५१ |
| | | | | | ९. पार्डी | ४२९ | | | | ९. पार्डी | ४२९ |
| | | | | | १०. पुसला | ४१ | | | | १०. पुसला | ४१ |
| | | | | | ११. पातुर | ८१ | | | | ११. पातुर | ८१ |
| | | | | | १२. आसोना | ९२ | | | | १२. आसोना | ९२ |
| | | | | | १३. कमळापुर | १२९ | | | | १३. कमळापुर | १२९ |
| | | | | | १४. हाशमपुर | ३७ | | | | १४. हाशमपुर | ३७ |
| | | | | | १५. आखतवाडा | १३३ | | | | १५. आखतवाडा | १३३ |
| | | | | | १६. ईनापुर | ९६ | | | | १६. ईनापुर | ९६ |
| | | | | | १७. दुग्रवाडा | १८७ | | | | १७. दुग्रवाडा | १८७ |
| | | | | | १८. निभार्णी | १०८ | | | | १८. निभार्णी | १०८ |
| | | | | | १९. भिलापुर | १८३ | | | | १९. भिलापुर | १८३ |
| | | | | | २०. सिभोरा | १८८ | | | | २०. सिभोरा | १८८ |
| | | | | | २१. लिहीदा | २९५ | | | | २१. लिहीदा | २९५ |
| | | | | | २२. लेहेगांव | २२८ | | | | २२. लेहेगांव | २२८ |
| | | | | | २३. काटपुर | ३२७ | | | | २३. काटपुर | ३२७ |

**परिशिष्ट-ब**—चालू

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | २४. कवठाळ | ३७० | | | | २४. कवठाळ | ३७० |
| | | | | | २५. लाडकी बु. | ४२३ | | | | २५. लाडकी बु. | ४२३ |
| | | | | | २६. शिरलस | ३०३ | | | | २६. शिरलस | ३०३ |
| | | | | | २७. निंभी | ३४३ | | | | २७. निभी | ३४३ |
| | | | | | २८. नया वाठाकडा | ३६० | | | | २८. नया वाठाकडा | ३६० |
| | | | | | २९. गोराळा | १०४ | | | | २९. गोराळा | १०४ |
| | | | | | ३०. तळेगाव | २०२ | | | | ३०. तळेगाव | २०२ |
| | | | | | ३१. दाभोरी | १९३ | | | | ३१. दाभोरी | १९३ |
| | | | | | ३२. तळणी | १८३ | | | | ३२. तळणी | १८३ |
| | | | | | ३३. तुळजापूर | ११२ | | | | ३३. तुळजापूर | ११२ |
| | | | | | ३४. भांबोरा | १७५ | | | | ३४. भांबोरा | १७५ |
| | | | | | ३५. रोहनखेड | २८६ | | | | ३५. रोहनखेड | २८६ |
| | | | | | ३६. पोरगव्हाण | ४११ | | | | ३६. पोरगव्हाण | ४११ |
| | | | | | ३७. येवती | २८६ | | | | ३७. येवती | २८६ |
| | | | | | ३८. नशीरपूर | ८१ | | | | ३८. नशीरपूर | ८१ |
| | | | | | ३९. शिरुर | १०३ | | | | ३९. शिरुर | १०३ |
| | | | | | ४०. वाघोली | १५५ | | | | ४०. वाघोली | १५५ |
| | | | | | ४१. काटसुर | ३३७ | | | | ४१. काटसुर | ३३७ |
| | | | | | ४२. घोडगव्हाण | १७४ | | | | ४२. घोडगव्हाण | १७४ |
| | | | | | ४३. शिरजगांव | ४७१ | | | | ४३. शिरजगांव | ४७१ |
| | | | | | | | | | | ४४. मंगरुळ | २२७ |
| | | | एकूण . . | . . | ४३गावे | १५,०७१ | १ गांव | २२७ | | ४४ गांवे | १५,२९८ |

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे. तसेच, वाचा क्र. (३) मध्ये नमूद केलेनुसार १. मौजा-मंगरुळ (५३२३३७), रु. १,५२,१७७/- या गांवाची सनद फी तात्काळ वसूल करावी.

**महेशकुमार शिंदे**,
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,
अमरावती.

अमरावती :
दिनांक ७ ऑगस्ट, २०२५.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५१.

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.–**

### अधिसूचना-३

क्रमांक १९५५-तांशा-३-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५, ६ व ७, नियम क्र. ३ व अधिसूचना क्र. २ मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, सु. ना. बोरले, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा खालील निर्देशित पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय तत्वावरील नियमांना अनुसरून आणि प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने सिंचन योग्य लाभक्षेत्रातील जमिनीचे या अधिसूचनेद्वारे कार्यक्षेत्र निश्चित करीत आहे. पाणी वापर संस्थांचे कार्यपालन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या विहीत तपशीलासह व संस्थेच्या कार्यक्षेत्राच्या अद्यावत यादीचा विहीत तपशीलवार प्रमाणित प्रत, संबंधित ग्रामपंचायत व तहसील कार्यालय, पाटबंधारे शाखा, उपविभाग व विभागीय कार्यालय व योग्य सार्वजनिक स्थळावर प्रसिद्धी करीता ठेवण्यात आलेले आहे.

त्याअर्थी, मी, सु. ना. बोरले,कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग,बुलडाणा असे सूचित करतो की, प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रास समूचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन योजनेखाली कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील.

या अधिसूचनेमुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत राज्य शासनानी अधिसूचित केलेल्या मा. अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा यांच्याकडे अपील करता येईल.

### अनुसूची- अ

**सिंचन प्रकल्पाचे नाव**—चोंढी बृहत ल. पा.प्रकल्प, ता. संग्रामपूर जि. बुलडाणा या प्रकल्पावरील सर्व लाभक्षेत्र.

**अधिसूचित केलेले क्षेत्र** – ११८८.०० हेक्टर (सी.सी.ए.)

**गावांची संख्या** –(५) मौजा चोंढी, टाकळेश्वर, कवठळ, कुंभारखेड,कवठळ,पेसोडा.

**अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राची वितरण प्रणाली** – चोंढी बृहत ल. पा. प्रकल्पावरील सर्व लाभक्षेत्र.

**गावानुसार प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र**

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| चोंढी | १ | ० ०३ |
| | ८ | ० २० |
| | ९ | ० ३१ |
| | १० | २ ५९ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ११ | ० ९७ |
| | १२ | ० ४४ |
| | १३ | १ ०९ |
| | १४ | ० २८ |
| | १५ | ० ०० |
| | १७ | १ १७ |
| | १८ | १ ६३ |
| | १९ | १ ०१ |
| | २० | १ १७ |
| | २१ | २ १६ |
| | २२ | ० ७१ |
| | २३ | १ ७१ |
| | २४ | १ ३८ |
| | २५ | ३ १६ |
| | २३४ | ६ ६३ |
| | २३८ | ३ १२ |
| | २७५ | ० ५३ |
| | २८३ | ० ६४ |
| | २८४ | ० ४४ |
| | २८५ | ० ६३ |
| | २८६ | ० ३३ |
| | २८७ | ० ११ |
| | २८८ | १ ६३ |
| | २८९ | २ ५९ |
| | २९० | ४ ७३ |
| | २९१ | २ ७५ |
| | २९२ | १ ७५ |
| | २९३ | ३ ३९ |
| | २९४ | ३ ८७ |
| | २९५ | २ ६० |
| | २९७ | ६ ५१ |
| | २९८ | ४ ०४ |
| | २९९ | ३ ०७ |
| | ३०० | ३ २३ |
| | ३०१ | १ ९० |
| | ३०२ | ० ८४ |
| | ३०४ | १ ३३ |
| | ३०५ | ० ८३ |
| | ३०६ | ० ८२ |
| | ३०७ | २ ३३ |
| | ३०८ | ० २९ |
| | ३०९ | ० ८२ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ३१० | ० ५८ |
| | ३११ | ० ४० |
| | ३१२ | १ १० |
| | ३१३ | ० ६४ |
| | ३१४ | ० ६४ |
| | ३१५ | १ ३५ |
| | ३१६ | १ ०६ |
| | ३१७ | २ २४ |
| | ३१८ | ४ ३१ |
| | ३१९ | ३ ४७ |
| | ३२० | ० ८० |
| | एकूण . . | ९८ ३५ |
| टाकळेश्वर | १ | ० ७३ |
| | २ | ० ४० |
| | ३ | १२ ३१ |
| | ४ | १ ९० |
| | ५ | १ ९० |
| | ६ | १ ५९ |
| | ७ | १ १० |
| | ८ | ३ २७ |
| | ९ | १ २१ |
| | १० | १ २१ |
| | ११ | ० ६३ |
| | १२ | १ ६४ |
| | १३ | ० २३ |
| | १४ | ० ६२ |
| | १५ | ० १४ |
| | १६ | ० २८ |
| | १७ | ० २७ |
| | १८ | ० ६८ |
| | १९ | १ ५० |
| | २० | १० ४१ |
| | २१ | १० ५० |
| | २२ | २ ४६ |
| | २३ | १ ०९ |
| | २४ | ० २१ |
| | २५ | ० २३ |
| | २६ | ० ४७ |
| | २७ | १ ४१ |
| | २८ | २ ०० |
| | २९ | १३ ०९ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ८२ | ३ ९७ |
| | ८३ | २ ४३ |
| | ८४ | १ ७२ |
| | ८५ | ३ ५७ |
| | ८६ | १ ६५ |
| | ८७ | २ ७६ |
| | ८८ | १८ ८९ |
| | ८९ | २ ९६ |
| | ९० | १ ९५ |
| | ९१ | १ २८ |
| | ९२ | १ ३४ |
| | ९३ | २ ३४ |
| | ९४ | २ ५४ |
| | ९५ | ९ ८३ |
| | ९६ | २ ५४ |
| | ९७ | ३ ७७ |
| | ९८ | १ ५२ |
| | १०० | ० ८१ |
| | १०१ | ० ५३ |
| | १०२ | ० ५४ |
| | १०४ | १ २४ |
| | १०५ | १ ०८ |
| | १०६ | १ १६ |
| | १०७ | ० ६७ |
| | १०८ | ३ ९२ |
| | १०९ | ३ २५ |
| | ११० | ७ २१ |
| | १११ | ४ ३५ |
| | ११२ | ० ८६ |
| | ११३ | ० ८६ |
| | ११४ | ६ ४३ |
| | ११५ | ३ ६० |
| | एकूण . . | १७५ ०५ |
| कुंभारखेड | १०७ | ० ८९ |
| | १०८ | ० ९७ |
| | १०९ | ४ ६३ |
| | ११० | ० ३० |
| | १११ | ० ६५ |
| | ११२ | ० ६९ |
| | ११३ | १ ५७ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | ११४ | १ २५ |
| | ११५ | १ ३२ |
| | ११६ | २ ०१ |
| | ११७ | १ ०६ |
| | ११८ | ० ८० |
| | ११९ | १ ३९ |
| | १२० | १ ०९ |
| | १२१ | ० ५२ |
| | १२२ | १ ९२ |
| | १२३ | १ ४९ |
| | १२४ | १ २१ |
| | १२५ | १ २१ |
| | १२६ | १ २१ |
| | १२७ | १ २१ |
| | १२८ | ४ १५ |
| | १२९ | ३ १४ |
| | १३० | २ ४१ |
| | १३१ | ३ ४९ |
| | १३२ | ० ९१ |
| | १३३ | ० ९१ |
| | १३४ | ० ८१ |
| | १३५ | ८ ९७ |
| | १३६ | ३ १४ |
| | १३७ | ३ १५ |
| | १३८ | १ ४२ |
| | १३९ | ४ ३८ |
| | १४० | २ १३ |
| | १४१ | १ १५ |
| | १४२ | १ ४३ |
| | १४३ | ० ४५ |
| | १४४ | १ १३ |
| | १४५ | १ १७ |
| | १४६ | ० ७८ |
| | १४७ | ० ७८ |
| | १४८ | ० ४० |
| | १४९ | २ ९३ |
| | १५० | १ ६२ |
| | १५१ | ४ ७७ |
| | १५२ | ० ८२ |
| | १५३ | ४ ६७ |
| | १५४ | ५ ४९ |
| | १५५ | ० ९० |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | १५६ | ० ९१ |
| | १५७ | १२ ५८ |
| | १५८ | ० ८३ |
| | १५९ | ८ ६९ |
| | १६० | २ ११ |
| | १६१ | ६ ४५ |
| | १६२ | १ ०८ |
| | १६३ | ५ ४७ |
| | १६४ | ६ ७९ |
| | १६५ | १ ८२ |
| | १६६ | ३ ०६ |
| | १६७ | ३ १३ |
| | १६८ | ६ ४५ |
| | १६९ | ५ ६५ |
| | १७० | १० ४८ |
| | १७१ | २ ५६ |
| | १७२ | ० ८५ |
| | १७३ | ० ८४ |
| | १७४ | १ ०४ |
| | १७५ | १ १३ |
| | १७६ | २ ८२ |
| | १७७ | २ ७४ |
| | एकूण . . | १८२ ३७ |
| कवठळ | ८९ | ० ८१ |
| | ९० | २ ७९ |
| | ९१ | २ १४ |
| | ९२ | २ १५ |
| | ९३ | १ २१ |
| | ९४ | २ ५२ |
| | ९५ | ३ २२ |
| | ९६ | १ ०५ |
| | ९७ | ६ ०४ |
| | ९८ | ३ १५ |
| | ९९ | ६ ४३ |
| | १०० | ८ ५५ |
| | १०१ | ६ ४९ |
| | १०२ | १ ०१ |
| | १०३ | ० ९८ |
| | १०४ | १ ९९ |
| | १०५ | ० ८१ |
| | १०६ | १ ५६ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | १०७ | १ २१ |
| | १०८ | ० ८८ |
| | १०९ | १ ८८ |
| | ११० | १ ६३ |
| | १११ | ३ ५७ |
| | ११२ | १ ९७ |
| | ११३ | १ २० |
| | ११४ | १ ३० |
| | ११५ | १ ३३ |
| | ११६ | २ ३५ |
| | ११७ | ३ ५७ |
| | ११८ | २ ८२ |
| | ११९ | २ २० |
| | १२० | ३ ४६ |
| | १२१ | २ ५७ |
| | १२४ | ५ ७१ |
| | १२५ | ० ७२ |
| | १२६ | ० ६८ |
| | १२७ | .४ ८९ |
| | १२८ | २ ३७ |
| | १२९ | २ ४० |
| | १३० | ० ७९ |
| | १३१ | ६ ६२ |
| | १३२ | १ ३४ |
| | १३३ | २ ८५ |
| | १९५ | ० ९३ |
| | १९६ | १० ९३ |
| | १९७ | २ ६५ |
| | १९८ | १ ०६ |
| | १९९ | १ १२ |
| | २०० | १ ६९ |
| | २०१ | ० ७५ |
| | २०२ | ० ७५ |
| | २०३ | ० ६१ |
| | २०४ | १ ५८ |
| | २०५ | १ ०३ |
| | २०६ | १ ८० |
| | २०७ | २ ४८ |
| | २०८ | १ ८८ |
| | २०९ | १ ५४ |
| | २१० | ४ ५७ |
| | २११ | २ ९० |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | २६० | ७ ४६ |
| | २६१ | ० ६१ |
| | २६२ | ५ ८१ |
| | २६३ | २ ४३ |
| | २६४ | १ ९० |
| | २६५ | २ ४५ |
| | २६६ | ० ९८ |
| | २६७ | २ ८५ |
| | २६८ | ० ८१ |
| | २६९ | २ ८० |
| | २७० | ५ ५७ |
| | २७१ | ५ १८ |
| | २७२ | १ ६२ |
| | २७३ | ४ ४६ |
| | २७४ | २ ८३ |
| | २७५ | १ २१ |
| | २७६ | ० ८१ |
| | २७७ | १ ६७ |
| | २७८ | २ ४० |
| | २७९ | ४ ६९ |
| | २८० | ३ ७२ |
| | २८१ | १ २४ |
| | २८२ | ० ९७ |
| | २८३ | ० ६६ |
| | २८४ | ० ७८ |
| | २८५ | १ ०३ |
| | २८६ | ० ६४ |
| | २८७ | ० ८० |
| | २८९ | ० ८८ |
| | २९० | १ ०९ |
| | २९१ | ५ ४७ |
| | ३१४ | ४ ३० |
| | ३७३ | ० ७७ |
| | ३७४ | १ ०२ |
| | ३७५ | १ ६२ |
| | ३७६ | २ ०२ |
| | ३७८ | १ ६२ |
| | ३७९ | १ ६९ |
| | ३८० | २ ८० |
| | ३८१ | १ ७१ |
| | ३८२ | २ ०५ |
| | ३८३ | २ २५ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ३८८ | ४ ८९ |
| | ३८९ | १ ४२ |
| | ३९० | ३ ६२ |
| | ३९१ | ० ७८ |
| | ३९२ | ० ७८ |
| | ३९४ | ० ६३ |
| | ३९५ | ० ६३ |
| | ३९६ | २ ७५ |
| | ३९७ | २ ७३ |
| | ३९८ | १ ६७ |
| | ३९९ | १ ६० |
| | ४०० | ७ ४२ |
| | ४०१ | ० ८९ |
| | ४०२ | ३ २५ |
| | ४०३ | ० ८४ |
| | ४०४ | ३ ४८ |
| | ४०५ | २ ०३ |
| | ४०६ | ५ ८२ |
| | ४०७ | २ ०७ |
| | ४०८ | २ ९५ |
| | ४०९ | १ ८२ |
| | ४१० | १ ३५ |
| | ४११ | १ ५४ |
| | ४१२ | १ ७६ |
| | ४१३ | ० ६० |
| | ४१४ | ० ६६ |
| | ४१५ | ० ६४ |
| | ४१६ | २ ११ |
| | ४१७ | २ ३० |
| | ४१८ | २ ५५ |
| | ४१९ | ६ ४६ |
| | ४२६ | २ ७८ |
| | ४२७ | ० ९० |
| | ४२८ | ० ७५ |
| | ४२९ | ० ७७ |
| | ४३० | ६ १६ |
| | ४३१ | १ ०३ |
| | ४३२ | १ २६ |
| | ४३३ | २ ३५ |
| | ४३४ | २ ४४ |
| | ४३५ | ० ८९ |
| | ४३६ | १ ०४ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ४४३ | ४ १० |
| | ४४४ | २ ५० |
| | ४४५ | ३ ७६ |
| | ४४६ | २ २७ |
| | ४४७ | १ ६२ |
| | ४४८ | ७ ३५ |
| | ४४९ | १२ ९० |
| | ४५० | ४ २९ |
| | ४५१ | १० ०५ |
| | ४५२ | २ ५८ |
| | ४५३ | १ ८८ |
| | ४५४ | १ ४६ |
| | ४५५ | १२ ११ |
| | ४५६ | ४ ७९ |
| | ४५७ | ४ ४६ |
| | ४५८ | २ ७१ |
| | ४५९ | १ ६४ |
| | ४६१ | १ ८८ |
| | ४६२ | १ १९ |
| | | ——— |
| | एकूण . . | ४२५ १० |
| | | ——— |
| पेसोडा | २ | २ ९५ |
| | ५ | १ ९० |
| | ९ | १ ०५ |
| | १० | २ ०३ |
| | ११ | ५ २४ |
| | १२ | २ २२ |
| | १३ | २ ४३ |
| | ४१ | ६ ५७ |
| | ४२ | २ २३ |
| | ४३ | ३ ५२ |
| | ४४ | २ ६५ |
| | ४५ | २ ४१ |
| | ४६ | ४ ९८ |
| | ४७ | २ ५४ |
| | ४८ | ३ ५८ |
| | ४९ | २ १२ |
| | ५० | १ ६३ |
| | ५१ | ० ९२ |
| | ५२ | १ ६९ |
| | ५३ | ० ६० |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | ६४ | १ ०६ |
| | ६५ | ० ३३ |
| | ६६ | ० २४ |
| | ६८ | ५ ७५ |
| | ६९ | ४ ३६ |
| | ७० | १ ६२ |
| | ७१ | १ ९९ |
| | ७२ | ३ ४७ |
| | ७३ | ३ ८३ |
| | ७४ | १ ९४ |
| | ७५ | ३ ११ |
| | १२५ | १२ ५० |
| | १२६ | २ ७६ |
| | १२७ | ० ८२ |
| | १२८ | १ ६२ |
| | १२९ | १ ४२ |
| | १३० | ३ ८३ |
| | १३१ | २ ४२ |
| | १३२ | ० ५० |
| | १३३ | ० २० |
| | १३४ | ४ ६० |
| | १३५ | ० ८७ |
| | १३६ | ० ४५ |
| | १३७ | १ १० |
| | १३८ | ६ ३२ |
| | १३९ | २ ०७ |
| | १४० | १ २६ |
| | १४१ | १ २६ |
| | १४२ | ० ३८ |
| | १४३ | ० ३५ |
| | १४४ | ० ४० |
| | १४६ | १ ५२ |
| | १४७ | ५ २१ |
| | १४८ | ० ७८ |
| | १४९ | ५ ५० |
| | १५० | २ ४४ |
| | १५२ | ३ ४७ |
| | १५३ | ० ८१ |
| | १५४ | ३ ७१ |
| | १५५ | १ ८७ |
| | १५६ | १ ६२ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | १५७ | १ ५८ |
| | १५८ | ३ ०४ |
| | १५९ | २ ५० |
| | १६० | ० ७१ |
| | १६१ | ० ७१ |
| | १६२ | ० ६६ |
| | १६३ | ५ ८१ |
| | १६४ | ४ २२ |
| | १६५ | १ ३१ |
| | १६६ | १ २१ |
| | १६७ | १ १० |
| | १६८ | १ ५७ |
| | १६९ | ३ २१ |
| | १७० | ३ २६ |
| | १७१ | १ ८४ |
| | १७२ | ० ९६ |
| | १७३ | ० ९६ |
| | १७४ | १ ६० |
| | १७५ | २ ४० |
| | १७६ | २ २७ |
| | १७७ | १ २२ |
| | १७८ | १ २१ |
| | १७९ | ० ८३ |
| | १८० | १ ८३ |
| | १८१ | २ ४३ |
| | १८२ | ० ८३ |
| | १८३ | १ २१ |
| | १८४ | १ ६२ |
| | १८५ | १ ४० |
| | १८६ | २ ८३ |
| | १८७ | २ ४२ |
| | १८८ | २ ०६ |
| | १९० | १ ९६ |
| | १९१ | ० ७८ |
| | १९२ | २ २६ |
| | १९३ | २ ९९ |
| | १९४ | १ ६२ |
| | १९५ | ० ८० |
| | १९६ | ० ८५ |
| | १९७ | १ ७० |
| | १९८ | २ ९८ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | २०० | ० ६३ |
| | २०१ | ० ७९ |
| | २०२ | ० ६२ |
| | २०३ | ० ८३ |
| | २०४ | २ ६५ |
| | २०५ | २ ९५ |
| | २०६ | ० ७४ |
| | २०७ | १ ७५ |
| | २०८ | ० ८३ |
| | २०९ | ० ६२ |
| | २१० | १ २९ |
| | २११ | ० ८६ |
| | २१२ | ० ८३ |
| | २१३ | ३ ३८ |
| | २१४ | २ ४४ |
| | २१५ | १ ०३ |
| | २१६ | २ ३३ |
| | २१७ | १ ६० |
| | २१८ | ३ ४४ |
| | २१९ | १ ४८ |
| | २२० | २ ६७ |
| | २२१ | २ ३० |
| | २२२ | १ ८१ |
| | २२३ | ० ४९ |
| | २२४ | ० ३४ |
| | २२५ | ० ८८ |
| | २२६ | ३ २२ |
| | २२८ | ४ ११ |
| | २२९ | ० ५९ |
| | २३० | ० ५९ |
| | २३१ | ० ६८ |
| | २३२ | २ ५९ |
| | २३३ | १ ९२ |
| | २३४ | १ ९१ |
| | २३५ | ० ९४ |
| | २३६ | ५ १० |
| | २३७ | ५ ०७ |
| | २३८ | १ ०३ |
| | २३९ | १ १३ |
| | २४२ | २ ८९ |
| | २४३ | ३ ०६ |

**अनुसूची– अ** चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | २४७ | ० ७० |
| | २४८ | १ ०९ |
| | २४९ | १ १६ |
| | एकूण . . | ३०७ १३ |

**गावानुसार एकूण लाभक्षेत्र**

| अ. क्र. | मौजे | एकूण गट क्र. | शेती योग्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| | | | हे. आर |
| १ | चोंढी | ५७ | ९८ ३५ |
| २ | टाकळेश्वर | ६१ | १७५ ०५ |
| ३ | कुंभारखेड | ७१ | १८२ ३७ |
| ४ | कवठळ | १६३ | ४२५ १० |
| ५ | पेसोडा | १४६ | ३०७ १३ |
| | एकूण लाभक्षेत्र. . | | ११८८.०० |

**पाणी वापर संस्थानुसार एकूण लाभक्षेत्र**

पाणी वापर संस्था क्र. १ चे लाभक्षेत्र (चोंढी व टाकळेश्वर)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| चोंढी | १ | ० ०३ |
| | ८ | ० २० |
| | ९ | ० ३१ |
| | १० | २ ५९ |
| | ११ | ० ९७ |
| | १२ | ० ४४ |
| | १३ | १ ०९ |
| | १४ | ० २८ |
| | १५ | ० ०० |
| | १७ | १ १७ |
| | १८ | १ ६३ |
| | १९ | १ ०१ |
| | २० | १ १७ |
| | २१ | २ १६ |
| | २२ | ० ७१ |
| | २३ | १ ७१ |

**पाणी वापर संस्थानुसार एकूण लाभक्षेत्र चालू**

| मौजे (१) | गट क्र. (२) | क्षेत्र (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | २४ | १ ३८ |
| | २५ | ३ १६ |
| | २३४ | ६ ६३ |
| | २३८ | ३ १२ |
| | २७५ | ० ५३ |
| | २८३ | ० ६४ |
| | २८४ | ० ४४ |
| | २८५ | ० ६३ |
| | २८६ | ० ३३ |
| | २८७ | ० ११ |
| | २८८ | १ ६३ |
| | २८९ | २ ५९ |
| | २९० | ४ ७३ |
| | २९१ | २ ७५ |
| | २९२ | १ ७५ |
| | २९३ | ३ ३९ |
| | २९४ | ३ ८७ |
| | २९५ | २ ६० |
| | २९७ | ६ ५१ |
| | २९८ | ४ ०४ |
| | २९९ | ३ ०७ |
| | ३०० | ३ २३ |
| | ३०१ | १ ९० |
| | ३०२ | ० ८४ |
| | ३०४ | १ ३३ |
| | ३०५ | ० ८३ |
| | ३०६ | ० ८२ |
| | ३०७ | २ ३३ |
| | ३०८ | ० २९ |
| | ३०९ | ० ८२ |
| | ३१० | ० ५८ |
| | ३११ | ० ४० |
| | ३१२ | १ १० |
| | ३१३ | ० ६४ |
| | ३१४ | ० ६४ |
| | ३१५ | १ ३५ |
| | ३१६ | १ ०६ |
| | ३१७ | २ २४ |
| | ३१८ | ४ ३१ |
| | ३१९ | ३ ४७ |
| | ३२० | ० ८० |
| टाकळेश्वर | १ | ० ७३ |
| | २ | ० ४० |
| | ३ | १२ ३१ |
| | ४ | १ ९० |

**पाणी वापर संस्थानुसार एकूण लाभक्षेत्र चालू**

| मौजे (१) | गट क्र. (२) | क्षेत्र (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | ५ | १ ९० |
| | ६ | १ ५९ |
| | ७ | १ १० |
| | ८ | ३ २७ |
| | ९ | १ २१ |
| | १० | १ २१ |
| | ११ | ० ६३ |
| | १२ | १ ६४ |
| | १३ | ० २३ |
| | १४ | ० ६२ |
| | १५ | ० १४ |
| | १६ | ० २८ |
| | १७ | ० २७ |
| | १८ | ० ६८ |
| | १९ | १ ५० |
| | २० | १० ४१ |
| | २१ | १० ५० |
| | २२ | २ ४६ |
| | २३ | १ ०९ |
| | २४ | ० २१ |
| | २५ | ० २३ |
| | २६ | ० ४७ |
| | २७ | १ ४१ |
| | २८ | २ ०० |
| | २९ | १३ ०९ |
| | ८२ | ३ ९७ |
| | ८३ | २ ४३ |
| | ८४ | १ ७२ |
| | ८५ | ३ ५७ |
| | ८६ | १ ६५ |
| | ८७ | २ ७६ |
| | ८८ | १८ ८९ |
| | ८९ | २ ९६ |
| | ९० | १ ९५ |
| | ९१ | १ २८ |
| | ९२ | १ ३४ |
| | ९३ | २ ३४ |
| | ९४ | २ ५४ |
| | ९५ | ९ ८३ |
| | ९६ | २ ५४ |
| | ९७ | ३ ७७ |
| | ९८ | १ ५२ |
| | १०० | ० ८१ |

**पाणी वापर संस्थानुसार एकूण लाभक्षेत्र चालू**

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | १०१ | ० ५३ |
| | १०२ | ० ५४ |
| | १०४ | १ २४ |
| | १०५ | १ ०८ |
| | १०६ | १ १६ |
| | १०७ | ० ६७ |
| | १०८ | ३ ९२ |
| | १०९ | ३ २५ |
| | ११० | ७ २१ |
| | १११ | ४ ३५ |
| | ११२ | ० ८६ |
| | ११३ | ० ८६ |
| | ११४ | ६ ४३ |
| | ११५ | ३ ६० |
| | एकूण . . | २७३ ४० |

**पाणी वापर संस्था क्र. २ चे लाभक्षेत्र (कुंभारखेड व कवठळ)**

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| कवठळ | ८९ | ० ८१ |
| | ९० | २ ७९ |
| | ९१ | २ १४ |
| | ९२ | २ १५ |
| | ९३ | १ २१ |
| | ९४ | २ ५२ |
| | ९५ | ३ २२ |
| | ९६ | १ ०५ |
| | ९७ | ६ ०४ |
| | ९८ | ३ १५ |
| | ९९ | ६ ४३ |
| | १२१ | २ ५७ |
| | १२४ | ५ ७१ |
| | १२५ | ० ७२ |
| | १२६ | ० ६८ |
| | १२७ | ४ ८९ |
| | १२८ | २ ३७ |
| | १२९ | २ ४० |
| | १३० | ० ७९ |
| | १३१ | ६ ६२ |

पाणी वापर संस्था क्र. २ चे लाभक्षेत्र (कुंभारखेड व कवठळ)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | १३२ | १ ३४ |
| | १३३ | २ ८५ |
| कुंभारखेड | ११२ | ० ६९ |
| | १२८ | ४ १५ |
| | १२९ | ३ १४ |
| | १३० | २ ४१ |
| | १३१ | ३ ४९ |
| | १३२ | ० ९१ |
| | १३३ | ० ९१ |
| | १३४ | ० ८१ |
| | १३५ | ८ ९७ |
| | १३६ | ३ १४ |
| | १३७ | ३ १५ |
| | १३८ | १ ४२ |
| | १३९ | ४ ३८ |
| | १४० | २ १३ |
| | १४१ | १ १५ |
| | १४२ | १ ४३ |
| | १४३ | ० ४५ |
| | १४४ | १ १३ |
| | १४५ | १ १७ |
| | १४६ | ० ७८ |
| | १४७ | ० ७८ |
| | १४८ | ० ४० |
| | १४९ | २ ९३ |
| | १५० | १ ६२ |
| | १५१ | ४ ७७ |
| | १५२ | ० ८२ |
| | १५३ | ४ ६७ |
| | १५४ | ५ ४९ |
| | १५५ | ० ९० |
| | १५६ | ० ९१ |
| | १५७ | १२ ५८ |
| | १५८ | ० ८३ |
| | १५९ | ८ ६९ |
| | १६० | २ ११ |
| | १६१ | ६ ४५ |
| | १६२ | १ ०८ |
| | १६३ | ५ ४७ |
| | १६४ | ६ ७९ |
| | १६५ | १ ८२ |
| | १६६ | ३ ०६ |

पाणी वापर संस्था क्र. २ चे लाभक्षेत्र (कुंभारखेड व कवठळ)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | १६७ | ३ १३ |
| | १६८ | ६ ४५ |
| | १६९ | ५ ६५ |
| | १७० | १० ४८ |
| | १७१ | २ ५६ |
| | १७२ | ० ८५ |
| | १७३ | ० ८४ |
| | १७४ | १ ०४ |
| | १७५ | १ १३ |
| | १७६ | २ ८२ |
| | १७७ | २ ७४ |
| | ११३ | ० ७८ |
| | ११४ | ० ६२ |
| | ११५ | ० ६६ |
| | ११६ | १ ०० |
| | १२४ | ० ६० |
| | १२५ | ० ६० |
| | १२६ | ० ६० |
| | १२७ | ० ६० |
| | एकूण . . | २२३ ५८ |
| कवठळ | १०० | ८ ५५ |
| | १०१ | ६ ४९ |
| | १०२ | १ ०१ |
| | १०३ | ० ९८ |
| | १०४ | १ ९९ |
| | १०५ | ० ८१ |
| | १०६ | १ ५६ |
| | १०७ | १ २१ |
| | १०८ | ० ८८ |
| | १०९ | १ ८८ |
| | ११० | १ ६३ |
| | १११ | ३ ५७ |
| | ११२ | १ ९७ |
| | ११३ | १ २० |
| | ११४ | १ ३० |
| | ११५ | १ ३३ |
| | ११६ | २ ३५ |
| | ११७ | ३ ५७ |
| | ११८ | २ ८२ |
| | ११९ | २ २० |

पाणी वापर संस्था क्र. ३ चे लाभक्षेत्र (कवठळ व कुंभारखेड)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | १२० | ३ ४६ |
| | १९५ | ० ९३ |
| | १९६ | १० ९३ |
| | १९७ | २ ६५ |
| | १९८ | १ ०६ |
| | १९९ | १ १२ |
| | २०० | १ ६९ |
| | २०१ | ० ७५ |
| | २०२ | ० ७५ |
| | २०३ | ० ६१ |
| | २०४ | १ ५८ |
| | २०५ | १ ०३ |
| | २०६ | १ ८० |
| | २०७ | २ ४८ |
| | २०८ | १ ८८ |
| | २०९ | १ ५४ |
| | २१० | ४ ५७ |
| | २११ | २ ९० |
| | २६० | ७ ४६ |
| | २६१ | ० ६१ |
| | २६२ | ५ ८१ |
| | २६३ | २ ४३ |
| | २६४ | १ ९० |
| | २६५ | २ ४५ |
| | २६६ | ० ९८ |
| | २६७ | २ ८५ |
| | २६८ | ० ८१ |
| | २६९ | २ ८० |
| | २७० | ५ ५७ |
| | २७१ | ५ १८ |
| | २७२ | १ ६२ |
| | २७३ | ४ ४६ |
| | २७४ | २ ८३ |
| | २७५ | १ २१ |
| | २७६ | ० ८१ |
| | २७७ | १ ६७ |
| | २७८ | २ ४० |
| | २७९ | ४ ६९ |
| | २८० | ३ ७२ |
| | २८१ | १ २४ |
| | २८२ | ० ९७ |
| | २८३ | ० ६६ |

पाणी वापर संस्था क्र. ३ चे लाभक्षेत्र (कवठळ व कुंभारखेड)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | २८४ | ० ७८ |
| | २८५ | १ ०३ |
| | २८६ | ० ६४ |
| | २८७ | ० ८० |
| | २८९ | ० ८८ |
| | २९० | १ ०९ |
| | २९१ | ५ ४७ |
| | ३१४ | ४ ३० |
| | ३७३ | ० ७७ |
| | ३७४ | १ ०२ |
| | ३७५ | १ ६२ |
| | ३७६ | २ ०२ |
| | ३७८ | १ ६२ |
| | ३७९ | १ ६९ |
| | ३८० | २ ८० |
| | ३८१ | १ ७१ |
| | ३८२ | २ ०५ |
| | ३८३ | २ २५ |
| | ३८८ | ४ ८९ |
| | ३८९ | १ ४२ |
| | ३९० | ३ ६२ |
| | ३९१ | ० ७८ |
| | ३९२ | ० ७८ |
| | ३९४ | ० ६३ |
| | ३९५ | ० ६३ |
| | ३९६ | २ ७५ |
| | ३९७ | २ ७३ |
| | ३९८ | १ ६७ |
| | ३९९ | १ ६० |
| | ४०० | ७ ४२ |
| | ४०१ | ० ८९ |
| | ४०२ | ३ २५ |
| | ४०३ | ० ८४ |
| | ४०४ | ३ ४८ |
| | ४०५ | २ ०३ |
| | ४०६ | ५ ८२ |
| | ४०७ | २ ९५ |
| | ४०८ | २ ०७ |
| | ४०९ | १ ८२ |
| | ४१० | १ ३५ |
| | ४११ | १ ५४ |
| | ४१२ | १ ७६ |

पाणी वापर संस्था क्र. ३ चे लाभक्षेत्र (कवठळ व कुंभारखेड)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | ४१३ | ० ६० |
| | ४१४ | ० ६६ |
| | ४१५ | ० ६४ |
| | ४१६ | २ ११ |
| | ४१७ | २ ३० |
| | ४१८ | २ ५५ |
| | ४१९ | ६ ४६ |
| | ४२६ | २ ७८ |
| | ४२७ | ० ९० |
| | ४२८ | ० ७५ |
| | ४२९ | ० ७७ |
| | ४३० | ६ १६ |
| | ४३१ | १ ०३ |
| | ४३२ | १ २६ |
| | ४३३ | २ ३५ |
| | ४३४ | २ ४४ |
| | ४३५ | ० ८९ |
| | ४३६ | १ ०४ |
| | ४४३ | ४ १० |
| | ४४४ | २ ५० |
| | ४४५ | ३ ७६ |
| | ४४६ | २ २७ |
| | ४४७ | १ ६२ |
| | ४४८ | ७ ३५ |
| | ४४९ | १२ ९० |
| | ४५० | ४ २९ |
| | ४५१ | १० ०५ |
| | ४५२ | २ ५८ |
| | ४५३ | १ ८८ |
| | ४५४ | १ ४६ |
| | ४५५ | १२ ११ |
| | ४५६ | ४ ७९ |
| | ४५७ | ४ ४६ |
| | ४५८ | २ ७१ |
| | ४५९ | १ ६४ |
| | ४६१ | १ ८८ |
| | ४६२ | १ १९ |
| कुंभारखेड | १०७ | ० ८९ |
| | १०८ | ० ९७ |
| | १०९ | ४ ६३ |
| | ११० | ० ३० |
| | १११ | ० ६५ |

पाणी वापर संस्था क्र. ३ चे लाभक्षेत्र (कवठळ व कुंभारखेडा)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | ११७ | १ ०६ |
| | ११८ | ० ८० |
| | ११९ | १ ३९ |
| | १२० | १ ०९ |
| | १२१ | ० ५२ |
| | १२२ | १ ९२ |
| | १२३ | १ ४९ |
| | ११३ | ० ७९ |
| | ११४ | ० ६३ |
| | ११५ | ० ६६ |
| | ११६ | १ ०१ |
| | १२४ | ० ६१ |
| | १२५ | ० ६१ |
| | १२६ | ० ६१ |
| | १२७ | ० ६१ |
| | एकूण . . | ३८३ ८९ |

पाणी वापर संस्था क्र. ४ चे लाभक्षेत्र (पेसोडा)

| | | |
|---|---|---|
| पेसोडा | २ | २ ९५ |
| | ५ | १ ९० |
| | ९ | १ ०५ |
| | १० | २ ०३ |
| | ११ | ५ २४ |
| | १२ | २ २२ |
| | १३ | २ ४३ |
| | ४१ | ६ ५७ |
| | ४२ | २ २३ |
| | ४३ | ३ ५२ |
| | ४४ | २ ६५ |
| | ४५ | २ ४१ |
| | ४६ | ४ ९८ |
| | ४७ | २ ५४ |
| | ४८ | ३ ५८ |
| | ४९ | २ १२ |
| | ५० | १ ६३ |
| | ५१ | ० ९२ |
| | ५२ | १ ६९ |
| | ५३ | ० ६० |
| | ६४ | १ ०६ |
| | ६५ | ० ३३ |
| | ६६ | ० २४ |

पाणी वापर संस्था क्र. ४ चे लाभक्षेत्र (पेसोडा)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | ६८ | ५ ७५ |
| | ६९ | ४ ३६ |
| | ७० | १ ६२ |
| | ७१ | १ ९९ |
| | ७२ | ३ ४७ |
| | ७३ | ३ ८३ |
| | ७४ | १ ९४ |
| | ७५ | ३ ११ |
| | १२५ | १२ ५० |
| | १२६ | २ ७६ |
| | १२७ | ० ८२ |
| | १२८ | १ ६२ |
| | १२९ | १ ४२ |
| | १३० | ३ ८३ |
| | १३१ | २ ४२ |
| | १३२ | ० ५० |
| | १३३ | ० २० |
| | १३४ | ४ ६० |
| | १३५ | ० ८७ |
| | १३६ | ० ४५ |
| | १३७ | १ १० |
| | १३८ | ६ ३२ |
| | १३९ | २ ०७ |
| | १४० | १ २६ |
| | १४१ | १ २६ |
| | १४२ | ० ३८ |
| | १४३ | ० ३५ |
| | १४४ | ० ४० |
| | १४६ | १ ५२ |
| | १४७ | ५ २१ |
| | १४८ | ० ७८ |
| | १४९ | ५ ५० |
| | १५० | २ ४४ |
| | १५२ | ३ ४७ |
| | १५३ | ० ८१ |
| | १५४ | ३ ७१ |
| | १५५ | १ ८७ |
| | १५६ | १ ६२ |
| | १५७ | १ ५८ |
| | १५८ | ३ ०४ |
| | १५९ | २ ५० |
| | १६० | ० ७१ |

पाणी वापर संस्था क्र. ४ चे लाभक्षेत्र (पेसोडा)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | १६१ | ० ७१ |
| | १६२ | ० ६६ |
| | १६३ | ५ ८१ |
| | १६४ | ४ २२ |
| | १६५ | १ ३१ |
| | १६६ | १ २१ |
| | १६७ | १ १० |
| | १६८ | १ ५७ |
| | १६९ | ३ २१ |
| | १७० | ३ २६ |
| | १७१ | १ ८४ |
| | १७२ | ० ९६ |
| | १७३ | ० ९६ |
| | १७४ | १ ६० |
| | १७५ | २ ४० |
| | १७६ | २ २७ |
| | १७७ | १ २२ |
| | १७८ | १ २१ |
| | १७९ | ० ८३ |
| | १८० | १ ८३ |
| | १८१ | २ ४३ |
| | १८२ | ० ८३ |
| | १८३ | १ २१ |
| | १८४ | १ ६२ |
| | १८५ | १ ४० |
| | १८६ | २ ८३ |
| | १८७ | २ ४२ |
| | १८८ | २ ०६ |
| | १९० | १ ९६ |
| | १९१ | ० ७८ |
| | १९२ | २ २६ |
| | १९३ | २ ९९ |
| | १९४ | १ ६२ |
| | १९५ | ० ८० |
| | १९६ | ० ८५ |
| | १९७ | १ ७० |
| | १९८ | २ ९८ |
| | २०० | ० ६३ |
| | २०१ | ० ७९ |
| | २०२ | ० ६२ |
| | २०३ | ० ८३ |
| | २०४ | २ ६५ |

पाणी वापर संस्था क्र. ४ चे लाभक्षेत्र (पेसोडा)

| मौजे | गट क्र. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| | २०५ | २ ९५ |
| | २०६ | ० ७४ |
| | २०७ | १ ७५ |
| | २०८ | ० ८३ |
| | २०९ | ० ६२ |
| | २१० | १ २९ |
| | २११ | ० ८६ |
| | २१२ | ० ८३ |
| | २१३ | ३ ३८ |
| | २१४ | २ ४४ |
| | २१५ | १ ०३ |
| | २१६ | २ ३३ |
| | २१७ | १ ६० |
| | २१८ | ३ ४४ |
| | २१९ | १ ४८ |
| | २२० | २ ६७ |
| | २२१ | २ ३० |
| | २२२ | १ ८१ |
| | २२३ | ० ४९ |
| | २२४ | ० ३४ |
| | २२५ | ० ८८ |
| | २२६ | ३ २२ |
| | २२८ | ४ ११ |
| | २२९ | ० ५९ |
| | २३० | ० ५९ |
| | २३१ | ० ६८ |
| | २३२ | २ ५९ |
| | २३३ | १ ९२ |
| | २३४ | १ ९१ |
| | २३५ | ० ९४ |
| | २३६ | ५ १० |
| | २३७ | ५ ०७ |
| | २३८ | १ ०३ |
| | २३९ | १ १३ |
| | २४२ | २ ८९ |
| | २४३ | ३ ०६ |
| | २४७ | ० ७० |
| | २४८ | १ ०९ |
| | २४९ | १ १६ |
| | | ——— |
| | एकूण . . | ३०७ १३ |
| | | ——— |

**पाणी वापर संस्थानुसार एकूण लाभक्षेत्र**

| पाणी वापर संस्था | मौजे | एकूण गट क्र | शेतीयोग्य क्षेत्र (हे) |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) | (४) |
| पाणी वापर संस्था क्र १ चे लाभक्षेत्र | चोंढी व टाकळेश्वर | ११८ | २७३ ४० |
| पाणी वापर संस्था क्र २ चे लाभक्षेत्र | कुंभारखेड व कवठळ | ८१ | २२३ ५८ |
| पाणी वापर संस्था क्र ३ चे लाभक्षेत्र | कवठळ व कुंभारखेड | १६१ | ३८३ ८९ |
| पाणी वापर संस्था क्र ४ चे लाभक्षेत्र | पेसोडा | १४६ | ३०७ १३ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | | | ११८८ ०० |

**सु. ना. बोरले**
कार्यकारी अभियंता,
लघु पाटबंधारे विभाग,
बुलडाणा.

बुलडाणा :
दिनांक २९ जुलै २०२५.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५२.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

***Notification-III***

No.- 1955-TB- 2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUA's) on hydraulic basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005.I, S. N. Borale, Executive Engineer, Minor Irrigation Division Buldana hereby delineate Areas of Operation of following WUA's and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Gram Panchayat*, Tahsil Office, Irrigation Section, Irrigation Sub-Division, and at other prominent public places.

Therefore, I,S. N. Borale, Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Buldana also hereby declared that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and that system of supply of water through Water through Water User Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers.

Any person affected by this notification or part thereof may, within thirty days from the date of publication of this notification in the *Official Gazette*, file an appeal before Superintending Engineer, Buldana Irrigation Project Circle, Buldana

SCHEDULE- A

**Name of Project :** Chondhi LMI Project Tq Sangrampur Dist. Buldhana.

**Area Notified** :1188 00 H.A. (C.C.A.) No.of Villages 5 Nos. Chondhi, Takleshwar, Kumbharkhed, Kavathal, Pesods.

**Irrigation System for the Area Notified :** Chondhi LMI Project Tq, Sangrampur Dist. Buldana.

**The Villagewise Project CCA**

| Village (1) | Gat No. (2) | CCA (3) H. A. |
|---|---|---|
| Chondhi | 1 | 0 03 |
| | 8 | 0 20 |
| | 9 | 0 31 |
| | 10 | 2 59 |
| | 11 | 0 97 |
| | 12 | 0 44 |
| | 13 | 1 09 |
| | 14 | 0 28 |
| | 15 | 0 00 |
| | 17 | 0 17 |
| | 18 | 1 63 |
| | 19 | 1 01 |
| | 20 | 1 17 |
| | 21 | 2 16 |
| | 22 | 0 71 |
| | 23 | 1 71 |
| | 24 | 1 38 |
| | 25 | 3 16 |
| | 234 | 6 63 |
| | 238 | 3 12 |
| | 275 | 0 53 |
| | 283 | 0 64 |
| | 284 | 0 44 |
| | 285 | 0 63 |
| | 286 | 0 33 |
| | 287 | 0 11 |
| | 288 | 1 63 |
| | 289 | 2 59 |
| | 290 | 4 73 |
| | 291 | 2 75 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 292 | 1 75 |
| | 293 | 3 39 |
| | 294 | 3 87 |
| | 295 | 2 60 |
| | 297 | 6 51 |
| | 298 | 4 04 |
| | 299 | 3 07 |
| | 300 | 3 23 |
| | 301 | 1 90 |
| | 302 | 0 84 |
| | 304 | 1 33 |
| | 305 | 0 83 |
| | 306 | 0 82 |
| | 307 | 2 33 |
| | 308 | 0 29 |
| | 309 | 0 82 |
| | 310 | 0 58 |
| | 311 | 0 40 |
| | 312 | 1 10 |
| | 313 | 0 64 |
| | 314 | 0 64 |
| | 315 | 1 35 |
| | 316 | 1 06 |
| | 317 | 2 24 |
| | 318 | 4 31 |
| | 319 | 3 47 |
| | 320 | 0 80 |
| | Total . . | 98 35 |
| Takleshwar | 1 | 0 73 |
| | 2 | 0 40 |
| | 3 | 12 31 |
| | 4 | 1 90 |
| | 5 | 1 90 |
| | 6 | 1 59 |
| | 7 | 1 10 |
| | 8 | 3 27 |
| | 9 | 1 21 |
| | 10 | 1 22 |
| | 11 | 0 63 |
| | 12 | 1 64 |
| | 13 | 0 23 |
| | 14 | 0 62 |
| | 15 | 0 14 |
| | 16 | 0 28 |
| | 17 | 0 27 |
| | 18 | 0 68 |
| | 19 | 1 50 |
| | 20 | 10 41 |
| | 21 | 10 50 |
| | 22 | 2 46 |
| | 23 | 1 09 |
| | 24 | 0 21 |
| | 25 | 0 23 |
| | 26 | 0 47 |
| | 27 | 1 41 |
| | 28 | 2 00 |
| | 29 | 13 09 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 82 | 3 97 |
| | 83 | 2 43 |
| | 84 | 1 72 |
| | 85 | 3 57 |
| | 86 | 1 65 |
| | 87 | 2 76 |
| | 88 | 18 89 |
| | 89 | 2 96 |
| | 90 | 1 95 |
| | 91 | 1 28 |
| | 92 | 1 34 |
| | 93 | 2 34 |
| | 94 | 2 54 |
| | 95 | 9 83 |
| | 96 | 2 54 |
| | 97 | 3 77 |
| | 98 | 1 52 |
| | 100 | 0 81 |
| | 101 | 0 53 |
| | 102 | 0 54 |
| | 104 | 1 24 |
| | 105 | 1 08 |
| | 106 | 1 16 |
| | 107 | 0 67 |
| | 108 | 3 92 |
| | 109 | 3 25 |
| | 110 | 7 21 |
| | 111 | 4 35 |
| | 112 | 0 86 |
| | 113 | 0 86 |
| | 114 | 6 43 |
| | 115 | 3 60 |
| | Total . . | 175 05 |
| Kumbharkhed | 107 | 0 89 |
| | 108 | 0 97 |
| | 109 | 4 63 |
| | 110 | 0 30 |
| | 111 | 0 65 |
| | 112 | 0 69 |
| | 113 | 1 57 |
| | 114 | 1 25 |
| | 115 | 1 32 |
| | 116 | 2 01 |
| | 117 | 1 06 |
| | 118 | 0 80 |
| | 119 | 1 39 |
| | 120 | 1 09 |
| | 121 | 0 52 |
| | 122 | 1 92 |
| | 123 | 1 49 |
| | 124 | 1 21 |
| | 125 | 1 21 |
| | 126 | 1 21 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 127 | 1 21 |
| | 128 | 4 15 |
| | 129 | 3 14 |
| | 130 | 2 41 |
| | 131 | 3 49 |
| | 132 | 0 91 |
| | 133 | 0 91 |
| | 134 | 0 81 |
| | 135 | 8 97 |
| | 136 | 3 14 |
| | 137 | 3 15 |
| | 138 | 1 42 |
| | 139 | 4 38 |
| | 140 | 2 13 |
| | 141 | 1 15 |
| | 142 | 1 43 |
| | 143 | 0 45 |
| | 144 | 1 13 |
| | 145 | 1 17 |
| | 146 | 0 78 |
| | 147 | 0 78 |
| | 148 | 0 40 |
| | 149 | 2 93 |
| | 150 | 1 62 |
| | 151 | 4 77 |
| | 152 | 0 82 |
| | 153 | 4 67 |
| | 154 | 5 49 |
| | 155 | 0 90 |
| | 156 | 0 91 |
| | 157 | 12 58 |
| | 158 | 0 83 |
| | 159 | 8 69 |
| | 160 | 2 11 |
| | 161 | 6 45 |
| | 162 | 1 08 |
| | 163 | 5 47 |
| | 164 | 6 79 |
| | 165 | 1 82 |
| | 166 | 3 06 |
| | 167 | 3 13 |
| | 168 | 6 45 |
| | 169 | 5 65 |
| | 170 | 10 48 |
| | 171 | 2 56 |
| | 172 | 0 85 |
| | 173 | 0 84 |
| | 174 | 1 04 |
| | 175 | 1 13 |
| | 176 | 2 82 |
| | 177 | 2 74 |
| | Total . . | 182 37 |
| Kavathal | 89 | 0 81 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 90 | 2 79 |
| | 91 | 2 14 |
| | 92 | 2 15 |
| | 93 | 1 21 |
| | 94 | 2 52 |
| | 95 | 3 22 |
| | 96 | 1 05 |
| | 97 | 6 04 |
| | 98 | 3 15 |
| | 99 | 6 43 |
| | 100 | 8 55 |
| | 101 | 6 49 |
| | 102 | 1 01 |
| | 103 | 0 98 |
| | 104 | 1 99 |
| | 105 | 0 81 |
| | 106 | 1 56 |
| | 107 | 1 21 |
| | 108 | 0 88 |
| | 109 | 1 88 |
| | 110 | 1 63 |
| | 111 | 3 57 |
| | 112 | 1 97 |
| | 113 | 1 20 |
| | 114 | 1 30 |
| | 115 | 1 33 |
| | 116 | 2 35 |
| | 117 | 3 57 |
| | 118 | 2 82 |
| | 119 | 2 20 |
| | 120 | 3 46 |
| | 121 | 2 57 |
| | 124 | 5 71 |
| | 125 | 0 72 |
| | 126 | 0 68 |
| | 127 | 4 89 |
| | 128 | 2 37 |
| | 129 | 2 40 |
| | 130 | 0 79 |
| | 131 | 6 62 |
| | 132 | 1 34 |
| | 133 | 2 85 |
| | 195 | 0 93 |
| | 196 | 10 93 |
| | 197 | 2 65 |
| | 198 | 1 06 |
| | 199 | 1 12 |
| | 200 | 1 69 |
| | 201 | 0 75 |
| | 202 | 0 75 |
| | 203 | 0 61 |
| | 204 | 1 58 |
| | 205 | 1 03 |
| | 206 | 1 80 |
| | 207 | 2 48 |
| | 208 | 1 88 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 209 | 1 54 |
| | 210 | 4 57 |
| | 211 | 2 90 |
| | 260 | 7 46 |
| | 261 | 0 61 |
| | 262 | 5 81 |
| | 263 | 2 43 |
| | 264 | 1 90 |
| | 265 | 2 45 |
| | 266 | 0 98 |
| | 267 | 2 85 |
| | 268 | 0 81 |
| | 269 | 2 80 |
| | 270 | 5 57 |
| | 271 | 5 18 |
| | 272 | 1 62 |
| | 273 | 4 46 |
| | 274 | 2 83 |
| | 275 | 1 21 |
| | 276 | 0 81 |
| | 277 | 1 67 |
| | 278 | 2 40 |
| | 279 | 4 69 |
| | 280 | 3 72 |
| | 281 | 1 24 |
| | 282 | 0 97 |
| | 283 | 0 66 |
| | 284 | 0 78 |
| | 285 | 1 03 |
| | 286 | 0 64 |
| | 287 | 0 80 |
| | 289 | 0 88 |
| | 290 | 1 09 |
| | 291 | 5 47 |
| | 314 | 4 30 |
| | 373 | 0 77 |
| | 374 | 1 02 |
| | 375 | 1 62 |
| | 376 | 2 02 |
| | 378 | 1 62 |
| | 379 | 1 69 |
| | 380 | 2 80 |
| | 381 | 1 71 |
| | 382 | 2 05 |
| | 383 | 2 25 |
| | 388 | 4 89 |
| | 389 | 1 42 |
| | 390 | 3 62 |
| | 391 | 0 78 |
| | 392 | 0 78 |
| | 394 | 0 63 |
| | 395 | 0 63 |
| | 396 | 2 75 |
| | 397 | 2 73 |
| | 398 | 1 67 |
| | 399 | 1 60 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 400 | 7 42 |
| | 401 | 0 89 |
| | 402 | 3 25 |
| | 403 | 0 84 |
| | 404 | 3 48 |
| | 405 | 2 03 |
| | 406 | 5 82 |
| | 407 | 2 07 |
| | 408 | 2 95 |
| | 409 | 1 82 |
| | 410 | 1 35 |
| | 411 | 1 54 |
| | 412 | 1 76 |
| | 413 | 0 60 |
| | 414 | 0 66 |
| | 415 | 0 64 |
| | 416 | 2 11 |
| | 417 | 2 30 |
| | 418 | 2 55 |
| | 419 | 6 46 |
| | 426 | 2 78 |
| | 427 | 0 90 |
| | 428 | 0 75 |
| | 429 | 0 77 |
| | 430 | 6 16 |
| | 431 | 1 03 |
| | 432 | 1 26 |
| | 433 | 2 35 |
| | 434 | 2 44 |
| | 435 | 0 89 |
| | 436 | 1 04 |
| | 443 | 4 10 |
| | 444 | 2 50 |
| | 445 | 3 76 |
| | 446 | 2 27 |
| | 447 | 1 62 |
| | 448 | 7 35 |
| | 449 | 12 90 |
| | 450 | 4 29 |
| | 451 | 10 05 |
| | 452 | 2 58 |
| | 453 | 1 88 |
| | 454 | 1 46 |
| | 455 | 12 11 |
| | 456 | 4 79 |
| | 457 | 4 46 |
| | 458 | 2 71 |
| | 459 | 1 64 |
| | 461 | 1 88 |
| | 462 | 1 19 |
| | Total . . | 425 10 |
| Pesoda | 2 | 2 95 |
| | 5 | 1 90 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 9 | 1 05 |
| | 10 | 2 03 |
| | 11 | 5 24 |
| | 12 | 2 22 |
| | 13 | 2 43 |
| | 41 | 6 57 |
| | 42 | 2 23 |
| | 43 | 3 52 |
| | 44 | 2 65 |
| | 45 | 2 41 |
| | 46 | 4 98 |
| | 47 | 2 54 |
| | 48 | 3 58 |
| | 49 | 2 12 |
| | 50 | 1 63 |
| | 51 | 0 92 |
| | 52 | 1 69 |
| | 53 | 0 60 |
| | 64 | 1 06 |
| | 65 | 0 33 |
| | 66 | 0 24 |
| | 68 | 5 75 |
| | 69 | 4 36 |
| | 70 | 1 62 |
| | 71 | 1 99 |
| | 72 | 3 47 |
| | 73 | 3 83 |
| | 74 | 1 94 |
| | 75 | 3 11 |
| | 125 | 12 50 |
| | 126 | 2 76 |
| | 127 | 0 82 |
| | 128 | 1 62 |
| | 129 | 1 42 |
| | 130 | 3 83 |
| | 131 | 2 42 |
| | 132 | 0 50 |
| | 133 | 0 20 |
| | 134 | 4 60 |
| | 135 | 0 87 |
| | 136 | 0 45 |
| | 137 | 1 10 |
| | 138 | 6 32 |
| | 139 | 2 07 |
| | 140 | 1 26 |
| | 141 | 1 26 |
| | 142 | 0 38 |
| | 143 | 0 35 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 144 | 0 40 |
| | 146 | 1 52 |
| | 147 | 5 21 |
| | 148 | 0 78 |
| | 149 | 5 50 |
| | 150 | 2 44 |
| | 152 | 3 47 |
| | 153 | 0 81 |
| | 154 | 3 71 |
| | 155 | 1 87 |
| | 156 | 1 62 |
| | 157 | 1 58 |
| | 158 | 3 04 |
| | 159 | 2 50 |
| | 160 | 0 71 |
| | 161 | 0 71 |
| | 162 | 0 66 |
| | 163 | 5 81 |
| | 164 | 4 22 |
| | 165 | 1 31 |
| | 166 | 1 21 |
| | 167 | 1 10 |
| | 168 | 1 57 |
| | 169 | 3 21 |
| | 170 | 3 26 |
| | 171 | 1 84 |
| | 172 | 0 96 |
| | 173 | 0 96 |
| | 174 | 1 60 |
| | 175 | 2 40 |
| | 176 | 2 27 |
| | 177 | 1 22 |
| | 178 | 1 21 |
| | 179 | 0 83 |
| | 180 | 1 83 |
| | 181 | 2 43 |
| | 182 | 0 83 |
| | 183 | 1 21 |
| | 184 | 1 62 |
| | 185 | 1 40 |
| | 186 | 2 83 |
| | 187 | 2 42 |
| | 188 | 2 06 |
| | 190 | 1 96 |
| | 191 | 0 78 |
| | 192 | 2 26 |
| | 193 | 2 99 |
| | 194 | 1 62 |

SCHEDULE-A *Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 195 | 0 80 |
| | 196 | 0 85 |
| | 197 | 1 70 |
| | 198 | 2 98 |
| | 200 | 0 63 |
| | 201 | 0 79 |
| | 202 | 0 62 |
| | 203 | 0 83 |
| | 204 | 2 65 |
| | 205 | 2 95 |
| | 206 | 0 74 |
| | 207 | 1 75 |
| | 208 | 0 83 |
| | 209 | 0 62 |
| | 210 | 1 29 |
| | 211 | 0 86 |
| | 212 | 0 83 |
| | 213 | 3 38 |
| | 214 | 2 44 |
| | 215 | 1 03 |
| | 216 | 2 33 |
| | 217 | 1 60 |
| | 218 | 3 44 |
| | 219 | 1 48 |
| | 220 | 2 67 |
| | 221 | 2 30 |
| | 222 | 1 81 |
| | 223 | 0 49 |
| | 224 | 0 34 |
| | 225 | 0 88 |
| | 226 | 3 22 |
| | 228 | 4 11 |
| | 229 | 0 59 |
| | 230 | 0 59 |
| | 231 | 0 68 |
| | 232 | 2 59 |
| | 233 | 1 92 |
| | 234 | 1 91 |
| | 235 | 0 94 |
| | 236 | 5 10 |
| | 237 | 5 07 |
| | 238 | 1 03 |
| | 239 | 1 13 |
| | 242 | 2 89 |
| | 243 | 3 06 |
| | 247 | 0 70 |
| | 248 | 1 09 |
| | 249 | 1 16 |
| | Total . . | 307 13 |

Villagewise Total Project CCA

| Sr. No | Village | Total No. of Gats | C C A |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | H. A |
| 1 | Chondhi | 57 | 98 35 |
| 2 | Takleshwar | 61 | 175 05 |
| 3 | Kumbharkhed | 71 | 182 37 |
| 4 | Kavathal | 163 | 425 10 |
| 5 | Pesoda | 146 | 307 13 |
| | Total . . | | 1188 00 |

Water User Associationwise Total Project CCA

CCA of Water User Association No. 1

(Chondhi And Takleshwar)

| Village | Gat No. | CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H.A. |
| Chondhi | 1 | 0 03 |
| | 8 | 0 20 |
| | 9 | 0 31 |
| | 10 | 2 59 |
| | 11 | 0 97 |
| | 12 | 0 44 |
| | 13 | 1 09 |
| | 14 | 0 28 |
| | 15 | 0 00 |
| | 17 | 1 17 |
| | 18 | 1 63 |
| | 19 | 1 01 |
| | 20 | 1 17 |
| | 21 | 2 16 |
| | 22 | 0 71 |
| | 23 | 1 71 |
| | 24 | 1 38 |
| | 25 | 3 16 |
| | 234 | 6 63 |
| | 238 | 3 12 |
| | 275 | 0 53 |
| | 283 | 0 64 |
| | 284 | 0 44 |
| | 285 | 0 63 |
| | 286 | 0 33 |
| | 287 | 0 11 |
| | 288 | 1 63 |
| | 289 | 2 59 |
| | 290 | 4 73 |

CCA of Water User Association No. 1

| (1) | (2) | (3) H.A. |
|---|---|---|
| | 291 | 2 75 |
| | 292 | 1 75 |
| | 293 | 3 39 |
| | 294 | 3 87 |
| | 295 | 2 60 |
| | 297 | 6 51 |
| | 298 | 4 04 |
| | 299 | 3 07 |
| | 300 | 3 23 |
| | 301 | 1 90 |
| | 302 | 0 84 |
| | 304 | 1 33 |
| | 305 | 0 83 |
| | 306 | 0 82 |
| | 307 | 2 33 |
| | 308 | 0 29 |
| | 309 | 0 82 |
| | 310 | 0 58 |
| | 311 | 0 40 |
| | 312 | 1 10 |
| | 313 | 0 64 |
| | 314 | 0 64 |
| | 315 | 1 35 |
| | 316 | 1 06 |
| | 317 | 2 24 |
| | 318 | 4 31 |
| | 319 | 3 47 |
| | 320 | 0 80 |
| Takleshwar | 1 | 0 73 |
| | 2 | 0 40 |
| | 3 | 12 31 |
| | 4 | 1 90 |
| | 5 | 1 90 |
| | 6 | 1 59 |
| | 7 | 1 10 |
| | 8 | 3 27 |
| | 9 | 1 21 |
| | 10 | 1 21 |
| | 11 | 0 63 |
| | 12 | 1 64 |
| | 13 | 0 23 |
| | 14 | 0 62 |
| | 15 | 0 14 |
| | 16 | 0 28 |
| | 17 | 0 27 |
| | 18 | 0 68 |
| | 19 | 1 50 |
| | 20 | 10 41 |
| | 21 | 10 50 |
| | 22 | 2 46 |
| | 23 | 1 09 |

CCA of Water User Association No. 1

| (1) | (2) | (3) H.A. |
|---|---|---|
| | 24 | 0 21 |
| | 25 | 0 23 |
| | 26 | 0 47 |
| | 27 | 1 41 |
| | 28 | 2 00 |
| | 29 | 13 09 |
| | 82 | 3 97 |
| | 83 | 2 43 |
| | 84 | 1 72 |
| | 85 | 3 57 |
| | 86 | 1 65 |
| | 87 | 2 76 |
| | 88 | 18 89 |
| | 89 | 2 96 |
| | 90 | 1 95 |
| | 91 | 1 28 |
| | 92 | 1 34 |
| | 93 | 2 34 |
| | 94 | 2 54 |
| | 95 | 9 83 |
| | 96 | 2 54 |
| | 97 | 3 77 |
| | 98 | 1 52 |
| | 100 | 0 81 |
| | 101 | 0 53 |
| | 102 | 0 54 |
| | 104 | 1 24 |
| | 105 | 1 08 |
| | 106 | 1 16 |
| | 107 | 0 67 |
| | 108 | 3 92 |
| | 109 | 3 25 |
| | 110 | 7 21 |
| | 111 | 4 35 |
| | 112 | 0 86 |
| | 113 | 0 86 |
| | 114 | 6 43 |
| | 115 | 3 60 |
| | Total . . | 273 40 |

CCA of Water User Association No. 2
(Kumbharkhed And Kavathal)

| Village | Gat No. | CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) H. A. |
| Kavathal | 89 | 0 81 |
| | 90 | 2 79 |
| | 91 | 2 14 |
| | 92 | 2 15 |
| | 93 | 1 21 |
| | 94 | 2 52 |
| | 95 | 3 22 |

CCA of Water User Association No. 2

| (1) | (2) | (3) H.A. |
|---|---|---|
| | 96 | 1 05 |
| | 97 | 6 04 |
| | 98 | 3 15 |
| | 99 | 6 43 |
| | 121 | 2 57 |
| | 124 | 5 71 |
| | 125 | 0 72 |
| | 126 | 0 68 |
| | 127 | 4 89 |
| | 128 | 2 37 |
| | 129 | 2 40 |
| | 130 | 0 79 |
| | 131 | 6 62 |
| | 132 | 1 34 |
| | 133 | 2 85 |
| Kumbharkhed | 112 | 0 69 |
| | 128 | 4 15 |
| | 129 | 3 14 |
| | 130 | 2 41 |
| | 131 | 3 49 |
| | 132 | 0 91 |
| | 133 | 0 91 |
| | 134 | 0 81 |
| | 135 | 8 97 |
| | 136 | 3 14 |
| | 137 | 3 15 |
| | 138 | 1 42 |
| | 139 | 4 38 |
| | 140 | 2 13 |
| | 141 | 1 15 |
| | 142 | 1 43 |
| | 143 | 0 45 |
| | 144 | 1 13 |
| | 145 | 1 17 |
| | 146 | 0 78 |
| | 147 | 0 78 |
| | 148 | 0 40 |
| | 149 | 2 93 |
| | 150 | 1 62 |
| | 151 | 4 77 |
| | 152 | 0 82 |
| | 153 | 4 67 |
| | 154 | 5 49 |
| | 155 | 0 90 |
| | 156 | 0 91 |
| | 157 | 12 58 |
| | 158 | 0 83 |
| | 159 | 8 69 |
| | 160 | 2 11 |
| | 161 | 6 45 |
| | 162 | 1 08 |
| | 163 | 5 47 |
| | 164 | 6 79 |
| | 165 | 1 82 |
| | 166 | 3 06 |

CCA of Water User Association No. 2

| (1) | (2) | (3) H.A. |
|---|---|---|
| | 167 | 3 13 |
| | 168 | 6 45 |
| | 169 | 5 65 |
| | 170 | 10 48 |
| | 171 | 2 56 |
| | 172 | 0 85 |
| | 173 | 0 84 |
| | 174 | 1 04 |
| | 175 | 1 13 |
| | 176 | 2 82 |
| | 177 | 2 74 |
| | 113 | 0 78 |
| | 114 | 0 62 |
| | 115 | 0 66 |
| | 116 | 1 00 |
| | 124 | 0 60 |
| | 125 | 0 60 |
| | 126 | 0 60 |
| | 127 | 0 60 |
| | Total . . | 223 58 |

CCA of Water User Association No.3
( Kavathal And Kumbharkhed )

| | | |
|---|---|---|
| Kavathal | 100 | 8 55 |
| | 101 | 6 49 |
| | 102 | 1 01 |
| | 103 | 0 98 |
| | 104 | 1 99 |
| | 105 | 0 81 |
| | 106 | 1 56 |
| | 107 | 1 21 |
| | 108 | 0 88 |
| | 109 | 1 88 |
| | 110 | 1 63 |
| | 111 | 3 57 |
| | 112 | 1 97 |
| | 113 | 1 20 |
| | 114 | 1 30 |
| | 115 | 1 33 |
| | 116 | 2 35 |
| | 117 | 3 57 |
| | 118 | 2 82 |
| | 119 | 2 20 |
| | 120 | 3 46 |
| | 195 | 0 93 |
| | 196 | 10 93 |
| | 197 | 2 65 |
| | 198 | 1 06 |
| | 199 | 1 12 |
| | 200 | 1 69 |
| | 201 | 0 75 |
| | 202 | 0 75 |
| | 203 | 0 61 |
| | 204 | 1 58 |
| | 205 | 1 03 |

CCA of Water User Association No.3

| (1) | (2) | (3) H.A. |
|---|---|---|
| | 206 | 1 80 |
| | 207 | 2 48 |
| | 208 | 1 88 |
| | 209 | 1 54 |
| | 210 | 4 57 |
| | 211 | 2 90 |
| | 260 | 7 46 |
| | 261 | 0 61 |
| | 262 | 5 81 |
| | 263 | 2 43 |
| | 264 | 1 90 |
| | 265 | 2 45 |
| | 266 | 0 98 |
| | 267 | 2 85 |
| | 268 | 0 81 |
| | 269 | 2 80 |
| | 270 | 5 57 |
| | 271 | 5 18 |
| | 272 | 1 62 |
| | 273 | 4 46 |
| | 274 | 2 83 |
| | 275 | 1 21 |
| | 276 | 0 81 |
| | 277 | 1 67 |
| | 278 | 2 40 |
| | 279 | 4 69 |
| | 280 | 3 72 |
| | 281 | 1 24 |
| | 282 | 0 97 |
| | 283 | 0 66 |
| | 284 | 0 78 |
| | 285 | 1 03 |
| | 286 | 0 64 |
| | 287 | 0 80 |
| | 289 | 0 88 |
| | 290 | 1 09 |
| | 291 | 5 47 |
| | 314 | 4 30 |
| | 373 | 0 77 |
| | 374 | 1 02 |
| | 375 | 1 62 |
| | 376 | 2 02 |
| | 378 | 1 62 |
| | 379 | 1 69 |
| | 380 | 2 80 |
| | 381 | 1 71 |
| | 382 | 2 05 |
| | 383 | 2 25 |
| | 388 | 4 89 |
| | 389 | 1 42 |
| | 390 | 3 62 |
| | 391 | 0 78 |

CCA of Water User Association No.3

| (1) | (2) | (3) H.A. |
|---|---|---|
| | 392 | 0 78 |
| | 394 | 0 63 |
| | 395 | 0 63 |
| | 396 | 2 75 |
| | 397 | 2 73 |
| | 398 | 1 67 |
| | 399 | 1 60 |
| | 400 | 7 42 |
| | 401 | 0 89 |
| | 402 | 3 25 |
| | 403 | 0 84 |
| | 404 | 3 48 |
| | 405 | 2 03 |
| | 406 | 5 82 |
| | 407 | 2 07 |
| | 408 | 2 95 |
| | 409 | 1 82 |
| | 410 | 1 35 |
| | 411 | 1 54 |
| | 412 | 1 76 |
| | 413 | 0 60 |
| | 414 | 0 66 |
| | 415 | 0 64 |
| | 416 | 2 11 |
| | 417 | 2 30 |
| | 418 | 2 55 |
| | 419 | 6 46 |
| | 426 | 2 78 |
| | 427 | 0 90 |
| | 428 | 0 75 |
| | 429 | 0 77 |
| | 430 | 6 16 |
| | 431 | 1 03 |
| | 432 | 1 26 |
| | 433 | 2 35 |
| | 434 | 2 44 |
| | 435 | 0 89 |
| | 436 | 1 04 |
| | 443 | 4 10 |
| | 444 | 2 50 |
| | 445 | 3 76 |
| | 446 | 2 27 |
| | 447 | 1 62 |
| | 448 | 7 35 |
| | 449 | 12 90 |
| | 450 | 4 29 |
| | 451 | 10 05 |
| | 452 | 2 58 |
| | 453 | 1 88 |
| | 454 | 1 46 |
| | 455 | 12 11 |
| | 456 | 4 79 |

CCA of Water User Association No. 4

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 457 | 4 46 |
| | 458 | 2 71 |
| | 459 | 1 64 |
| | 461 | 1 88 |
| | 462 | 1 19 |
| Kumbharkhed | 107 | 0 89 |
| | 108 | 0 97 |
| | 109 | 4 63 |
| | 110 | 0 30 |
| | 111 | 0 65 |
| | 117 | 1 06 |
| | 118 | 0 80 |
| | 119 | 1 39 |
| | 120 | 1 09 |
| | 121 | 0 52 |
| | 122 | 1 92 |
| | 123 | 1 49 |
| | 113 | 0 79 |
| | 114 | 0 63 |
| | 115 | 0 66 |
| | 116 | 1 01 |
| | 124 | 0 61 |
| | 125 | 0 61 |
| | 126 | 0 61 |
| | 127 | 0 61 |
| | Total . . | 383 89 |

CCA of Water User Association No. 4

(Pesoda)

| | | |
|---|---|---|
| Pesoda | 2 | 2 95 |
| | 5 | 1 90 |
| | 9 | 1 05 |
| | 10 | 2 03 |
| | 11 | 5 24 |
| | 12 | 2 22 |
| | 13 | 2 43 |
| | 41 | 6 57 |
| | 42 | 2 23 |
| | 43 | 3 52 |
| | 44 | 2 65 |
| | 45 | 2 41 |
| | 46 | 4 98 |
| | 47 | 2 54 |
| | 48 | 3 58 |
| | 49 | 2 12 |
| | 50 | 1 63 |
| | 51 | 0 92 |
| | 52 | 1 69 |
| | 53 | 0 60 |
| | 64 | 1 06 |
| | 65 | 0 33 |

CCA of Water User Association No. 4

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 66 | 0 24 |
| | 68 | 5 75 |
| | 69 | 4 36 |
| | 70 | 1 62 |
| | 71 | 1 99 |
| | 72 | 3 47 |
| | 73 | 3 83 |
| | 74 | 1 94 |
| | 75 | 3 11 |
| | 125 | 12 50 |
| | 126 | 2 76 |
| | 127 | 0 82 |
| | 128 | 1 62 |
| | 129 | 1 42 |
| | 130 | 3 83 |
| | 131 | 2 42 |
| | 132 | 0 50 |
| | 133 | 0 20 |
| | 134 | 4 60 |
| | 135 | 0 87 |
| | 136 | 0 45 |
| | 137 | 1 10 |
| | 138 | 6 32 |
| | 139 | 2 07 |
| | 140 | 1 26 |
| | 141 | 1 26 |
| | 142 | 0 38 |
| | 143 | 0 35 |
| | 144 | 0 40 |
| | 146 | 1 52 |
| | 147 | 5 21 |
| | 148 | 0 78 |
| | 149 | 5 50 |
| | 150 | 2 44 |
| | 152 | 3 47 |
| | 153 | 0 81 |
| | 154 | 3 71 |
| | 155 | 1 87 |
| | 156 | 1 62 |
| | 157 | 1 58 |
| | 158 | 3 04 |
| | 159 | 2 50 |
| | 160 | 0 71 |
| | 161 | 0 71 |
| | 162 | 0 66 |
| | 163 | 5 81 |
| | 164 | 4 22 |
| | 165 | 1 31 |
| | 166 | 1 21 |
| | 167 | 1 10 |
| | 168 | 1 57 |

CCA of Water User Association No. 4

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 169 | 3 21 |
| | 170 | 3 26 |
| | 171 | 1 84 |
| | 172 | 0 96 |
| | 173 | 0 96 |
| | 174 | 1 60 |
| | 175 | 2 40 |
| | 176 | 2 27 |
| | 177 | 1 22 |
| | 178 | 1 21 |
| | 179 | 0 83 |
| | 180 | 1 83 |
| | 181 | 2 43 |
| | 182 | 0 83 |
| | 183 | 1 21 |
| | 184 | 1 62 |
| | 185 | 1 40 |
| | 186 | 2 83 |
| | 187 | 2 42 |
| | 188 | 2 06 |
| | 190 | 1 96 |
| | 191 | 0 78 |
| | 192 | 2 26 |
| | 193 | 2 99 |
| | 194 | 1 62 |
| | 195 | 0 80 |
| | 196 | 0 85 |
| | 197 | 1 70 |
| | 198 | 2 98 |
| | 200 | 0 63 |
| | 201 | 0 79 |
| | 202 | 0 62 |
| | 203 | 0 83 |
| | 204 | 2 65 |
| | 205 | 2 95 |
| | 206 | 0 74 |
| | 207 | 1 75 |
| | 208 | 0 83 |
| | 209 | 0 62 |
| | 210 | 1 29 |
| | 211 | 0 86 |
| | 212 | 0 83 |
| | 213 | 3 38 |
| | 214 | 2 44 |
| | 215 | 1 03 |
| | 216 | 2 33 |
| | 217 | 1 60 |
| | 218 | 3 44 |
| | 219 | 1 48 |
| | 220 | 2 67 |
| | 221 | 2 30 |
| | 222 | 1 81 |
| | 223 | 0 49 |

CCA of Water User Association No. 4

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 224 | 0 34 |
| | 225 | 0 88 |
| | 226 | 3 22 |
| | 228 | 4 11 |
| | 229 | 0 59 |
| | 230 | 0 59 |
| | 231 | 0 68 |
| | 232 | 2 59 |
| | 233 | 1 92 |
| | 234 | 1 91 |
| | 235 | 0 94 |
| | 236 | 5 10 |
| | 237 | 5 07 |
| | 238 | 1 03 |
| | 239 | 1 13 |
| | 242 | 2 89 |
| | 243 | 3 06 |
| | 247 | 0 70 |
| | 248 | 1 09 |
| | 249 | 1 16 |
| | Total . . | 307 13 |

Water User Assocation Wise Total Project CCA

| Water User Association | Village | Total No of Gat | CCA H. A. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) H. A. |
| CCA of Water User Association No. 4 | Chondhi And Takleshwar | 118 | 273 40 |
| CCA of Water User Association No. 4 | Kumbhar-khed And Kavathal | 81 | 223 58 |
| CCA of Water User Association No. 4 | Kavathal And KumbharKhed | 161 | 383 89 |
| CCA of Water User Association No. 4 | Pesoda | 146 | 307 13 |
| | Total Area of WUA . . | | 1188 00 |

Buldhana :
Dated the 29th July, 2025.

S. N. BORALE,
Executive Engineer,
Minor Irrigation Division,
Buldhana.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५३.

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक ३०९९-तांशा-१-पाणी वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थानाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालील प्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही, आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची

**प्रकल्पाचे नाव**— निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** :— प्रस्तावित डॅब्ल्यू यू ए-०१, गांव निंबा, भातकुली, तालुका मूर्तीजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र**— ३०२.६९ हेक्टर (सीसीए)

| चक नं. | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही ७-सी १ | ५९ | १ ४८ |
| | ९९ | १ ३४ |
| | १०० | ० ०४ |
| | १०१ | ० ०५ |
| | १०२ | ६ २६ |
| | ९८ | ३ ४७ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ९३ | ० २७ |
| | ९४ | ० ९१ |
| | ९५ | १ ४४ |
| | ९६ | १ ४४ |
| | ९७ | १ ८८ |
| | ६० | १ ५० |
| | ६१ | १ ९४ |
| | एकूण . . | २२ ०२ |
| व्ही ७-सी २ | ७३ | २ ६९ |
| | ६७-१ | २ ५५ |
| | ६७-२ | ० ८३ |
| | ६६ | ४ ८२ |
| | ६८ | १ ७० |
| | ६५ | १ १६ |
| | ६९ | १ ९८ |
| | १८६ | १ ७२ |
| | एकूण . . | १७ ४५ |
| व्ही ७-सी ३ | १८५ | ३ २६ |
| | १९५ | ० ८७ |
| | १९८-१ | १ २१ |
| | १९८-२ | १ ८४ |
| | १९४ | ४ ५९ |
| | १९० | ० ८२ |
| | १९१ | ० ५४ |
| | १९२ | १ ३७ |
| | १९३ | १ ०१ |
| | १८८ | १ २३ |
| | १८९-१ | १ २१ |
| | १८९-२ | १ ७८ |
| | एकूण . . | १९ ७३ |
| व्ही ७-सी ४ | २३९ | २ ५५ |
| | २४० | १ ०१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | २३५ | १ ३७ |
| | २३६-१ | १ ०३ |
| | २३६-२ | ० ८३ |
| | २३३ | १ ३४ |
| | २३४ | २ ४३ |
| | २३७ | २ ८७ |
| | २०४ | १ ३६ |
| | २०६ | ० ८३ |
| | २०७ | ० ८१ |
| | २०८ | ० ८१ |
| | २०९ | ० ८१ |
| | २१० | १ ५२ |
| | | ——— |
| | एकूण . . | १९ ५७ |
| | | ——— |
| व्ही ७-सी ५ | २११ | २ १२ |
| | २१२ | १ ९७ |
| | २१३ | १ ७३ |
| | २३१ | २ ८३ |
| | २२९ | २ ६५ |
| | २२५ | १ १७ |
| | २२७ | ० ७९ |
| | २२८ | १ ९२ |
| | २३० | १ ०२ |
| | | ——— |
| | एकूण . . | १६ २ |
| | | ——— |
| व्ही ७-सी ६ | २१६ | १ ३१ |
| | २१७ | १ १५ |
| | २१८ | १ १५ |
| | २१९ | १ १५ |
| | २२०-१ | ० ८१ |
| | २२०-२ | २ ८२ |
| | २२०-३ | ० ९७ |
| | २२०-४ | १ २१ |
| | २२०-५ | १ २१ |
| | २२१ | १ २१ |
| | २२२ | १ २२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | २२३-१ | ० ९८ |
| | २२३-२ | १ २३ |
| | २२४ | १ ६८ |
| | | ——— |
| | एकूण . . | १८ १ |
| | | ——— |
| व्ही ३५-सी १ | १ | १ ८८ |
| | २ | ० ८१ |
| | ३ | ० ८३ |
| | ४ | १ ५५ |
| | २६८ | ३ २८ |
| | २६९-१ | ० ८० |
| | २६९-२ | ० ८१ |
| | २७० | ० ८४ |
| | २७१ | ० ८१ |
| | २७२ | ० ८३ |
| | २७३ | २ ८३ |
| | २७४ | २ २० |
| | | ——— |
| | एकूण . . | १७ ४७ |
| | | ——— |
| व्ही ३५-सी २ | २७९ | ० ५८ |
| | २८१ | ० १४ |
| | २८२ | ० २४ |
| | २८७ | ० ८६ |
| | २८६ | ३ ९४ |
| | २८३ | ० ७७ |
| | २८५ | १ १७ |
| | २८४ | ३ ०१ |
| | २७८ | ० ०० |
| | २८८ | ० ०० |
| | | ——— |
| | एकूण . . | १० ७१ |
| | | ——— |
| व्ही ३५-सी ३ | २६२ | १ ६२ |
| | २६३ | ४ १४ |
| | २६४ | २ ८८ |
| | २७५ | ३ ६२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | २७६ | १ ०० |
| | २७७ | ३ १३ |
| | एकूण . . | १६ ३९ |
| व्ही ३५-सी ४ | २६५ | १ ६२ |
| | २६६ | १ ६२ |
| | २६७-१ | १ २१ |
| | २६७-२ | १ ६० |
| | २६७-३ | १ ५९ |
| | २६७-४ | १ ५० |
| | २३७ | ३ ३९ |
| | २३८ | १ ७५ |
| | २३९ | १ ७५ |
| | २४० | १ ८६ |
| | २४१ | १ ८६ |
| | एकूण . . | १९ ७५ |
| व्ही ३५-सी ५ | २५९ | १ ५२ |
| | २६० | ० ७२ |
| | २५८ | २ ४० |
| | २६१ | ० ९१ |
| | २४६/१ | ० ७८ |
| | २४६/२ | ० ८४ |
| | २४७ | १ ६७ |
| | २४८ | १ ६७ |
| | २४९ | ० ९८ |
| | २५० | ० ९८ |
| | २५१ | १ ६१ |
| | २५२ | ० ७९ |
| | २५३ | ० ८९ |
| | २५४ | ० ९१ |
| | २५५ | ० ९२ |
| | २५६ | ० ७१ |
| | २५७ | १ १२ |
| | एकूण . . | १९ ४२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| व्ही ३५-सी ६ | २४४ | ५ ५१ |
| | २४२ | १ ८६ |
| | २४३ | १ ८६ |
| | २२६ | १ २० |
| | २२७ | ० ८१ |
| | २४५ | ० ५१ |
| | २२४ | १ २३ |
| | २२५ | १ ३५ |
| | २२३ | ६ ८१ |
| | एकूण . . | २१ १४ |
| व्ही ३५-सी ७ | २२० | ७ ४१ |
| | २२१ | ४ ०४ |
| | २२२ | ८ २४ |
| | एकूण . . | १९ ६९ |
| व्ही ३५-सी ८ | २१८/१ | ९ ४० |
| | २१८/२ | ४ ६३ |
| | २१९ | ६ ११ |
| | ५८ | २ ४२ |
| | एकूण . . | २२ ५६ |
| व्ही ३५-सी ९ | २१३ | १६ १७ |
| | २२८ | ४ ०६ |
| | एकूण . . | २० २३ |
| व्ही ३५-सी १० | २१० | ६ ९७ |
| | २११ | ३ ४४ |
| | २१२ | ० ९८ |
| | २१४/१ | १ ६२ |
| | २१५/१ | १ ०० |
| | २१५/२ | १ ८२ |
| | २१५/३ | ० ६२ |
| | २१६ | १ ३३ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | २१७-१ | ० ८१ |
| | २१७-२ | १ ४९ |
| | १०३ | २ १८ |
| | एकूण . . | २२ २६ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| निंबा | ८८ | १८५ ०२ |
| भातकुली | ७२ | ११७ ६७ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | | ३०२ ६९ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. - १,
अमरावती.

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५४.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION NO - III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Section 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, hereby, delineate area of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Grampanchayat*, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub-Division and Division and other prominent public places ;

Now, therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati also hereby, declare that, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water through Water User Association shall binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any person affected by this notification or part thereof, may, within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file and appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the Government gazette.

SCHEDULE

**Name of the Project :** Lower Pedhi Project, Taluka Bhatkuli, District Amravati

**Name & Address of WUA** : Proposed WUA-01, Village Nimba, Bhatkkuli, 0, 0, 0, Tal. Murtijapur/ Bhatkkuli, Dist. Amravati.

Total Area of WUA-01 : 302.69 Ha. (CCA).

| CHACK NO. | GUT NO. | AREA CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V 7-C 1 | 59 | 1 48 |
| | 99 | 1 34 |
| | 100 | 0 04 |
| | 101 | 0 05 |
| | 102 | 6 26 |
| | 98 | 3 47 |
| | 93 | 0 27 |
| | 94 | 0 91 |
| | 95 | 1 44 |
| | 96 | 1 44 |
| | 97 | 1 88 |
| | 60 | 1 50 |
| | 61 | 1 94 |
| | Total . . | 22 02 |
| V 7-C 2 | 73 | 2 69 |
| | 67-1 | 2 55 |
| | 67-2 | 0 83 |
| | 66 | 4 82 |
| | 68 | 1 70 |
| | 65 | 1 16 |
| | 69 | 1 98 |
| | 186 | 1 72 |
| | Total . . | 17 45 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V 7-C 3 | 185 | 3 26 |
| | 195 | 0 87 |
| | 198-1 | 1 21 |
| | 198-2 | 1 84 |
| | 194 | 4 59 |
| | 190 | 0 82 |
| | 191 | 0 54 |
| | 192 | 1 37 |
| | 193 | 1 01 |
| | 188 | 1 23 |
| | 189-1 | 1 21 |
| | 189-2 | 1 78 |
| | Total . . | 19 73 |
| V 7-C 4 | 239 | 2 55 |
| | 240 | 1 01 |
| | 235 | 1 37 |
| | 236-1 | 1 03 |
| | 236-2 | 0 83 |
| | 233 | 1 34 |
| | 234 | 2 43 |
| | 237 | 2 87 |
| | 204 | 1 36 |
| | 206 | 0 83 |
| | 207 | 0 81 |
| | 208 | 0 81 |
| | 209 | 0 81 |
| | 210 | 1 52 |
| | Total . . | 19 57 |
| V 7-C 5 | 211 | 2 12 |
| | 212 | 1 97 |
| | 213 | 1 73 |
| | 231 | 2 83 |
| | 229 | 2 65 |
| | 225 | 1 17 |
| | 227 | 0 79 |
| | 228 | 1 92 |
| | 230 | 1 02 |
| | Total . . | 16 20 |
| V 7-C 6 | 216 | 1 31 |
| | 217 | 1 15 |
| | 218 | 1 15 |
| | 219 | 1 15 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 220-1 | 0 81 |
| | 220-2 | 2 82 |
| | 220-3 | 0 97 |
| | 220-4 | 1 21 |
| | 220-5 | 1 21 |
| | 221 | 1 21 |
| | 222 | 1 22 |
| | 223-1 | 0 98 |
| | 223-2 | 1 23 |
| | 224 | 1 68 |
| | Total . . | 18 1 |
| V 35-C 1 | 1 | 1 88 |
| | 2 | 0 81 |
| | 3 | 0 83 |
| | 4 | 1 55 |
| | 268 | 3 28 |
| | 269-1 | 0 80 |
| | 269-2 | 0 81 |
| | 270 | 0 84 |
| | 271 | 0 81 |
| | 272 | 0 83 |
| | 273 | 2 83 |
| | 274 | 2 20 |
| | Total . . | 17 47 |
| V 35-C 2 | 279 | 0 58 |
| | 281 | 0 14 |
| | 282 | 0 24 |
| | 287 | 0 86 |
| | 286 | 3 94 |
| | 283 | 0 77 |
| | 285 | 1 17 |
| | 284 | 3 01 |
| | 278 | 0 00 |
| | 288 | 0 00 |
| | Total . . | 10 71 |
| V 35-C 3 | 262 | 1 62 |
| | 263 | 4 14 |
| | 264 | 2 88 |
| | 275 | 3 62 |
| | 276 | 1 00 |
| | 277 | 3 13 |
| | Total . . | 16 39 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V 35-C 4 | 265 | 1 62 |
| | 266 | 1 62 |
| | 267-1 | 1 21 |
| | 267-2 | 1 60 |
| | 267-3 | 1 59 |
| | 267-4 | 1 50 |
| | 237 | 3 39 |
| | 238 | 1 75 |
| | 239 | 1 75 |
| | 240 | 1 86 |
| | 241 | 1 86 |
| | Total . . | 19 75 |
| V 35-C 5 | 259 | 1 52 |
| | 260 | 0 72 |
| | 258 | 2 40 |
| | 261 | 0 91 |
| | 246/1 | 0 78 |
| | 246/2 | 0 84 |
| | 247 | 1 67 |
| | 248 | 1 67 |
| | 249 | 0 98 |
| | 250 | 0 98 |
| | 251 | 1 61 |
| | 252 | 0 79 |
| | 253 | 0 89 |
| | 254 | 0 91 |
| | 255 | 0 92 |
| | 256 | 0 71 |
| | 257 | 1 12 |
| | Total . . | 19 42 |
| V 35-C 6 | 244 | 5 51 |
| | 242 | 1 86 |
| | 243 | 1 86 |
| | 226 | 1 20 |
| | 227 | 0 81 |
| | 245 | 0 51 |
| | 224 | 1 23 |
| | 225 | 1 35 |
| | 223 | 6 81 |
| | Total . . | 21 14 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V 35-C 7 | 220 | 7 41 |
| | 221 | 4 04 |
| | 222 | 8 24 |
| | Total . . | 19 69 |
| V 35-C 8 | 218/1 | 9 40 |
| | 218/2 | 4 63 |
| | 219 | 6 11 |
| | 58 | 2 42 |
| | Total . . | 22 56 |
| V 35-C 9 | 213 | 16 17 |
| | 228 | 4 06 |
| | Total . . | 20 23 |
| V 35-C 10 | 210 | 6 97 |
| | 211 | 3 44 |
| | 212 | 0 98 |
| | 214/1 | 1 62 |
| | 215/1 | 1 00 |
| | 215/2 | 1 82 |
| | 215/3 | 0 62 |
| | 216 | 1 33 |
| | 217-1 | 0 81 |
| | 217-2 | 1 49 |
| | 103 | 2 18 |
| | Total . . | 22 26 |

VILLAGEWISE ABSTRACT

| VILLAGE (1) | GUT NO. (2) | AREA (CCA) (3) H. A. |
|---|---|---|
| Nimba | 88 | 185 02 |
| Bhatkkuli | 72 | 117 67 |
| TOTAL AREA OF W.U.A. . . | | 302 69 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५५.

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक ३०९९-तांशा-१-पाणी वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थानाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही, आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची

**प्रकल्पाचे नाव**— निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** (प्रस्तावित) :– डॅब्ल्यू यू ए-०२, गांव गौरखेडा, भातकुली, तालुका मूर्तीजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र**– २९८.७९ हेक्टर (सीसीए)

| चक नं. (१) | गट नं. (२) | क्षेत्र (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ७-सी ७ | १६५ | ० ८१ |
| | १६६ | ० ८१ |
| | १६७ | १ ६४ |
| | १६८ | १ ६२ |
| | १७० | २ ८४ |
| | १७१ | ४ २२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | १७२-१ | २ ९४ |
| | १७२-२ | ० ८१ |
| | १७२-३ | २ १२ |
| | २०३ | २ ०२ |
| | एकूण . . | १९ ८३ |
| व्ही ७-सी ८ | १७३ | ३ ९० |
| | १५९ | २ १२ |
| | १६० | २ ३८ |
| | १६१ | १ ०१ |
| | १५२ | ० ६३ |
| | १५३ | ० २९ |
| | १५४ | ० २९ |
| | १५५ | ० २८ |
| | १६२ | ० ८० |
| | १६३ | ० ६३ |
| | १५६ | ० ६० |
| | १४९ | २ ४२ |
| | १५० | २ ९९ |
| | १५१ | ० ८६ |
| | एकूण . . | १९ २० |
| व्ही ७-सी ९ | ११३ | १ ५० |
| | ११४ | ० ५३ |
| | ११५ | १ ५४ |
| | १४३/१ | २ ०९ |
| | १४३/२ | १ ६३ |
| | १४३/३ | ० ८१ |
| | १४३/४ | ० ८२ |
| | १४४ | ० ८७ |
| | १४५ | ० ६९ |
| | १४६ | ४ २३ |
| | १४७ | ११ २९ |
| | एकूण . . | २६ ०० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ३६-सी २ | ११ | ३ ३१ |
| | १२ | ८ ९३ |
| | १३-१ | २ २१ |
| | १३-१-अ | ४ ०४ |
| | एकूण . . | १८ ४९ |
| व्ही ३६-सी ३ | ९-१-सी | ० ९९ |
| | ९-१-ए | १ ३८ |
| | ९-१-बी | १ ८० |
| | ९-२ | २ ६६ |
| | १०-१-बी | ४ ९९ |
| | १०-१ | ३ ५१ |
| | १०-२ | ४ ६१ |
| | एकूण . . | १९ ९४ |
| व्ही ३६-सी ४ | ४०-१ | १ ६८ |
| | ४०-१-बी | १ १३ |
| | ४०-१-के | २ ४३ |
| | ४०-१-एफ | १ ०० |
| | ४०-१-डी | १ २१ |
| | ४०-२ | ४ ७९ |
| | ४१-१ | ५ १६ |
| | ४१-२ | ३ ६० |
| | एकूण . . | २१ ०० |
| व्ही ३६-सी ५ | ६ | ६ ४२ |
| | ७-१ | १ १९ |
| | ७-२ | १ ०१ |
| | ७-३ | १ ०१ |
| | ७-४ | ० ८१ |
| | ७-५ | १ ८१ |
| | ७-६ | २ ९२ |
| | ८ | ३ ५५ |
| | एकूण . . | १८ ७२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ३६-सी ६ | १४-१ | ० ८१ |
| | १४-१-ए | १ १४ |
| | १४/१/बी | ० ६१ |
| | १४-१-सी | १ २१ |
| | १४-१-डी | ० ८१ |
| | १४-२-ए | २ ४५ |
| | १४-२-बी | २ ०६ |
| | १४-३ | १ ७४ |
| | ४-१ | १ ४६ |
| | ४-२-ए | १ ०३ |
| | ४-२-बी | १ ०३ |
| | ४-२-सी | ३ २२ |
| | ४-३ | १ २१ |
| | १५-१ | ० ५४ |
| | १५-१-डी | २ २७ |
| | १५-२ | ० ५२ |
| | १५-३ | १ ३९ |
| | एकूण . . | २३ ५० |
| व्ही ३६-सी १२ | ४८-१-ए | ० ५५ |
| | ४८-१-बी | ० ८१ |
| | ४८-१-डी | ० ७९ |
| | ४८-१-एफ | २ ०५ |
| | ४८-२ | ० ४९ |
| | ४८-४ | ० ०० |
| | ४८-३ | ० ४७ |
| | ४९-१ | १ ९५ |
| | ४९-२ | ० ७० |
| | ४९-३ | ० ७४ |
| | ४७-१ | ० ०६ |
| | ४७-३ | १ ५८ |
| | ४७-४ | ० ६१ |
| | ४७-५ | १ ८४ |
| | ३३ | ८ ०३ |
| | ३४-१ | ० ४७ |
| | ३४-१-ए | ० ८१ |
| | ३४-२ | १ ३० |
| | एकूण . . | २३ २५ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| व्ही ३६-सी १३ | ५-१-ए | ४ ४७ |
| | ५-१-बी | ० ८१ |
| | ५-१-सी | ४ ११ |
| | ५-२ | ३ ८४ |
| | ३ | ९ ४५ |
| | एकूण . . | २२ ६८ |
| व्ही ३६-सी १४ | ४२-१ | ० ८१ |
| | ४२-२ | ३ ३४ |
| | ४२-३ | ३ ३४ |
| | ४५-१ | २ ९५ |
| | ४५-२ | ५ ०८ |
| | ४४-२ | ० ८१ |
| | ४४-३ | १ ०७ |
| | ३८-१ | ० ८६ |
| | ३८-१-ए | १ ७३ |
| | ३८-२ | १ ९८ |
| | ३८-३ | १ ०१ |
| | ३८-४ | १ ४१ |
| | ३८-५ | २ ०३ |
| | एकूण . . | २६ ४२ |
| व्ही ३६-सी १५ | ३९-१ | १ १७ |
| | ३९-१-ए | ० ८४ |
| | ३९-१-बी | ३ १३ |
| | ३९-१-डी | १ ६२ |
| | ३९-१-के | १ ६२ |
| | ३९-२-ए | ० ९१ |
| | ३९-३ | ० ९७ |
| | ३९-४ | २ ४५ |
| | ४३-१ | १ २१ |
| | ४३-२ | १ ७३ |
| | ४३-३ | ० ९७ |
| | ४३-४ | १ २१ |
| | ४३-५ | ० ८१ |
| | ४३-६ | १ ३१ |
| | ४३-७ | १ ६७ |
| | एकूण . . | २१ ६२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| व्ही ३६-सी १६ | ३६-१-के | ० ९८ |
| | ३६-२ | १ ७१ |
| | ३६-१-ए | ० ८९ |
| | ३६-१-बी | १ ६८ |
| | ३६-१ | ० ९७ |
| | ३६-३ | १ ४६ |
| | ३६-४ | १ ४७ |
| | ३७ | ६ ५६ |
| | एकूण . . | १५ ७२ |
| व्ही ३६-सी १७ | ३५-१ | १ ७८ |
| | ३५-२-ए | १ ६२ |
| | ३५-२-बी | ० ८० |
| | ३५-२-डी | ० ८१ |
| | ३५-२-इ | १ ६२ |
| | ३५-२-के | ० ४७ |
| | ३५-३ | ४ १५ |
| | ३५-४ | ० ३६ |
| | ४६-१-ए | १ २८ |
| | ४६-१-बी | १ २८ |
| | ४६-१-के | २ १० |
| | ४६-२ | ६ १५ |
| | एकूण . . | २२ ४२ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| गौरखेडा | ११५ | २३३ ७६ |
| भातकुली | ३५ | ६५ ०३ |
| | पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | २९८ ७९ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. - १,
अमरावती.

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५६.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

***NOTIFICATION NO - III***

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, hereby, delineate area of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Grampanchayat*, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub-Division and Division and other prominent public places.

Now, therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati also hereby, declare that, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water through Water User Association shall be binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any person affected by this notification or part thereof, may, within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file and appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the Government gazette.

SCHEDULE

**Name of the Project :** Lower Pedhi Project, Taluka Bhatkuli, District Amravati

**Name & Address of WUA** : Proposed WUA-02, Village :- Gaurkhed, Bhatkkuli, Tal. Murtijapur/Bhatkkuli, Dist. Amravati.

Total Area of WUA : 298.79 H. A. (CCA)

| CHACK NO. | GUT NO. | AREA CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V 7-C 7 | 165 | 0 81 |
| | 166 | 0 81 |
| | 167 | 1 64 |
| | 168 | 1 62 |
| | 170 | 2 84 |
| | 171 | 4 22 |
| | 172-1 | 2 94 |
| | 172-2 | 0 81 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 172-3 | 2 12 |
| | 203 | 2 02 |
| | Total . . | 19 83 |
| V7-C8 | 173 | 3 90 |
| | 159 | 2 12 |
| | 160 | 2 38 |
| | 161 | 1 01 |
| | 152 | 0 63 |
| | 153 | 0 29 |
| | 154 | 0 29 |
| | 155 | 0 28 |
| | 162 | 0 80 |
| | 163 | 0 63 |
| | 156 | 0 60 |
| | 149 | 2 42 |
| | 150 | 2 99 |
| | 151 | 0 86 |
| | Total . . | 19 20 |
| V7-C9 | 113 | 1 50 |
| | 114 | 0 53 |
| | 115 | 1 54 |
| | 143/1 | 2 09 |
| | 143/2 | 1 63 |
| | 143/3 | 0 81 |
| | 143/4 | 0 82 |
| | 144 | 0 87 |
| | 145 | 0 69 |
| | 146 | 4 23 |
| | 147 | 11 29 |
| | Total . . | 26 00 |
| V36-C2 | 11 | 3 31 |
| | 12 | 8 93 |
| | 13-1 | 2 21 |
| | 13-1-a | 4 04 |
| | Total . . | 18 49 |
| V36-C3 | 9-1-c | 0 99 |
| | 9-1-a | 1 38 |
| | 9-1-b | 1 80 |
| | 9-2 | 2 66 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 10-1-b | 4 99 |
| | 10-1 | 3 51 |
| | 10-2 | 4 61 |
| | Total . . | 19 94 |
| V36-C4 | 40-1 | 1 68 |
| | 40-1-b | 1 13 |
| | 40-1-k | 2 43 |
| | 40-1-f | 1 00 |
| | 40-1-d | 1 21 |
| | 40-2 | 4 79 |
| | 41-1 | 5 16 |
| | 41-2 | 3 60 |
| | Total . . | 21 00 |
| V36-C5 | 6 | 6 42 |
| | 7-1 | 1 19 |
| | 7-2 | 1 01 |
| | 7-3 | 1 01 |
| | 7-4 | 0 81 |
| | 7-5 | 1 81 |
| | 7-6 | 2 92 |
| | 8 | 3 55 |
| | Total . . | 18 72 |
| V36-C6 | 14-1 | 0 81 |
| | 14-1-a | 1 14 |
| | 14/1/B | 0 61 |
| | 14-1-C | 1 21 |
| | 14-1-d | 0 81 |
| | 14-2-A | 2 45 |
| | 14-2-b | 2 06 |
| | 14-3 | 1 74 |
| | 4-1 | 1 46 |
| | 4-2-a | 1 03 |
| | 4-2-b | 1 03 |
| | 4-2-c | 3 22 |
| | 4-3 | 1 21 |
| | 15-1 | 0 54 |
| | 15-1-d | 2 27 |
| | 15-2 | 0 52 |
| | 15-3 | 1 39 |
| | Total . . | 23 50 |
| V36-C12 | 48-1-a | 0 55 |
| | 48-1-b | 0 81 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 48-1-d | 0 79 |
| | 48-1-f | 2 05 |
| | 48-2 | 0 49 |
| | 48-4 | 0 00 |
| | 48-3 | 0 47 |
| | 49-1 | 1 95 |
| | 49-2 | 0 70 |
| | 49-3 | 0 74 |
| | 47-1 | 0 06 |
| | 47-3 | 1 58 |
| | 47-4 | 0 61 |
| | 47-5 | 1 84 |
| | 33 | 8 03 |
| | 34-1 | 0 47 |
| | 34-1-a | 0 81 |
| | 34-2 | 1 30 |
| | Total . . | 23 25 |
| V36-C13 | 5-1-A | 4 47 |
| | 5-1-B | 0 81 |
| | 5-1-C | 4 11 |
| | 5-2 | 3 84 |
| | 3 | 9 45 |
| | Total . . | 22 68 |
| V36-C14 | 42-1 | 0 81 |
| | 42-2 | 3 34 |
| | 42-3 | 3 34 |
| | 45-1 | 2 95 |
| | 45-2 | 5 08 |
| | 44-2 | 0 81 |
| | 44-3 | 1 07 |
| | 38-1 | 0 86 |
| | 38-1-a | 1 73 |
| | 38-2 | 1 98 |
| | 38-3 | 1 01 |
| | 38-4 | 1 41 |
| | 38-5 | 2 03 |
| | Total . . | 26 42 |
| V36-C15 | 39-1 | 1 17 |
| | 39-1-a | 0 84 |
| | 39-1-b | 3 13 |
| | 39-1-d | 1 62 |
| | 39-1-k | 1 62 |
| | 39-2-a | 0 91 |
| | 39-3 | 0 97 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 39-4 | 2 45 |
| | 43-1 | 1 21 |
| | 43-2 | 1 73 |
| | 43-3 | 0 97 |
| | 43-4 | 1 21 |
| | 43-5 | 0 81 |
| | 43-6 | 1 31 |
| | 43-7 | 1 67 |
| | Total . . | 21 62 |
| V36-C16 | 36-1-k | 0 98 |
| | 36-2 | 1 71 |
| | 36-1-a | 0 89 |
| | 36-1-b | 1 68 |
| | 36-1 | 0 97 |
| | 36-3 | 1 46 |
| | 36-4 | 1 47 |
| | 37 | 6 56 |
| | Total . . | 15 72 |
| V36-C17 | 35-1 | 1 78 |
| | 35-2-a | 1 62 |
| | 35-2-b | 0 80 |
| | 35-2-d | 0 81 |
| | 35-2-e | 1 62 |
| | 35-2-k | 0 47 |
| | 35-3 | 4 15 |
| | 35-4 | 0 36 |
| | 46-1-a | 1 28 |
| | 46-1-b | 1 28 |
| | 46-1-k | 2 10 |
| | 46-2 | 6 15 |
| | Total . . | 22 42 |

VILLAGEWISE ABSTRACT

| VILLAGE (1) | GUT NO. (2) | AREA (CCA) (3) H. A. |
|---|---|---|
| Gaurkheda | 115 | 233 76 |
| Bhatkkuli | 35 | 65 03 |
| TOTAL AREA OF W.U.A. . . | | 298 79 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५७.

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक ३०९९-तांशा-१-पाणी वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थानाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही, आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची

**प्रकल्पाचे नाव**— निम्र पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** :– प्रस्तावित डॅब्ल्यू यू ए-०३, गांव गौरखेडा, कौठानिंभोरा, परलम,शेरपूर, तालुका मूर्तीजापूर/ भातकुली, जिल्हा अमरावती.

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र– २९१.२५ हेक्टर (सीसीए)

| चक नं. (१) | गट नं. (२) | क्षेत्र (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ३६-सी १ | १७/१/अ | १ ५७ |
| | १७/१/बी | ० ८३ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | १७-३ | ० ८५ |
| | १७-२ | ६ ०० |
| | १८-१ | ० ६१ |
| | १८-१-अ | ० ६० |
| | १८/१/ब | १ ५६ |
| | १८/२ | ० ८० |
| | १९/१ | २ ०१ |
| | १९/२ | १ ५७ |
| | १९-३ | २ ५२ |
| | एकूण . . | १८ ९२ |
| व्ही ३६-सी ७ | १६-१ | १ ५२ |
| | १६-२ | ४ ४५ |
| | २१-१ | ० ५६ |
| | २१-२ | १ ३५ |
| | २१-३ | ० ४० |
| | २२-१ | २ ०३ |
| | २२-२ | २ ९० |
| | २३-१ | ५ ३९ |
| | २३-२ | १ ५७ |
| | एकूण . . | २० १७ |
| व्ही ३६-सी ८ | १/१ | २ ७५ |
| | १/२ | ४ ७३ |
| | २४-१ | २ ८८ |
| | २४-२ | १ ०५ |
| | २४-३ | ० ८४ |
| | २४-४ | ० ८५ |
| | २५/१/अ | ० ९८ |
| | २५-१-क | ० ०० |
| | २५-१-ब | ० ९३ |
| | २५-२ | २ २२ |
| | एकूण . . | १७ २३ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ३६-सी ९ | २८ | ९ ०६ |
| | २९-१ | १ ६४ |
| | २९-२ | १ ६५ |
| | २९-३ | १ ६५ |
| | २९-४ | १ ६५ |
| | एकूण . . | १५ ६५ |
| व्ही ३६-सी १० | २६ | २ ६७ |
| | २७-१ | २ ९० |
| | २७-१-अ | २ ३४ |
| | २७-२ | १ ६८ |
| | २७-४ | ७ ०४ |
| | एकूण . . | १६ ६३ |
| व्ही ३६-सी ११ | ५०-१ | ६ ६४ |
| | ५०-२ | ० ८३ |
| | ३०-२ | ३ ०३ |
| | ३०-३ | ४ ३६ |
| | ३१ | २ ७१ |
| | ३२-१ | १ ०८ |
| | ३२-२ | १ ०२ |
| | ३२-३ | २ २६ |
| | एकूण . . | २१ ९३ |
| व्ही ३९-सी १ | ५२ | २ ०३ |
| | ५३ | १ ४६ |
| | ५० | १ ३२ |
| | ५१ | १ ५० |
| | ४७ | १ ३० |
| | ४८ | १ ३२ |
| | ४९ | १ २१ |
| | ४५ | ० ८० |
| | ४६ | १ ६० |
| | ४३ | १ ७३ |
| | ४४ | १ ६१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | ५४ | १ ४८ |
| | ५७ | २ ०८ |
| | एकूण . . | १९ ४४ |
| व्ही ३९-सी २ | ५५ | ० ७४ |
| | ५६-१ | ० ९९ |
| | ५६-२ | ० ९९ |
| | ५८ | १ ६२ |
| | ६१ | ० ८१ |
| | ६२ | १ ०२ |
| | ५९ | १ ०२ |
| | ६० | ० ९१ |
| | ६३ | ० ९१ |
| | ६४-१ | १-१४ |
| | ६४-२ | १-१३ |
| | ६४-३ | १ १२ |
| | ६५ | ० ८७ |
| | ६६ | १ ६८ |
| | ६७ | ० |
| | ३१-१ | १ ५६ |
| | ३१-२ | १ ५५ |
| | ३२ | १ ५३ |
| | एकूण . . | १९ ५९ |
| व्ही ३९-सी ३ | २९ | १ ५८ |
| | ३० | १ ५८ |
| | ३३ | १ ९७ |
| | ३४ | १ ९६ |
| | ३५ | ४ ०७ |
| | ३६ | १ ९२ |
| | ३७-१ | ० ९६ |
| | ३७-२ | ० ९५ |
| | ३८ | १ २१ |
| | ३९ | १ २१ |
| | ४० | १ २१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | ४१ | १ २१ |
| | ४२ | ३ ३९ |
| | एकूण . . | २३ २२ |
| व्ही ४०-सी १ | १८१ | १ ५८ |
| | १८२ | १ ५७ |
| | २१० | ५ ०१ |
| | २१४/१ | ० ७४ |
| | २१४/२ | ० ६८ |
| | २१४/३ | ० ७० |
| | २१४/४ | २ ०४ |
| | एकूण . . | १२ ३२ |
| व्ही ४०-सी २ | १८३ | १ ५४ |
| | १८४ | १ ६२ |
| | १८५ | १ ६२ |
| | १८६ | १ ६२ |
| | १८७ | १ ७३ |
| | १८८ | ० ९६ |
| | १८९ | १ ४८ |
| | १९० | २ २७ |
| | १९१ | ० ७७ |
| | १९२ | ५ २९ |
| | एकूण . . | १८ ९० |
| व्ही ४०-सी ३ | १९३/१ | ० ८५ |
| | १९३/२ | १ ०६ |
| | १९३/४ | ० ९६ |
| | १९४ | ५ ८२ |
| | १९५ | २ ४६ |
| | १९६ | ० ८२ |
| | १९७ | ० ८२ |
| | १९८ | १ ८५ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | १९९ | ० ५० |
| | २०० | १ ३१ |
| | एकूण . . | १६ ४५ |
| व्ही ४०-सी ४ | २०१ | ० ८६ |
| | २०२ | १ ६१ |
| | २०३ | ४ १७ |
| | २०४ | १ ९७ |
| | २०५ | १ ३४ |
| | २०६ | १ २१ |
| | २११/१ | १ ४१ |
| | २११/२ | २ ८८ |
| | २१२ | १ ५६ |
| | २१३ | १ ५८ |
| | एकूण . . | १८ ५९ |
| व्ही ४०-सी ५ | २०७/१ | १ २० |
| | २०७/२ | ० ५९ |
| | २०७/३ | ० ९० |
| | २०७/४ | ० ७८ |
| | २०८ | ५ ६६ |
| | २०९ | ६ ०९ |
| | एकूण . . | १५ २२ |
| व्ही ४५-सी १ | १७७ | ३ ०८ |
| | १७८ | ७ ० |
| | १८७ | ० ८ |
| | १८८ | २ ८१ |
| | १८९ | ४ २८ |
| | एकूण . . | १७ ९५ |
| व्ही ४५-सी २ | २१६ | ३ २४ |
| | २१७ | १ ६२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | २१८ | १ ६२ |
| | २१९ | ० ८१ |
| | २२० | ० ८१ |
| | २२१ | १ ५७ |
| | २२२ | १ ५७ |
| | २२३ | २ ४३ |
| | २२९ | ० ८१ |
| | १९० | ४ ५६ |
| | एकूण . . | १९ ०४ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| गौरखेडा | ४८ | ११० ५३ |
| कौठानिंभोरा | १५ | ३६ ९९ |
| परलम | ४८ | ८१ ४८ |
| शेरपूर | ४४ | ६२ २५ |
| | पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | २९१ २५ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. - १,
अमरावती.

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५८.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION NO - III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative Convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati,

hereby, delineate the areas of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Grampanchayat*, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub-Division and Division and other prominent public places ;

Now, therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati also hereby, declare that, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water through Water User Association shall binding on all the holders and the occupiers of the lands under Maharashtra Management Irrigation System by Farmers Act-2005 ;

Any person affected by this notification or part thereof, may, within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file and appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the Government gazette.

SCHEDULE

**Name of the Project :** Lower Pedhi Project, Taluka Bhatkuli, District Amravati

**Name & Address of WUA** : Proposed WUA-03, Village Gaurkheda, Kautha Nimbhora, Parlam, Sherpur, Tal. Murtijapur/Bhatkuli, Dist. Amravati.

Total Area of WUA-03 : 291.25 Ha. (CCA).

| CHACK NO. | GUT NO. | AREA CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V36-C1 | 17/1/A | 1 57 |
| | 17/1/B | 0 83 |
| | 17-3 | 0 85 |
| | 17-2 | 6 00 |
| | 18-1 | 0 61 |
| | 18-1-A | 0 60 |
| | 18/1/B | 1 56 |
| | 18/2 | 0 80 |
| | 19/1 | 2 01 |
| | 19/2 | 1 57 |
| | 19-3 | 2 52 |
| | Total . . | 18 92 |
| V36-C7 | 16-1 | 1 52 |
| | 16-2 | 4 45 |
| | 21-1 | 0 56 |
| | 21-2 | 1 35 |
| | 21-3 | 0 40 |
| | 22-1 | 2 03 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 22-2 | 2 90 |
| | 23-1 | 5 39 |
| | 23-2 | 1 57 |
| | Total . . | 20 17 |
| V36-C8 | 1/1 | 2 75 |
| | 1/2 | 4 73 |
| | 24-1 | 2 88 |
| | 24-2 | 1 05 |
| | 24-3 | 0 84 |
| | 24-4 | 0 85 |
| | 25/1/A | 0 98 |
| | 25-1-K | 0 00 |
| | 25-1-B | 0 93 |
| | 25-2 | 2 22 |
| | Total . . | 17 23 |
| V36-C9 | 28 | 9 06 |
| | 29-1 | 1 64 |
| | 29-2 | 1 65 |
| | 29-3 | 1 65 |
| | 29-4 | 1 65 |
| | Total . . | 15 65 |
| V36-C10 | 26 | 2 67 |
| | 27-1 | 2 90 |
| | 27-1-A | 2 34 |
| | 27-2 | 1 68 |
| | 27-4 | 7 04 |
| | Total . . | 16 63 |
| V36-C11 | 50-1 | 6 64 |
| | 50-2 | 0 83 |
| | 30-2 | 3 03 |
| | 30-3 | 4 36 |
| | 31 | 2 71 |
| | 32-1 | 1 08 |
| | 32-2 | 1 02 |
| | 32-3 | 2 26 |
| | Total . . | 21 93 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V39-C1 | 52 | 2 03 |
| | 53 | 1 46 |
| | 50 | 1 32 |
| | 51 | 1 50 |
| | 47 | 1 30 |
| | 48 | 1 32 |
| | 49 | 1 21 |
| | 45 | 0 80 |
| | 46 | 1 60 |
| | 43 | 1 73 |
| | 44 | 1 61 |
| | 54 | 1 48 |
| | 57 | 2 08 |
| | Total . . | 19 44 |
| V39-C2 | 55 | 0 74 |
| | 56-1 | 0 99 |
| | 56-2 | 0 99 |
| | 58 | 1 62 |
| | 61 | 0 81 |
| | 62 | 1 02 |
| | 59 | 1 02 |
| | 60 | 0 91 |
| | 63 | 0 91 |
| | 64-1 | 1 14 |
| | 64-2 | 1 13 |
| | 64-3 | 1 12 |
| | 65 | 0 87 |
| | 66 | 1 68 |
| | 67 | 0 |
| | 31-1 | 1 56 |
| | 31-2 | 1 55 |
| | 32 | 1 53 |
| | Total . . | 19 59 |
| V39-C3 | 29 | 1 58 |
| | 30 | 1 58 |
| | 33 | 1 97 |
| | 34 | 1 96 |
| | 35 | 4 07 |
| | 36 | 1 92 |
| | 37-1 | 0 96 |
| | 37-2 | 0 95 |
| | 38 | 1 21 |
| | 39 | 1 21 |
| | 40 | 1 21 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 41 | 1 21 |
| | 42 | 3 39 |
| | Total . . | 23 22 |
| V40-C1 | 181 | 1 58 |
| | 182 | 1 57 |
| | 210 | 5 01 |
| | 214/1 | 0 74 |
| | 214/2 | 0 68 |
| | 214/3 | 0 70 |
| | 214/4 | 2 04 |
| | Total . . | 12 32 |
| V40-C2 | 183 | 1 54 |
| | 184 | 1 62 |
| | 185 | 1 62 |
| | 186 | 1 62 |
| | 187 | 1 73 |
| | 188 | 0 96 |
| | 189 | 1 48 |
| | 190 | 2 27 |
| | 191 | 0 77 |
| | 192 | 5 29 |
| | Total . . | 18 90 |
| V40-C3 | 193/1 | 0 85 |
| | 193/2 | 1 06 |
| | 193/4 | 0 96 |
| | 194 | 5 82 |
| | 195 | 2 46 |
| | 196 | 0 82 |
| | 197 | 0 82 |
| | 198 | 1 85 |
| | 199 | 0 50 |
| | 200 | 1 31 |
| | Total . . | 16 45 |
| V40-C4 | 201 | 0 86 |
| | 202 | 1 61 |
| | 203 | 4 17 |
| | 204 | 1 97 |
| | 205 | 1 34 |
| | 206 | 1 21 |
| | 211/1 | 1 41 |
| | 211/2 | 2 88 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 212 | 1 56 |
| | 213 | 1 58 |
| | Total . . | 18 59 |
| V40-C5 | 207/1 | 1 20 |
| | 207/2 | 0 59 |
| | 207/3 | 0 90 |
| | 207/4 | 0 78 |
| | 208 | 5 66 |
| | 209 | 6 09 |
| | Total . . | 15 22 |
| V45-C1 | 177 | 3 08 |
| | 178 | 7 0 |
| | 187 | 0 8 |
| | 188 | 2 81 |
| | 189 | 4 28 |
| | Total . . | 17 95 |
| V45-C2 | 216 | 3 24 |
| | 217 | 1 62 |
| | 218 | 1 62 |
| | 219 | 0 81 |
| | 220 | 0 81 |
| | 221 | 1 57 |
| | 222 | 1 57 |
| | 223 | 2 43 |
| | 229 | 0 81 |
| | 190 | 4 56 |
| | Total . . | 19 04 |

VILLAGE WISE ABSTRACT

| VILLAGE (1) | GUT NO. (2) | AREA (CCA) (3) H. A. |
|---|---|---|
| Gaurkheda | 48 | 110 53 |
| Kautha Nimbhora | 15 | 36 99 |
| Parlam | 48 | 81 48 |
| Sherpur | 44 | 62 25 |
| TOTAL AREA OF W.U.A. . . | | 291 25 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २५९.

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक ३०९९-तांशा-१-पाणी वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थानाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही, आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची-'अ'

**प्रकल्पाचे नाव**— निम्र पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** :– प्रस्तावित डॅब्ल्यू यू ए-०४, गांव गणोरी, तालुका मूर्तीजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र– ३०५.९६ हेक्टर (सीसीए)

| चक नं. (१) | गट नं. (२) | क्षेत्र (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ३८-सी १ | ३०५.१ | १ २१ |
| | ३०५.२ | १ ६२ |
| | ३०५.३ | १ ६२ |
| | ३०५.४ | १ २१ |
| | ३०५.५ | ० ८१ |
| | ३०५.६ | ० ८१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ३०५.७ | १ ७७ |
| | ३०२ | १ ८४ |
| | ३०३ | १ ३१ |
| | २९८ | १ ४४ |
| | ३०० | १ २७ |
| | ३०१ | १ १२ |
| | ३०४ | ० ७० |
| | २७७ | ० ६० |
| | २७८ | ० ८१ |
| | २७९ | ० ८१ |
| | २८० | ० ६६ |
| | २७६/१ | १ ४५ |
| | २७६/२ | १ ४५ |
| | एकूण . . | २२ ५१ |
| व्ही ३८-सी २ | ३०७/१ | १ १३ |
| | ३०७/२ | १ १३ |
| | ३०७/३ | १ ३८ |
| | ३०८ | ४ ०५ |
| | २७३/१ | ० ८१ |
| | २७३/२ | १ ८६ |
| | २७३/३ | १ ५९ |
| | २७३/४ | १ ६२ |
| | २४५/१ | ० ८४ |
| | २४६/१ | ० ८० |
| | २४६/२ | ० ८० |
| | एकूण . . | १६ ०१ |
| व्ही ३८-सी ३ | १अ | १ ४८ |
| | २ | २ ०१ |
| | ४८ | ० ७४ |
| | ४९ | ० ६३ |
| | ५० | ० १० |
| | ५१ | ० ०८ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर |
| | ५२ | ० ३८ |
| | ५४-१ | ० ६१ |
| | ५४-२ | ० ८० |
| | ५४-३ | ० ६९ |
| | ३ | ० ९९ |
| | ४ | १ ०० |
| | ५ | ० ४६ |
| | ६/१ | ३ १६ |
| | ६/२ | १ ६५ |
| | ४७ | १ ६२ |
| | ५५ | ० ८३ |
| | एकूण . . | १७ २३ |
| व्ही ३८-सी ४ | ५७ | ३ ६१ |
| | ५६ | १ १७ |
| | १३० | १ ६० |
| | १३१ | १ १८ |
| | १३२ | १ २६ |
| | १३६.१ | १ ०० |
| | १३६-२ | १ ०८ |
| | १३६-३ | १ ६७ |
| | १२५ | ० ३८ |
| | १२६ | ० ५४ |
| | १२७ | १ ५५ |
| | १२८-१ | ० ८६ |
| | १२८-२ | १ ०० |
| | १२८-३ | ० ९६ |
| | १२८-४ | ० ८५ |
| | १२८-५ | ० ५१ |
| | एकूण . . | १९ २२ |
| व्ही ३८-सी ५ | २११ | ५ २९ |
| | ३१४ | १ २२ |
| | ३१५ | १ १५ |
| | ३१६ | ३ २५ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | २०९/१ | १ २० |
| | २०९/२ | ५ ५० |
| | २१० | ३ ९४ |
| | एकूण . . | २१ ५५ |
| व्ही ३८-सी ६ | ३९२/१ | १ ०९ |
| | ३९२/२ | ८ ३३ |
| | ३९२/३ | २ ८० |
| | ३७२ | १ ४२ |
| | एकूण . . | १३ ६४ |
| व्ही ३८-सी ७ | २४० | १ ४३ |
| | २४२ | १ ८६ |
| | २४३ | १ ७८ |
| | २४४ | १ ७४ |
| | २४८ | ३ ३७ |
| | २५० | २ ९० |
| | २७० | १ ४५ |
| | एकूण . . | १४ ५३ |
| व्ही ३८-सी ८ | ३९३ | २ ३५ |
| | ३९०/१.अ | २ ०२ |
| | ३९०/१.ब | १ १९ |
| | ३९०/१.आय | ० ८१ |
| | ३९०/२.अ | १ ७२ |
| | ३९०/२ब | ० ८९ |
| | ३९०/२ड | ० ९५ |
| | ३९०/२इ | ० ८९ |
| | ३९०.२आय | ० ८९ |
| | ३८७ | ७ ५९ |
| | ३०९ | ० |
| | एकूण . . | १९ ३० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ३८-सी ९ | ३८६/१ | ० ८१ |
| | ३८६/२ | ० ८३ |
| | ३८६/३ | १ ५८ |
| | ३८६/४ | १ ५९ |
| | ३८६/५ | ० ८१ |
| | ३८२ | ० ८१ |
| | ३८३ | ० ८१ |
| | ३८४ | ० ८१ |
| | ३८५ | ० ८१ |
| | ३३७ | ५ ९४ |
| | ३८८.१ | २ ४३ |
| | २८८.२ | २ ७७ |
| | एकूण . . | २० ०० |
| व्ही ३८-सी १० | ३३८/१ | ७ ७३ |
| | ३३८/२ | १ २१ |
| | ३८०/१ | ४ ०१ |
| | ३८०/२ | १ २१ |
| | ३३१ | ५ ६० |
| | एकूण . . | १९ ७६ |
| व्ही ३८-सी ११ | ३३२ | १ ७४ |
| | ३३३ | १ ९२ |
| | ३२३/१ | २ ४३ |
| | ३२३/२ | १ १९ |
| | ३२३/३ | १ ६० |
| | ३२३/४ | १ ६० |
| | ३११ | २ ५५ |
| | ३१० | ३ ३१ |
| | ३१२ | ३ १० |
| | एकूण . . | १९ ४४ |
| व्ही ३८-सी १२ | ३२१ | ४ ९१ |
| | ३२२ | १ ६८ |
| | ४८३/१ | २ ०० |
| | ४८३/२ | १ ७५ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | ४८३/३ | १ ८० |
| | ४८३/४ | १ ९४ |
| | ४८३/५ | १ ७४ |
| | ४८४ | १ १७ |
| | ४८५ | ० ८१ |
| | ४८६ | २ २९ |
| | एकूण . . | २० ०९ |
| व्ही ३८-सी १३ | ३१९ | २ ०५ |
| | ३२० | १ ८४ |
| | ३१८/१ | १ ८१ |
| | ३१८/२ | १ ३५ |
| | ५२१/१ | १ १६ |
| | ५२१/२ | १ १७ |
| | ५२१/३ | १ १७ |
| | ६३५ | ४ ३२ |
| | ५२२ | १ २४ |
| | ५२३ | १ ४४ |
| | ५२४ | ४ ६० |
| | एकूण . . | २२ १५ |
| व्ही ३८-सी १४ | ४८८ | १ ३६ |
| | ४८९ | २ ६४ |
| | ४९० | ० ८१ |
| | ४९१/१ | १ ६२ |
| | ४९१/२ | १ २६ |
| | ४९१/३ | २ ०५ |
| | ४९१/४ | ६ ८५ |
| | ४९२ | १ ८४ |
| | ४९३ | २ १३ |
| | एकूण . . | २० ५६ |
| व्ही ३८-सी १५ | ६२५ | २ ४६ |
| | ६२६ | १ ५७ |
| | ६२७ | १ ०० |
| | ६२८ | २ ५८ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर |
|---|---|---|
| | ६२९ | १ ६० |
| | ६३० | १ ९६ |
| | ६३१ | १ ६२ |
| | ६३२/१ | ० ७१ |
| | ६३२/२ | ० ४० |
| | ६३३/१ | २ ०३ |
| | ६३३/२ | २ ०४ |
| | ५२६/१ | ० ७७ |
| | ५२६/२ | ० ८१ |
| | ५२६/३ | ० ८१ |
| | एकूण . . | २० ३६ |
| व्ही ३८-सी ३० | ४७६/१ | १ २८ |
| | ४७६/२ | १ ६२ |
| | ४७७ | १ ६५ |
| | ४७८ | ३ १० |
| | ४७५ | ४ ११ |
| | ४४९ | ० ६५ |
| | ४५५ | ३ १७ |
| | ४५० | २ ४२ |
| | ४५१ | १ ६१ |
| | एकूण . . | १९ ६१ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव (१) | गट नंबर (२) | क्षेत्र (३) हे. आर |
|---|---|---|
| गणोरी | १७१ | ३०५ ९६ |
| | पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | ३०५ ९६ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. - १,
अमरावती.

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION NO - III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUA's) on Volumetric basis and as per Administrative Convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, hereby, delineate the areas of Operation of following WUA's and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Grampanchayat*, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub-Division and Division and at other prominent public places ;

Now, therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati also hereby, declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land & the system of supply of water through Water User Association shall binding on all the holders and the occupiers of the lands under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act-2005 ;

Any person affected by this notification or part thereof, may, within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file an appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the Government gazette.

SCHEDULE

**Name of the Project :** Lower Pedhi Project, Taluka Bhatkuli, District Amravati

**Name & Address of WUA** : Proposed WUA-04, Village Ganori, Tal. Murtijapur/Bhatkkuli, Dist. Amravati.

Total Area of WUA-04 : 305.96 Ha. (CCA).

| CHACK NO. | GUT NO. | AREA CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V38-C1 | 305/1 | 1 21 |
| | 305/2 | 1 62 |
| | 305/3 | 1 62 |
| | 305/4 | 1 21 |
| | 305/5 | 0 81 |
| | 305/6 | 0 81 |
| | 305/7 | 1 77 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 302 | 1 84 |
| | 303 | 1 31 |
| | 298 | 1 44 |
| | 300 | 1 27 |
| | 301 | 1 12 |
| | 304 | 0 70 |
| | 277 | 0 60 |
| | 278 | 0 81 |
| | 279 | 0 81 |
| | 280 | 0 66 |
| | 276/1 | 1 45 |
| | 276/2 | 1 45 |
| | Total . . | 22 51 |
| V38-C2 | 307/1 | 1 13 |
| | 307/2 | 1 13 |
| | 307/3 | 1 38 |
| | 308 | 4 05 |
| | 273/1 | 0 81 |
| | 273/2 | 1 86 |
| | 273/3 | 1 59 |
| | 273/4 | 1 62 |
| | 245/1 | 0 84 |
| | 246/1 | 0 80 |
| | 246/2 | 0 80 |
| | Total . . | 16 01 |
| V38-C3 | 1A | 1 48 |
| | 2 | 2 01 |
| | 48 | 0 74 |
| | 49 | 0 63 |
| | 50 | 0 10 |
| | 51 | 0 08 |
| | 52 | 0 38 |
| | 54/1 | 0 61 |
| | 54/2 | 0 80 |
| | 54/3 | 0 69 |
| | 3 | 0 99 |
| | 4 | 1 00 |
| | 5 | 0 46 |
| | 6/1 | 3 16 |
| | 6/2 | 1 65 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 47 | 1 62 |
| | 55 | 0 83 |
| | Total . . | 17 23 |
| V38-C4 | 57 | 3 61 |
| | 56 | 1 17 |
| | 130 | 1 60 |
| | 131 | 1 18 |
| | 132 | 1 26 |
| | 136/1 | 1 00 |
| | 136/2 | 1 08 |
| | 136/3 | 1 67 |
| | 125 | 0 38 |
| | 126 | 0 54 |
| | 127 | 1 55 |
| | 128/1 | 0 86 |
| | 128/2 | 1 00 |
| | 128/3 | 0 96 |
| | 128/4 | 0 85 |
| | 128/5 | 0 51 |
| | Total . . | 19 22 |
| V38-C5 | 211 | 5 29 |
| | 314 | 1 22 |
| | 315 | 1 15 |
| | 316 | 3 25 |
| | 209/1 | 1 20 |
| | 209/2 | 5 50 |
| | 210 | 3 94 |
| | Total . . | 21 55 |
| V38-C6 | 392/1 | 1 09 |
| | 392/2 | 8 33 |
| | 392/3 | 2 80 |
| | 372 | 1 42 |
| | Total . . | 13 64 |
| V38-C7 | 240 | 1 43 |
| | 242 | 1 86 |
| | 243 | 1 78 |
| | 244 | 1 74 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 248 | 3 37 |
| | 250 | 2 90 |
| | 270 | 1 45 |
| | Total . . | 14 53 |
| V38-C8 | 393 | 2 35 |
| | 390/1A | 2 02 |
| | 390/1B | 1 19 |
| | 390/1I | 0 81 |
| | 390/2A | 1 72 |
| | 390/2B | 0 89 |
| | 390/2D | 0 95 |
| | 390/2E | 0 89 |
| | 390/2I | 0 89 |
| | 387 | 7 59 |
| | 309 | 0 |
| | Total . . | 19 30 |
| V38-C9 | 386/1 | 0 81 |
| | 386/2 | 0 83 |
| | 386/3 | 1 58 |
| | 386/4 | 1 59 |
| | 386/5 | 0 81 |
| | 382 | 0 81 |
| | 383 | 0 81 |
| | 384 | 0 81 |
| | 385 | 0 81 |
| | 337 | 5 94 |
| | 388/1 | 2 43 |
| | 288/2 | 2 77 |
| | Total . . | 20 00 |
| V38-C10 | 338/1 | 7 73 |
| | 338/2 | 1 21 |
| | 380/1 | 4 01 |
| | 380/2 | 1 21 |
| | 331 | 5 60 |
| | Total . . | 19 76 |
| V38-C11 | 332 | 1 74 |
| | 333 | 1 92 |
| | 323/1 | 2 43 |
| | 323/2 | 1 19 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 323/3 | 1 60 |
| | 323/4 | 1 60 |
| | 311 | 2 55 |
| | 310 | 3 31 |
| | 312 | 3 10 |
| | Total . . | 19 44 |
| V38-C12 | 321 | 4 91 |
| | 322 | 1 68 |
| | 483/1 | 2 00 |
| | 483/2 | 1 75 |
| | 483/3 | 1 80 |
| | 483/4 | 1 94 |
| | 483/5 | 1 74 |
| | 484 | 1 17 |
| | 485 | 0 81 |
| | 486 | 2 29 |
| | Total . . | 20 09 |
| V38-C13 | 319 | 2 05 |
| | 320 | 1 84 |
| | 318/1 | 1 81 |
| | 318/2 | 1 35 |
| | 521/1 | 1 16 |
| | 521/2 | 1 17 |
| | 521/3 | 1 17 |
| | 635 | 4 32 |
| | 522 | 1 24 |
| | 523 | 1 44 |
| | 524 | 4 60 |
| | Total . . | 22 15 |
| V38-C14 | 488 | 1 36 |
| | 489 | 2 64 |
| | 490 | 0 81 |
| | 491/1 | 1 62 |
| | 491/2 | 1 26 |
| | 491/3 | 2 05 |
| | 491/4 | 6 85 |
| | 492 | 1 84 |
| | 493 | 2 13 |
| | Total . . | 20 56 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V38-C15 | 625 | 2 46 |
| | 626 | 1 57 |
| | 627 | 1 00 |
| | 628 | 2 58 |
| | 629 | 1 60 |
| | 630 | 1 96 |
| | 631 | 1 62 |
| | 632/1 | 0 71 |
| | 632/2 | 0 40 |
| | 633/1 | 2 03 |
| | 633/2 | 2 04 |
| | 526/1 | 0 77 |
| | 526/2 | 0 81 |
| | 526/3 | 0 81 |
| | Total . . | 20 36 |
| V38-C30 | 476/1 | 1 28 |
| | 476/2 | 1 62 |
| | 477 | 1 65 |
| | 478 | 3 10 |
| | 475 | 4 11 |
| | 449 | 0 65 |
| | 455 | 3 17 |
| | 450 | 2 42 |
| | 451 | 1 61 |
| | Total . . | 19 61 |

VILLAGEWISE ABSTRACT

| VILLAGE | GUT NO. | AREA (CCA) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) H. A. |
| Ganori | 171 | 305 96 |
| | TOTAL AREA OF W.U.A. . . | 305 96 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६१.

**कार्यकारी अभियंता, यांजकडून**

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

**अधिसूचना-३**

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणी वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थानाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थाचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समूचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

**अनुसूची-अ**

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**गावांची संख्या**:– २, गणोरी, कालिचेखेडे, तालुका मुर्तिजापूर/ भातकुली, जिल्हा अमरावती,

**अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील**:– चाक संख्या - १६ पाण्याचा वापर स्थापित क्र. ०५

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :–३०७.८ हेक्टर (सीसीए)

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :– डॅब्ल्यू यू ए-०५, गाव गणोरी, कालिचेखेडे, तालुका मुर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

| चक नं. | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही ३७-सी १ | १ | ९ ६६ |
| | २ | २ ४० |

**अनुसूची-अ**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | ३ | ४ ०४ |
| | ४ | १ ६२ |
| | एकूण .. | १७ ७२ |
| व्ही ३७-सी २ | ५/१ | १ ६१ |
| | ५/२ | ५ २१ |
| | ६ | ३ ८१ |
| | ७ | ० ८० |
| | ८ | ० ७७ |
| | ९ | ० ७५ |
| | १० | ० ७२ |
| | ११ | १ १२ |
| | १२ | १ २१ |
| | १३ | १ ६५ |
| | एकूण . . | १७ ६५ |
| व्ही ३७-सी ३ | १५ | ० ८१ |
| | १६ | २ ०२ |
| | १७ | ३ ३२ |
| | १८ | १ २१ |
| | १९ | १ ५७ |
| | २० | १ ६६ |
| | २१ | १ ६२ |
| | २२ | १ ७९ |
| | २३ | ० ८३ |
| | २४/१ | १ ३२ |
| | २४/२ | १ ३३ |
| | २५/१ | १ १९ |
| | २५/२ | २ ०३ |
| | एकूण . . | २० ७० |
| व्ही ३७-सी ४ | २६ | ० ८२ |
| | २७ | १ २० |
| | २८ | ४ ७४ |
| | २९ | ४ २१ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ३० | ० ८७ |
| | ३१ | ० ८३ |
| | ३२ | ० ९१ |
| | ३३ | २ ४५ |
| | ३४ | ० ४६ |
| | ३५ | ० ४० |
| | ३६ | १ १९ |
| | ३७ | ४ ०४ |
| | एकूण . . | २२ १२ |
| व्ही ३८-सी २२ | ५३५ | ३ ६५ |
| | ६२१ | ४ ५८ |
| | ६२२.१ | १ २१ |
| | ६२२.२ | ३ ३७ |
| | ६२३ | ३ ३२ |
| | एकूण . . | १६ १३ |
| व्ही ३८-सी २३ | ६१९ | २ ५६ |
| | ६२०.१ | ० ७१ |
| | ६२०.२ | ० ८२ |
| | ६२०.३ | ० ८६ |
| | ६२०.४ | ० ८६ |
| | ५३६ | २ ०६ |
| | ५३८ | १ १९ |
| | ५४८.१ | १ ३९ |
| | ५४८.२ | १ २२ |
| | ५४८.३ | १ २२ |
| | ५४८.४ | १ २२ |
| | ५४७ | ३ ८४ |
| | एकूण . . | १७ ९५ |
| व्ही ३८-सी २४ | ५६५-१ | ३ ५९ |
| | ५६५-२ | ३ ५७ |
| | ५६५-३ | ३ ५७ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ५६० | १ २१ |
| | ५६१ | १ ६० |
| | ५६२ | १ २२ |
| | ५६३ | ३ १० |
| | ५५९ | २ ०२ |
| | एकूण . . | १९ ८८ |
| व्ही ३८-सी २५ | ५५६.२ | १ २० |
| | ५५६.३ | ० ८२ |
| | ५५७ | ० ८१ |
| | ५५५ | १ ६२ |
| | ५५८ | १ ६६ |
| | ५५३-१ | १ ९८ |
| | ५५४-३ | १ २१ |
| | ५५०.१ | १ २१ |
| | ५५०.२ | २ २८ |
| | ५५०.३ | २ २९ |
| | ५५१ | १ ६७ |
| | ५५२ | १ ८३ |
| | एकूण . . | १८ ५८ |
| व्ही ३८-सी २६ | ५३९ | ० ८१ |
| | ५४०.१ | १ १२ |
| | ५४०.२ | ० ८३ |
| | ५४२ | ३ ६५ |
| | ५४४ | २ ४७ |
| | ५४५ | ० ९० |
| | ५४६ | १ ६० |
| | ५०६.१ | १ ३५ |
| | ५०६.२ | २ ०० |
| | ५०४ | ० ८३ |
| | ५११ | १ ६१ |
| | ५४३ | १ २१ |
| | एकूण . . | १८ ३८ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| व्ही ३८-सी २७ | ५३४ | १ ८७ |
| | ५३३.१ | ० ८१ |
| | ५३३.२ | २ ५७ |
| | ५०८ | १ २७ |
| | ५०९ | १ ०६ |
| | ५१० | ० ८९ |
| | ५१५ | २ ७८ |
| | ५१७ | १ ३३ |
| | ५२० | ४ ११ |
| | ५१२ | १ ७२ |
| | एकूण . . | १८ ४१ |
| व्ही ३८-सी २८ | ५०१ | ३ १९ |
| | ५०२.१ | १ ३६ |
| | ५०२.२ | १ ३६ |
| | ५०२.३ | १ ३६ |
| | ५०२.४ | १ ३७ |
| | ५०३.१ | १ २५ |
| | ५०३.२ | ३ २३ |
| | ४९९.१ | १ २२ |
| | ४९९.२ | १ २१ |
| | ४७२ | १ २१ |
| | ५००.१ | १ ३७ |
| | ५००.२ | १ ३७ |
| | ४६५ | १ ५९ |
| | एकूण . . | २१ ०९ |
| व्ही ३८-सी २९ | ४९४ | १ ७० |
| | ४९५ | १ ५८ |
| | ४९६ | १ १३ |
| | ४९७ | १ ०८ |
| | ४९८ | १ ८० |
| | ४७३ | २ २० |
| | ४७४ | ७ ९७ |
| | एकूण . . | १७ ४६ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| व्ही ३८-सी ३१ | ४३२.१ | ० ९७ |
| | ४३२.२ | ० ९७ |
| | ४३२.३ | १ ६६ |
| | ४३२.४ | १ १६ |
| | ४५९ | १ ३८ |
| | ४६० | १ ३१ |
| | ४५७ | १ ८२ |
| | ४५८.१ | १ २६ |
| | ४५८.२ | १ ४७ |
| | ४५८.३ | ० ८२ |
| | ४५८.४ | ० ५८ |
| | ४५६.१अ | ० ८५ |
| | ४५६.१ब | ० ८४ |
| | ४५६.२अ | ० ८० |
| | ४५६.२ब | १ २० |
| | ४६९ | १ ९२ |
| | ४७० | १ ६० |
| | एकूण . . | २० ६१ |
| व्ही ३८-सी ३२ | ४६१.१ | १ २१ |
| | ४६१.२ | १ ५३ |
| | ४६१.३ | २ ०० |
| | ४६२.१ | १ २१ |
| | ४६२.२ | १ २१ |
| | ४६२.३ | २ ०२ |
| | ४६३.१ | १ ५३ |
| | ४६३.२ | ० ४१ |
| | ४६४ | १ ९० |
| | ४६६.१ | ० ९३ |
| | ४६६.२ | ० ९७ |
| | ४६७.१ | ० ७९ |
| | ४६७.२ | १ ६२ |
| | ४६८ | १ ६२ |
| | ४७१ | ४ ३४ |
| | एकूण . . | २३ २९ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| व्ही ३८-सी ३३ | ४२०.१ | ० ६७ |
| | ४२०.२ | ० ६६ |
| | ४२४.१ | ० ५५ |
| | ४२४.२ | ० ९४ |
| | ४२१ | २ ९८ |
| | ४४०.१ | ० ९८ |
| | ४४०.२ | ० ८१ |
| | ४४१ | १ २३ |
| | ४३३.१ | ० ९५ |
| | ४३३.२ | ० ५० |
| | ४३४ | ४ ८३ |
| | ४४४ | ५ ९१ |
| | एकूण . . | २१ ०१ |
| व्ही ३८-सी ३४ | ४११.१ | ४ ८५ |
| | ४११.२ | २ ७४ |
| | ४११.३ | २ ७३ |
| | ४१२.१ | ३ ६० |
| | ४१२.२ | २ ९० |
| | एकूण . . | १६ ८२ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नं. | क्षेत्र सी.सी.ए. |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| गणोरी | १२८ | २२९ ६१ |
| कालिचेखेडे | ४७ | ७८ १९ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र. . | | ३०७ ८० |

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. १,
अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६२.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION-III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, hereby delineate areas of operation of following WUAs and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUAs shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Gram Panchayat*, Tahsil Offices, Irrigation Section, Sub-Division and Division and at other prominent public places ;

Therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, also hereby declare that, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water through Water User Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act,2005 ;

Any person affected by this notification or part thereof, may, within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file an appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati.

SCHEDULE-'A'

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project

**No. of Village :-** 2, Ganori, Kalichekhede

**Description of area Notified :-** Chack No. 16 of WUA-05

**Total Area of WUA :-** 307.8 Ha. (CCA).

**Name & Address WUA :-** Proposed W.U.A.- 05, Village-Ganori, Kalichekhede Tal.-Murtijapur/Bhatkkuli, Dist.- Amravati.

| Chack No. (1) | Gut No. (2) | Area (3) H. A. |
|---|---|---|
| V 37-C 1 | 1 | 9 66 |
| | 2 | 2 40 |
| | 3 | 4 04 |
| | 4 | 1 62 |
| | Total . . | 17 72 |
| V 37-C 2 | 5/1 | 1 61 |
| | 5/2 | 5 21 |
| | 6 | 3 81 |
| | 7 | 0 80 |
| | 8 | 0 77 |
| | 9 | 0 75 |
| | 10 | 0 72 |
| | 11 | 1 12 |
| | 12 | 1 21 |
| | 13 | 1 65 |
| | Total . . | 17 65 |
| V 37-C 3 | 15 | 0 81 |
| | 16 | 2 02 |
| | 17 | 3 32 |
| | 18 | 1 21 |
| | 19 | 1 57 |
| | 20 | 1 66 |
| | 21 | 1 62 |
| | 22 | 1 79 |
| | 23 | 0 83 |
| | 24/1 | 1 32 |
| | 24/2 | 1 33 |
| | 25/1 | 1 19 |
| | 25/2 | 2 03 |
| | Total . . | 20 70 |
| V 37-C 4 | 26 | 0 82 |
| | 27 | 1 20 |
| | 28 | 4 74 |
| | 29 | 4 21 |
| | 30 | 0 87 |
| | 31 | 0 83 |
| | 32 | 0 91 |
| | 33 | 2 45 |

SCHEDULE—A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 34 | 0 46 |
| | 35 | 0 40 |
| | 36 | 1 19 |
| | 37 | 4 04 |
| | Total . . | 22 12 |
| V 38-C 22 | 535 | 3 65 |
| | 621 | 4 58 |
| | 622.1 | 1 21 |
| | 622.2 | 3 37 |
| | 623 | 3 32 |
| | Total . . | 16 13 |
| V 38-C 23 | 619 | 2 56 |
| | 620.1 | 0 71 |
| | 620.2 | 0 82 |
| | 620.3 | 0 86 |
| | 620.4 | 0 86 |
| | 536 | 2 06 |
| | 538 | 1 19 |
| | 548.1 | 1 39 |
| | 548.2 | 1 22 |
| | 548.3 | 1 22 |
| | 548.4 | 1 22 |
| | 547 | 3 84 |
| | Total . . | 17 95 |
| V 38-C 24 | 565-1 | 3 59 |
| | 565-2 | 3 57 |
| | 565-3 | 3 57 |
| | 560 | 1 21 |
| | 561 | 1 60 |
| | 562 | 1 22 |
| | 563 | 3 10 |
| | 559 | 2 02 |
| | Total . . | 19 88 |
| V 38-C 25 | 556.2 | 1 20 |
| | 556.3 | 0 82 |
| | 557 | 0 81 |
| | 555 | 1 62 |
| | 558 | 1 66 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 553-1 | 1 98 |
| | 554-3 | 1 21 |
| | 550.1 | 1 21 |
| | 550.2 | 2 28 |
| | 550.3 | 2 29 |
| | 551 | 1 67 |
| | 552 | 1 83 |
| | Total . . | 18 58 |
| V 38-C 26 | 539 | 0 81 |
| | 540.1 | 1 12 |
| | 540.2 | 0 83 |
| | 542 | 3 65 |
| | 544 | 2 47 |
| | 545 | 0 90 |
| | 546 | 1 60 |
| | 506.1 | 1 35 |
| | 506.2 | 2 00 |
| | 504 | 0 83 |
| | 511 | 1 61 |
| | 543 | 1 21 |
| | Total . . | 18 38 |
| V 38-C 27 | 534 | 1 87 |
| | 533.1 | 0 81 |
| | 533.2 | 2 57 |
| | 508 | 1 27 |
| | 509 | 1 06 |
| | 510 | 0 89 |
| | 515 | 2 78 |
| | 517 | 1 33 |
| | 520 | 4 11 |
| | 512 | 1 72 |
| | Total . . | 18 41 |
| V 38-C 28 | 501 | 3 19 |
| | 502.1 | 1 36 |
| | 502.2 | 1 36 |
| | 502.3 | 1 36 |
| | 502.4 | 1 37 |
| | 503.1 | 1 25 |
| | 503.2 | 3 23 |
| | 499.1 | 1 22 |
| | 499.2 | 1 21 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 472 | 1 21 |
| | 500.1 | 1 37 |
| | 500.2 | 1 37 |
| | 465 | 1 59 |
| | Total . . | 21 09 |
| V 38-C 29 | 494 | 1 70 |
| | 495 | 1 58 |
| | 496 | 1 13 |
| | 497 | 1 08 |
| | 498 | 1 80 |
| | 473 | 2 20 |
| | 474 | 7 97 |
| | Total . . | 17 46 |
| V 38-C 31 | 432.1 | 0 97 |
| | 432.2 | 0 97 |
| | 432.3 | 1 66 |
| | 432.4 | 1 16 |
| | 459 | 1 38 |
| | 460 | 1 31 |
| | 457 | 1 82 |
| | 458.1 | 1 26 |
| | 458.2 | 1 47 |
| | 458.3 | 0 82 |
| | 458.4 | 0 58 |
| | 456.1A | 0 85 |
| | 456.1B | 0 84 |
| | 456.2A | 0 80 |
| | 456.2B | 1 20 |
| | 469 | 1 92 |
| | 470 | 1 60 |
| | Total . . | 20 61 |
| V 38-C 32 | 461.1 | 1 21 |
| | 461.2 | 1 53 |
| | 461.3 | 2 00 |
| | 462.1 | 1 21 |
| | 462.2 | 1 21 |
| | 462.3 | 2 02 |
| | 463.1 | 1 53 |
| | 463.2 | 0 41 |
| | 464 | 1 90 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 466.1 | 0 93 |
| | 466.2 | 0 97 |
| | 467.1 | 0 79 |
| | 467.2 | 1 62 |
| | 468 | 1 62 |
| | 471 | 4 34 |
| | Total . . | 23 29 |
| V 38-C 33 | 420.1 | 0 67 |
| | 420.2 | 0 66 |
| | 424.1 | 0 55 |
| | 424.2 | 0 94 |
| | 421 | 2 98 |
| | 440.1 | 0 98 |
| | 440.2 | 0 81 |
| | 441 | 1 23 |
| | 433.1 | 0 95 |
| | 433.2 | 0 50 |
| | 434 | 4 83 |
| | 444 | 5 91 |
| | Total . . | 21 01 |
| V 38-C 23 | 411.1 | 4 85 |
| | 411.2 | 2 74 |
| | 411.3 | 2 73 |
| | 412.1 | 3 60 |
| | 412.2 | 2 90 |
| | - | |
| | Total . . | 16 82 |

VILLAGEWISE ABSTRACT

| Village | Gut No. | Area C.C.A. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| Ganori | 128 | 229 61 |
| Kalichekhede | 47 | 78 19 |
| Total Area of W.U.A. . . | | 307 80 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६३.

**कार्यकारी अभियंता, यांजकडून**

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

**अधिसूचना-३**

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणीवापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांनाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

**अनुसूची-अ**

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**गावांची संख्या**:– ३, गणोरी, गणोजादेवी, इब्राहिमपूर, तालुका - मुर्तीजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती

**अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील**:– चाक संख्या - १६ पाण्याचा वापर स्थापित क्र. ०६

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :–३१०.१९ हेक्टर (सीसीए)

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :– डॅब्ल्यू यू ए-०६, गाव गणोरी, गणोजादेवी, इब्राहिमपूर, तालुका - मुर्तीजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती

| चक नं. | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही १३-सी १ | १० | २ ३९ |
| | १२ | १ ५९ |

**अनुसूची-अ**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ११ | २ ०६ |
| | २१ | १ २६ |
| | २२ | ० ४० |
| | २० | २ ०९ |
| | २४ | १ ६६ |
| | २५ | २ ८१ |
| | १३ | १ ५८ |
| | १४ | १ ५० |
| | १६ | ३ २९ |
| | एकूण . . | २० ६३ |
| व्ही १३-सी २ | २८/ए | ० ८१ |
| | २८/बी | १ २० |
| | २९ | ० ८३ |
| | २६ | २ ८६ |
| | २७ | २ ८७ |
| | ३० | ० ४१ |
| | ३१ | ० ८६ |
| | ३२ | १ २२ |
| | ६८ | ० ७६ |
| | ६९ | २ ४७ |
| | ६६ | २ ४५ |
| | एकूण . . | १६ ७४ |
| व्ही १३-सी ३ | ५६ | ७ ७३ |
| | ५७ | ० ३३ |
| | ५८ | २ ०६ |
| | ५९ | ० ९० |
| | ६० | २ २८ |
| | ६१ | १ ७९ |
| | ६२ | ६ ६४ |
| | एकूण . . | २१ ७३ |
| व्ही १३-सी ४ | ८३ | १ २२ |
| | ८४ | १ २२ |
| | ८५ | ८ ९७ |
| | ८६ | ३ ७४ |
| | ८७ | २ ०२ |
| | एकूण . . | १७ १७ |

**अनुसूची-अ**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| व्ही १३-सी ५ | ४२ | ४ ३८ |
| | ४३ | ३ ६४ |
| | ४४ | २ ७९ |
| | ४५ | १ ३२ |
| | ४६ | १ ६६ |
| | ४७ | ३ ६६ |
| | ४८ | १ ४३ |
| | एकूण . . | १८ ८८ |
| व्ही १३-सी ६ | १७ | १ ०५ |
| | ३५ | ० ८२ |
| | ३६ | २ २१ |
| | १८ | ० ५५ |
| | १९ | ० ५५ |
| | ३३/ए | १ ०८ |
| | ३३/बी | १ ०७ |
| | ३४ | ३ ५९ |
| | १५ | २ २६ |
| | ३७ | १ ७३ |
| | ३८ | ४ ३२ |
| | ४० | ० ७४ |
| | ४१ | १ ३५ |
| | ३९ | १ ९२ |
| | एकूण . . | २३ २४ |
| व्ही १३-सी ७ | ४९ | ४ ६५ |
| | ५०/ए | ० ८५ |
| | ५०/बी | ० ८६ |
| | ५१ | १ ७१ |
| | ५२ | १ ७६ |
| | ५३ | ० ७६ |
| | ६३ | ० ८५ |
| | ६४ | ० ७९ |
| | ५४ | ० ४० |
| | ६५ | ८ ४१ |
| | एकूण . . | २१ ०४ |
| व्ही ३८-सी १६ | ५९६-१ | ४ ८० |
| | ५९६.२ | ५ ५५ |

**अनुसूची-अ**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ५९६.३ | ४ ८६ |
| | ५९७ | २ ३० |
| | ५९८ | २ २९ |
| | ३२ | २ ८१ |
| | २९ | १ २४ |
| | ३० | ० ८३ |
| | ३१ | २ ७८ |
| | एकूण . . | २७ ४६ |
| व्ही ३८-सी १७ | ५९९.१ | २ ०२ |
| | ५९९.२ | १ ६३ |
| | ५९९.४ | १ ५२ |
| | ५९१ | ० ४३ |
| | ५९२ | ० ८१ |
| | ५९३ | ० ८१ |
| | ५९४ | १ ४२ |
| | ५९५-१ | २ २० |
| | ५९५.२ए | २ १९ |
| | ५९५.२बी | ० ८१ |
| | ५८८ | १ १७ |
| | ५८९ | १ ०० |
| | ५९० | ० ३६ |
| | ६०० | ० ८० |
| | ६०१.१ | १ २० |
| | ६०१.२ | १ १७ |
| | एकूण . . | १९ ५४ |
| व्ही ३८-सी १८ | ६०६ | ० ८० |
| | ६०७ | ० ८१ |
| | ६०८.१ | ० ८२ |
| | ६०८.२ | ० ८३ |
| | ६०९ | १ ६६ |
| | ६१० | १ ३१ |
| | ६११ | १ ३६ |
| | ६०२ | ० ६२ |
| | ६०३ | ० ५२ |
| | ६०४ | ० ५४ |
| | ६०५ | ० ५५ |
| | ५८७ | ० ९१ |
| | ६१२ | २ ४३ |

**अनुसूची-अ**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ६१३ | २ ०५ |
| | ६१४ | १ ३२ |
| | ६१८ | ३ ३३ |
| | एकूण . . | १९ ८६ |
| व्ही ३८-सी १९ | ५७९ | ४ २६ |
| | ५८०.१ | १ ६५ |
| | ५८०.२ | १ २० |
| | ५८०.३ | १ २० |
| | ५८५ | ५ ८५ |
| | ५८६ | ३ ९६ |
| | एकूण . . | १८ १२ |
| व्ही ३८-सी २० | ५७८.१ | १ २३ |
| | ५७८.२ | ० ८५ |
| | ५७८.३ | ० ८५ |
| | ५७८.४ | १ ०० |
| | ५७८.५ | १ ०० |
| | ५७६ | १ ६४ |
| | ५७७ | १ ६१ |
| | ५७४-१ | १ २५ |
| | ५७४.२ | १ २५ |
| | ५७५ | २ ६० |
| | ५७१ | ० २० |
| | ५७२ | ० १७ |
| | ५७३.१ | १ २१ |
| | ५७३.२ | ० ७२ |
| | एकूण . . | १५ ५८ |
| व्ही ३८-सी २१ | ५८१ | १ ५१ |
| | ५८२ | १ ५९ |
| | ५८३ | १ ५१ |
| | ५८४ | १ ३३ |
| | ६१६ | १ ४४ |
| | ६१७ | ० ८० |
| | ५७० | २ ९४ |
| | ५६६ | १ ५७ |
| | ५६७ | १ ५७ |

**अनुसूची-अ**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ५६८ | १ १७ |
| | ५६९ | १ १८ |
| | ५६४ | ० ३४ |
| | एकूण . . | १६ ९५ |
| व्ही ४१-सी ७ | ५२ | १ १७ |
| | ५३ | १ ३६ |
| | ५४ | १ ४० |
| | ५५ | १ ४२ |
| | ५६ | १ १८ |
| | ५७ | १ ५१ |
| | ५८ | १ ०६ |
| | ५९ | २ ०० |
| | ६० | २ २८ |
| | ६१ | २ २५ |
| | ६२ | १ ४४ |
| | ६३ | १ ०१ |
| | एकूण . . | १८ ०८ |
| व्ही ४१-सी ८ | ४२ | १ ०७ |
| | ४३ | १ १५ |
| | ४४ | १ १५ |
| | ४५ | ८ ५५ |
| | ४६ | २ ०२ |
| | ४७ | १ ६७ |
| | ४८ | २ ५५ |
| | ४९ | १ ०० |
| | ५० | १ ४८ |
| | ५१ | १ १५ |
| | एकूण . . | २१ ७९ |
| व्ही ४१-सी ९ | ६४ | ० ९८ |
| | ६५ | ० ५७ |
| | ६६ | ० ६७ |
| | ६७ | ० ६४ |
| | ६८ | ० ५२ |
| | ६९ | ० ३३ |
| | ७० | २ ४६ |
| | ७१ | ० ६२ |

**अनुसूची-अ**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ७२ | १ २४ |
| | ७३ | १ ३५ |
| | ७४ | ४ ०० |
| | एकूण . . | १३ ३८ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव (१) | गट नं. (२) | क्षेत्र सी.सी.ए. (३) हे. आर |
|---|---|---|
| गणोरी | ७३ | ११७ ५१ |
| गणोजादेवी | ६८ | १३९ ४३ |
| इब्राहिमपूर | ३४ | ५३ २५ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र. . | | ३१० १९ |

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. १,
अमरावती.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६४.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION-III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, hereby delineate areas of operation of following WUAs and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUAs shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Gram Panchayat*, Tahsil Offices, Irrigation Section, Sub-Division and Division and other prominent public places ;

Therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, also hereby declare that, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & that system of supply of water through Water User Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Maharashtra Management Irrigation System by Farmers Act,2005 ;

Any person affected by this notification or part thereof, may within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file and appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in *Government Gazette.*

SCHEDULE-'A'

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka : Bhatkuli, District : Amravati

**Name & Address WUA :-** Proposed W.U.A.- 06, Village-Ganori, Ganojadevi, Ibrahimpur Tal : Murtijapur/Bhatkkuli, Dist. : Amravati

**Total Area of WUA :-** 310.19 Ha. (CCA).

| Chak No. | Gut No. | Area CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V13-C1 | 10 | 2 39 |
| | 12 | 1 59 |
| | 11 | 2 06 |
| | 21 | 1 26 |
| | 22 | 0 40 |
| | 20 | 2 09 |
| | 24 | 1 66 |
| | 25 | 2 81 |
| | 13 | 1 58 |
| | 14 | 1 50 |
| | 16 | 3 29 |
| | Total . . | 20 63 |
| V13-C2 | 28/a | 0 81 |
| | 28/b | 1 20 |
| | 29 | 0 83 |
| | 26 | 2 86 |
| | 27 | 2 87 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 30 | 0 41 |
| | 31 | 0 86 |
| | 32 | 1 22 |
| | 68 | 0 76 |
| | 69 | 2 47 |
| | 66 | 2 45 |
| | Total . . | 16 74 |
| V13-C3 | 56 | 7 73 |
| | 57 | 0 33 |
| | 58 | 2 06 |
| | 59 | 0 90 |
| | 60 | 2 28 |
| | 61 | 1 79 |
| | 62 | 6 64 |
| | Total . . | 21 73 |
| V13-C4 | 83 | 1 22 |
| | 84 | 1 22 |
| | 85 | 8 97 |
| | 86 | 3 74 |
| | 87 | 2 02 |
| | Total . . | 17 17 |
| V13-C5 | 42 | 4 38 |
| | 43 | 3 64 |
| | 44 | 2 79 |
| | 45 | 1 32 |
| | 46 | 1 66 |
| | 47 | 3 66 |
| | 48 | 1 43 |
| | Total . . | 18 88 |
| V13-C6 | 17 | 1 05 |
| | 35 | 0 82 |
| | 36 | 2 21 |
| | 18 | 0 55 |
| | 19 | 0 55 |
| | 33/a | 1 08 |
| | 33/b | 1 07 |
| | 34 | 3 59 |
| | 15 | 2 26 |
| | 37 | 1 73 |
| | 38 | 4 32 |
| | 40 | 0 74 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 41 | 1 35 |
| | 39 | 1 92 |
| | Total . . | 23 24 |
| V13-C7 | 49 | 4 65 |
| | 50/a | 0 85 |
| | 50/b | 0 86 |
| | 51 | 1 71 |
| | 52 | 1 76 |
| | 53 | 0 76 |
| | 63 | 0 85 |
| | 64 | 0 79 |
| | 54 | 0 40 |
| | 65 | 8 41 |
| | Total . . | 21 04 |
| V38-C16 | 596-1 | 4 80 |
| | 596.2 | 5 55 |
| | 596.3 | 4 86 |
| | 597 | 2 30 |
| | 598 | 2 29 |
| | 32 | 2 81 |
| | 29 | 1 24 |
| | 30 | 0 83 |
| | 31 | 2 78 |
| | Total . . | 27 46 |
| V38-C17 | 599.1 | 2 02 |
| | 599.2 | 1 63 |
| | 599.4 | 1 52 |
| | 591 | 0 43 |
| | 592 | 0 81 |
| | 593 | 0 81 |
| | 594 | 1 42 |
| | 595-1 | 2 20 |
| | 595.2A | 2 19 |
| | 595.2B | 0 81 |
| | 588 | 1 17 |
| | 589 | 1 00 |
| | 590 | 0 36 |
| | 600 | 0 80 |
| | 601.1 | 1 20 |
| | 601.2 | 1 17 |
| | Total. . | 19 54 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V38-C18 | 606 | 0 80 |
| | 607 | 0 81 |
| | 608.1 | 0 82 |
| | 608.2 | 0 83 |
| | 609 | 1 66 |
| | 610 | 1 31 |
| | 611 | 1 36 |
| | 602 | 0 62 |
| | 603 | 0 52 |
| | 604 | 0 54 |
| | 605 | 0 55 |
| | 587 | 0 91 |
| | 612 | 2 43 |
| | 613 | 2 05 |
| | 614 | 1 32 |
| | 618 | 3 33 |
| | Total . . | 19 86 |
| V38-C19 | 579 | 4 26 |
| | 580.1 | 1 65 |
| | 580.2 | 1 20 |
| | 580.3 | 1 20 |
| | 585 | 5 85 |
| | 586 | 3 96 |
| | Total . . | 18 12 |
| V38-C20 | 578.1 | 1 23 |
| | 578.2 | 0 85 |
| | 578.3 | 0 85 |
| | 578.4 | 1 00 |
| | 578.5 | 1 00 |
| | 576 | 1 64 |
| | 577 | 1 61 |
| | 574-1 | 1 25 |
| | 574.2 | 1 25 |
| | 575 | 2 60 |
| | 571 | 0 20 |
| | 572 | 0 17 |
| | 573.1 | 1 21 |
| | 573.2 | 0 72 |
| | Total . . | 15 58 |
| V38-C21 | 581 | 1 51 |
| | 582 | 1 59 |
| | 583 | 1 51 |
| | 584 | 1 33 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 616 | 1 44 |
| | 617 | 0 80 |
| | 570 | 2 94 |
| | 566 | 1 57 |
| | 567 | 1 57 |
| | 568 | 1 17 |
| | 569 | 1 18 |
| | 564 | 0 34 |
| | Total . . | 16 95 |
| V41-C7 | 52 | 1 17 |
| | 53 | 1 36 |
| | 54 | 1 40 |
| | 55 | 1 42 |
| | 56 | 1 18 |
| | 57 | 1 51 |
| | 58 | 1 06 |
| | 59 | 2 00 |
| | 60 | 2 28 |
| | 61 | 2 25 |
| | 62 | 1 44 |
| | 63 | 1 01 |
| | Total . . | 18 08 |
| V41-C8 | 42 | 1 07 |
| | 43 | 1 15 |
| | 44 | 1 15 |
| | 45 | 8 55 |
| | 46 | 2 02 |
| | 47 | 1 67 |
| | 48 | 2 55 |
| | 49 | 1 00 |
| | 50 | 1 48 |
| | 51 | 1 15 |
| | Total . . | 21 79 |
| V41-C9 | 64 | 0 98 |
| | 65 | 0 57 |
| | 66 | 0 67 |
| | 67 | 0 64 |
| | 68 | 0 52 |
| | 69 | 0 33 |
| | 70 | 2 46 |
| | 71 | 0 62 |
| | 72 | 1 24 |
| | 73 | 1 35 |
| | 74 | 4 00 |
| | Total . . | 13 38 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

VILLAGEWISE ABSTRACT

| Village (1) | Gut No (2) | Area C.C.A. (3) H. A. |
|---|---|---|
| Ganori | 73 | 117 51 |
| Ganojadevi | 68 | 139 43 |
| Ibrahimpur | 34 | 53 25 |
| Total Area of W.U.A. . . | | 310 19 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६५.

**कार्यकारी अभियंता, यांजकडून**

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

**अधिसूचना-३**

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणीवापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांनाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमिनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

**अनुसूची-'अ'**

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :– डॅब्ल्यू यू ए-०७, गांव इब्राहिमपूर, खरबी, बहाद्दारपूर, गणोरी, तालुका - मुर्तीजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :–३०३.६८ हेक्टर (सीसीए)

| चक नं. | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही ४१-सी १ | ३५-१ | २ ०० |
| | ३५-२ | ० ८१ |
| | ३६ | ३ ७९ |
| | ३८ | ४ ९१ |
| | ३९ | ७ ५१ |
| | ४० | १ ०१ |
| | ४१ | १ ०१ |
| | एकूण . . | २१ ०४ |
| व्ही ४१-सी २ | १९ | ३ १६ |
| | २० | ० ४७ |
| | २१ | ० ८१ |
| | २२ | ० ८० |
| | २३ | २ १५ |
| | २४ | १ ९३ |
| | २५ | २ ०८ |
| | २६ | १ १७ |
| | २७ | १ ६४ |
| | ३४ | ४ ७२ |
| | एकूण . . | १८ ९३ |
| व्ही ४१-सी ३ | १५ | ७ ९७ |
| | १६ | ० ८३ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | १७ | ० ५५ |
| | १८अ | ० ७४ |
| | १८/२ | १ ०८ |
| | १८/३ | ४ २१ |
| | १८/४ | १ ३६ |
| | १३ | ४ ३१ |
| | १४ | १ ६४ |
| | एकूण . . | २२ ६९ |
| व्ही ४१-सी ४ | १४ | ८ ४३ |
| | २९ | २ ०३ |
| | ३१ | ० ८६ |
| | ३२ | २ ३६ |
| | ३३ | २ ४३ |
| | ४ | १ ६२ |
| | ५ | ० ८२ |
| | ३० | १ ०१ |
| | २८ | ४ ७२ |
| | एकूण . . | २४ २८ |
| व्ही ४१-सी ५ | ९ | १ ३५ |
| | १० | १ ३५ |
| | ११ | १ ३५ |
| | १२ | ३ ४३ |
| | १३ | ११ २७ |
| | एकूण . . | १८ ७५ |
| व्ही ४१-सी ६ | २ | ३ १२ |
| | ३ | ४ २४ |
| | ६ | २ ६७ |
| | ७ | १ ३४ |
| | ८ | १ ३५ |
| | एकूण . . | १२ ७२ |
| व्ही ४२-सी १ | ९ | ४ ७२ |
| | १ | १ ०० |
| | २ | १ ०६ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | ३ | ० ५६ |
| | ४ | २ ६८ |
| | ५ | २ ७४ |
| | ६ | १ ५५ |
| | ७ | ० ९१ |
| | एकूण . . | १५ २२ |
| व्ही ४२-सी २ | १० | ८ ७२ |
| | १४ | ३ ६२ |
| | ११ | १ ८६ |
| | १२ | ३ ३९ |
| | १३ | १ ९६ |
| | १५ | २ १२ |
| | एकूण . . | २१ ६७ |
| व्ही ४२-सी ३ | १७ | ० ८२ |
| | ५३ | ० २३ |
| | ८ | १ १५ |
| | १६ | १ ८२ |
| | १८ | ० ७८ |
| | १९ | ० ७१ |
| | २० | ० ६७ |
| | २१ | ० ७१ |
| | २२ | ० ७३ |
| | २३ | १ ७३ |
| | २४ | १ ७२ |
| | २५ | ३ ७५ |
| | ५१ | १ ७५ |
| | ५२ | १ ०२ |
| | एकूण . . | १७ ५९ |
| व्ही ४२-सी ४ | २७ | ३ ६१ |
| | २८ | १ ५७ |
| | २९ | १ १९ |
| | ३० | १ २१ |
| | ३१ | ० ८१ |
| | ३२ | १ ५७ |
| | ३३ | १ ५७ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | ३४ | ० ६५ |
| | ३५ | ० ७९ |
| | ३६ | ० ७९ |
| | ३७ | ० ४० |
| | ३८ | ० ८० |
| | ३९ | ० ४० |
| | एकूण . . | १५ ३६ |
| व्ही ४२-सी ५ | २६ | ० ७५ |
| | ४२ | १ ४१ |
| | ४३ | १ ६२ |
| | ४४ | १ ६२ |
| | ४१ | २ ७१ |
| | ४० | ३ ०४ |
| | ४५ | ७ ३४ |
| | एकूण . . | १८ ४९ |
| व्ही ४२-सी ६ | ४६ | ० ६७ |
| | ४७ | ० ६७ |
| | ४८ | १ ६५ |
| | ४९ | १ ६५ |
| | ५० | १ ०२ |
| | ६९ | ० ८६ |
| | एकूण . . | ६ ५२ |
| व्ही ४२-सी ७ | ५४ | ० ६० |
| | ५५ | १ ०० |
| | ५६ | ० ८५ |
| | ५७ | १ २१ |
| | ५८ | १ २० |
| | ५९ | ३ १३ |
| | एकूण . . | ७ ९९ |
| व्ही ४२-सी ८ | ६५ | ० ८१ |
| | ६६ | ० ८१ |
| | ६७ | २ ४१ |
| | ६८ | २ ४८ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ७० | ३ ६४ |
| | ७१ | ० ८१ |
| | ७२ | २ ०३ |
| | ७३ | ० ८१ |
| | ७४ | ० ८१ |
| | ७५ | ० ८१ |
| | ७६ | १ ४५ |
| | एकूण . . | १६ ८७ |
| व्ही ४२-सी ९ | ६४ | ० ७६ |
| | ६३ | ४ ९१ |
| | ६० | १ ८९ |
| | ६१ | १ ६२ |
| | ६२ | २ ६५ |
| | एकूण . . | ११ ८३ |
| व्ही ४२-सी १० | ७७ | २ ७७ |
| | ७८ | ० ८० |
| | ७९ | १ ८३ |
| | ८० | ० ८१ |
| | ८१ | ० ९१ |
| | ८२ | ० ९३ |
| | ८३ | ० ७७ |
| | ८४ | ० ८२ |
| | ८५ | ० ६० |
| | ८६ | ० ६६ |
| | ८७ | १ ४० |
| | एकूण . . | १२ ३० |
| व्ही ४२-सी ११ | ९१ | १ १८ |
| | ९२ | १ २० |
| | ९३ | १ २२ |
| | ९४-१ | ० ७९ |
| | ९४-२ | ० ७९ |
| | ९४-३ | ० ७९ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ९४-४ | ० ७८ |
| | ९५ | ० ८१ |
| | ९६ | ० ७९ |
| | ९७ | १ ६० |
| | ९८ | ० ७५ |
| | ९९ | ० ७१ |
| | १०० | ० ८१ |
| | एकूण . . | १२ २२ |
| व्ही ४२-सी १२ | १०१ | १ ६३ |
| | १०२ | ० ७४ |
| | १०३ | १ २१ |
| | १०४ | ० ८८ |
| | १०५ | १ २९ |
| | १०६ | २ ४२ |
| | १०७ | १ २३ |
| | १०८ | १ २१ |
| | १०९ | २ ३९ |
| | ११० | ० ३८ |
| | एकूण . . | १३ ३८ |
| व्ही ४३-सी १ | ४ | ० ८१ |
| | ५ | ० ८७ |
| | ६ | १ १५ |
| | ७ | १ १७ |
| | ८ | ० ९० |
| | ९ | २ १० |
| | १० | १ ९२ |
| | ११ | ० ८१ |
| | १२ | १ ३८ |
| | १३-१ | ० ७९ |
| | १३-२ | १ १६ |
| | १४ | २ ७७ |
| | एकूण . . | १५ ८३ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नं. | क्षेत्र सी.सी.ए. |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| इब्राहिमपूर | ४८ | ११२ ४६ |
| खरबी | ११० | १६९ ४४ |
| बहादरपूर | १३ | १५ ८३ |
| गणोरी | २ | ५ ९५ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र. . | | ३०३ ६८ |

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. १,
अमरावती.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६६.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION NO. - III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, hereby delineate areas of operation of following WUAs and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUAs shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Gram Panchayat*, Tahsil Offices, Irrigation Section, Sub-Division and Division and other prominent public places ;

Therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, also hereby declare that, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & that system of supply of water through Water User Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act,2005 ;

Any person affected by this notification or part thereof, may within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file and appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the *Government Gazette.*

SCHEDULE-'A'

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka : Bhatkuli, District : Amravati

**Name & Address of WUA :-** Proposed W.U.A.- 07, Village-Ibrahimpur, Kharbi, Bahhadarpur, Ganori, Tal : Murtijapur/Bhatkkuli, Dist. : Amravati

**Total Area of WUA :-** 303.68 Ha. (CCA).

| Chak No. | Gut No. | Area CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V41-C1 | 35-1 | 2 00 |
| | 35-2 | 0 81 |
| | 36 | 3 79 |
| | 38 | 4 91 |
| | 39 | 7 51 |
| | 40 | 1 01 |
| | 41 | 1 01 |
| | Total . . | 21 04 |
| V41-C2 | 19 | 3 16 |
| | 20 | 0 47 |
| | 21 | 0 81 |
| | 22 | 0 80 |
| | 23 | 2 15 |
| | 24 | 1 93 |
| | 25 | 2 08 |
| | 26 | 1 17 |
| | 27 | 1 64 |
| | 34 | 4 72 |
| | Total . . | 18 93 |
| V41-C3 | 15 | 7 97 |
| | 16 | 0 83 |
| | 17 | 0 55 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 18A | 0 74 |
| | 18/2 | 1 08 |
| | 18/3 | 4 21 |
| | 18/4 | 1 36 |
| | 13 | 4 31 |
| | 14 | 1 64 |
| | Total . . | 22 69 |
| V41-C4 | 14 | 8 43 |
| | 29 | 2 03 |
| | 31 | 0 86 |
| | 32 | 2 36 |
| | 33 | 2 43 |
| | 4 | 1 62 |
| | 5 | 0 82 |
| | 30 | 1 01 |
| | 28 | 4 72 |
| | Total . . | 24 28 |
| V41-C5 | 9 | 1 35 |
| | 10 | 1 35 |
| | 11 | 1 35 |
| | 12 | 3 43 |
| | 13 | 11 27 |
| | Total . . | 18 75 |
| V41-C6 | 2 | 3 12 |
| | 3 | 4 24 |
| | 6 | 2 67 |
| | 7 | 1 34 |
| | 8 | 1 35 |
| | Total . . | 12 72 |
| V42-C1 | 9 | 4 72 |
| | 1 | 1 00 |
| | 2 | 1 06 |
| | 3 | 0 56 |
| | 4 | 2 68 |
| | 5 | 2 74 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 6 | 1 55 |
| | 7 | 0 91 |
| | Total . . | 15 22 |
| V42-C2 | 10 | 8 72 |
| | 14 | 3 62 |
| | 11 | 1 86 |
| | 12 | 3 39 |
| | 13 | 1 96 |
| | 15 | 2 12 |
| | Total . . | 21 67 |
| V42-C3 | 17 | 0 82 |
| | 53 | 0 23 |
| | 8 | 1 15 |
| | 16 | 1 82 |
| | 18 | 0 78 |
| | 19 | 0 71 |
| | 20 | 0 67 |
| | 21 | 0 71 |
| | 22 | 0 73 |
| | 23 | 1 73 |
| | 24 | 1 72 |
| | 25 | 3 75 |
| | 51 | 1 75 |
| | 52 | 1 02 |
| | Total . . | 17 59 |
| V42-C4 | 27 | 3 61 |
| | 28 | 1 57 |
| | 29 | 1 19 |
| | 30 | 1 21 |
| | 31 | 0 81 |
| | 32 | 1 57 |
| | 33 | 1 57 |
| | 34 | 0 65 |
| | 35 | 0 79 |
| | 36 | 0 79 |
| | 37 | 0 40 |
| | 38 | 0 80 |
| | 39 | 0 40 |
| | Total . . | 15 36 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V42-C5 | 26 | 0 75 |
| | 42 | 1 41 |
| | 43 | 1 62 |
| | 44 | 1 62 |
| | 41 | 2 71 |
| | 40 | 3 04 |
| | 45 | 7 34 |
| | Total . . | 18 49 |
| V42-C6 | 46 | 0 67 |
| | 47 | 0 67 |
| | 48 | 1 65 |
| | 49 | 1 65 |
| | 50 | 1 02 |
| | 69 | 0 86 |
| | Total . . | 6 52 |
| V42-C7 | 54 | 0 60 |
| | 55 | 1 00 |
| | 56 | 0 85 |
| | 57 | 1 21 |
| | 58 | 1 20 |
| | 59 | 3 13 |
| | Total . . | 7 99 |
| V42-C8 | 65 | 0 81 |
| | 66 | 0 81 |
| | 67 | 2 41 |
| | 68 | 2 48 |
| | 70 | 3 64 |
| | 71 | 0 81 |
| | 72 | 2 03 |
| | 73 | 0 81 |
| | 74 | 0 81 |
| | 75 | 0 81 |
| | 76 | 1 45 |
| | Total . . | 16 87 |
| V42-C9 | 64 | 0 76 |
| | 63 | 4 91 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 60 | 1 89 |
| | 61 | 1 62 |
| | 62 | 2 65 |
| | Total . . | 11 83 |
| V42-C10 | 77 | 2 77 |
| | 78 | 0 80 |
| | 79 | 1 83 |
| | 80 | 0 81 |
| | 81 | 0 91 |
| | 82 | 0 93 |
| | 83 | 0 77 |
| | 84 | 0 82 |
| | 85 | 0 60 |
| | 86 | 0 66 |
| | 87 | 1 40 |
| | Total . . | 12 30 |
| V42-C11 | 91 | 1 18 |
| | 92 | 1 20 |
| | 93 | 1 22 |
| | 94-1 | 0 79 |
| | 94-2 | 0 79 |
| | 94-3 | 0 79 |
| | 94-4 | 0 78 |
| | 95 | 0 81 |
| | 96 | 0 79 |
| | 97 | 1 60 |
| | 98 | 0 75 |
| | 99 | 0 71 |
| | 100 | 0 81 |
| | Total . . | 12 22 |
| V42-C12 | 101 | 1 63 |
| | 102 | 0 74 |
| | 103 | 1 21 |
| | 104 | 0 88 |
| | 105 | 1 29 |
| | 106 | 2 42 |
| | 107 | 1 23 |
| | 108 | 1 21 |

SCHEDULE–A—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 109 | 2 39 |
| | 110 | 0 38 |
| | Total . . | 13 38 |
| V43-C1 | 4 | 0 81 |
| | 5 | 0 87 |
| | 6 | 1 15 |
| | 7 | 1 17 |
| | 8 | 0 90 |
| | 9 | 2 10 |
| | 10 | 1 92 |
| | 11 | 0 81 |
| | 12 | 1 38 |
| | 13-1 | 0 79 |
| | 13-2 | 1 16 |
| | 14 | 2 77 |
| | Total . . | 15 83 |

VILLAGEWISE ABSTRACT

| Village (1) | Gut No (2) | Area C.C.A. (3) H. A. |
|---|---|---|
| Ibrahimpur | 48 | 112 46 |
| Kharbi | 110 | 169 44 |
| Bahaddarpur | 13 | 15 83 |
| Ganori | 2 | 5 95 |
| Total Area of W.U.A. . . | | 303 68 |

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६७.

**कार्यकारी अभियंता, यांजकडून**

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

**अधिसूचना-३**

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणीवापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांनाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

**अनुसूची-'अ'**

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :– डॅब्ल्यू यू ए-०८, गांव बहादरपूर, तालुका - मुर्तीजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :–३१५.२८ हेक्टर (सीसीए)

| चक नं. (१) | गट नं. (२) | क्षेत्र (३) हे. आर |
|---|---|---|
| व्ही ४३-सी २ | १५ | ० ८२ |
| | १६ | ३ ३७ |
| | १७ | ३ २८ |
| | १८ | २ ४६ |
| | १९ | १ ७० |
| | २० | ० ८६ |
| | २१ | १ ८९ |
| | २२ | ० ८१ |
| | २३ | ० १० |
| | २४ | ० २८ |
| | २५ | ० ८९ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | २६ | १ ६२ |
| | २७ | ० ८१ |
| | २८ | ० ८७ |
| | २९ | ० ८१ |
| | एकूण .. | २० ५७ |
| व्ही ४३-सी ३ | ३३ | २ ०२ |
| | ३४ | ० ८१ |
| | ३५ | १ २१ |
| | ३६ | १ ०१ |
| | ३७ | १ ४० |
| | ३८ | ३ १८ |
| | ३९ | १ ६१ |
| | ४० | १ ६८ |
| | ४१ | १ २४ |
| | ४२ | १ २५ |
| | ४३ | १ ९८ |
| | ४४ | १ ०१ |
| | एकूण .. | १८ ४० |
| व्ही ४३-सी ४ | ३२ | ६ ९६ |
| | ६२ | ३ ०७ |
| | एकूण .. | १० ०३ |
| व्ही ४३-सी ५ | ४६ | १ २० |
| | ४७ | ० ८१ |
| | ४८ | ० ८१ |
| | ४९ | १ २१ |
| | ५० | ० ८१ |
| | ५१ | ० ८१ |
| | ५३ | १ २१ |
| | ५४ | ० ८३ |
| | ५५ | २ २४ |
| | ५२ | ० ८१ |
| | ५६ | १ २७ |
| | ५७ | ० ७७ |
| | ५८ | ० ८१ |
| | ५९ | १ ६२ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ६८ | १ १४ |
| | ६९ | ० ८३ |
| | एकूण .. | १७ १८ |
| व्ही ४३-सी ८ | १२१ | २ ०९ |
| | १२२ | १ ४५ |
| | १२३ | १ ६५ |
| | १२४ | १ ५२ |
| | १२५ | १ २८ |
| | १२६ | २ ०२ |
| | १३४ | १ २१ |
| | १३१ | १ २३ |
| | १३२ | ० ८६ |
| | १३३ | १ १६ |
| | १३५ | ० ६२ |
| | १३६ | ० ९८ |
| | १३७ | ० ९७ |
| | १३८ | ० ७८ |
| | एकूण .. | १७ ८२ |
| व्ही ४३-सी ९ | १३९ | १ ६२ |
| | १४० | ४ ४८ |
| | १४१ | १ ७७ |
| | १४२ | १ ०५ |
| | १४३ | १ ५२ |
| | १४४ | २ ०५ |
| | १४५ | १ ५९ |
| | १४६ | ० ८१ |
| | १४७ | ० ९० |
| | १५७ | १ ६४ |
| | एकूण .. | १७ ४३ |
| व्ही ४३-सी १० | ९८ | १ १८ |
| | ९९ | ० ४१ |
| | १०० | ० ८० |
| | १०१ | १ ४३ |
| | १०२ | ० ८१ |
| | १०३ | १ ६१ |
| | १०४ | १ २१ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | १०५ | ० ८२ |
| | १०६ | ० ८२ |
| | १२७ | ० ८२ |
| | १२८ | १ ५८ |
| | १२९ | २ ३६ |
| | १३० | ० ७९ |
| | १४८ | ० ८१ |
| | १४९ | १ २१ |
| | १५० | ० ७४ |
| | १५१ | ३ ३२ |
| | एकूण .. | २० ७२ |
| व्ही ४३-सी ११ | ९० | ९ ७७ |
| | ९१ | ० ८१ |
| | ९२ | १ ५४ |
| | ९३ | ० ५२ |
| | ९४ | २ ०० |
| | ९५ | १ १५ |
| | ९६ | ० ८६ |
| | ९७ | १ ९८ |
| | एकूण .. | १८ ६३ |
| व्ही ४३-सी १२ | १५२ | ३ ४३ |
| | १५३ | १ २४ |
| | १५४ | २ ४८ |
| | १५५ | १ ६६ |
| | १५६ | २ ७० |
| | १६१ | २ ४७ |
| | १६२ | १ २१ |
| | १६३ | ० ८१ |
| | १६४ | ० ४१ |
| | १६५ | १ २१ |
| | १६६-१ | १ ३६ |
| | १६६-२ | ० ८१ |
| | १६६-३ | ० ८१ |
| | १६७ | १ ३४ |
| | १६८ | ० ८१ |
| | एकूण .. | २२ ७५ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| व्ही ४३-सी १३ | १५९ | १ ६२ |
| | १६० | ५ ९५ |
| | १७२ | २ ४७ |
| | १७३ | २ ०२ |
| | १७४ | २ ०० |
| | १७५ | २ ०१ |
| | एकूण .. | १६ ०७ |
| व्ही ४३-सी १४ | १६९ | १ २४ |
| | १७० | २ ५६ |
| | १७६ | ३ १७ |
| | १७७ | ३ १७ |
| | १७८ | ४ ६४ |
| | २ | ६ १८ |
| | एकूण .. | २० ९६ |
| व्ही ४३-सी १५ | १७९ | ४ १९ |
| | १८० | ५ ४५ |
| | १८१ | ३ ९१ |
| | २४० | १ २१ |
| | २४१ | १ ०१ |
| | २४२ | १ १० |
| | २४३ | ० ४१ |
| | २४४ | १ ७० |
| | एकूण .. | १८ ९८ |
| व्ही ४३-सी १६ | १८७ | १ ६८ |
| | १८८ | १ ६२ |
| | १८९ | १ १९ |
| | २०२ | २ ७५ |
| | १९० | ० ९० |
| | १९१ | १ ६२ |
| | १९२ | १ ६२ |
| | १९३ | १ ६२ |
| | १९४ | १ ६२ |
| | १९५ | १ ६२ |
| | १९६ | १ ६२ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | १९७ | २ ३५ |
| | १९८ | २ ३५ |
| | एकूण .. | २२ ५६ |
| व्ही ४३-सी १७ | १९९ | १ ९६ |
| | २०० | १ ९७ |
| | २०१ | १ ९८ |
| | २०३ | १ ९८ |
| | २०४ | ४ ३५ |
| | २०६ | ४ ६७ |
| | एकूण .. | १६ ९१ |
| व्ही ४३-सी १८ | २१२ | १ ४८ |
| | २१३ | २ २६ |
| | २१४ | ० ७८ |
| | २१५ | १ ९२ |
| | २१० | २ ०६ |
| | २११-१ | १ ०३ |
| | २११-२ | १ ०० |
| | २०७ | १ ४१ |
| | २०८ | ० ८९ |
| | २०९ | ० ४० |
| | २१६ | १ २१ |
| | २१७ | ० ४५ |
| | २१८ | ० ६१ |
| | २१९ | १ ५२ |
| | एकूण .. | १७ ०२ |
| व्ही ४३-सी १९ | १८२ | २ १८ |
| | १८४ | १ ०९ |
| | १८३ | २ १९ |
| | २३७ | १ १५ |
| | २३४ | १ ६२ |
| | २३५ | ० ३२ |
| | २३६ | १ ७८ |
| | २०५ | ० ८१ |

**अनुसूची-अ**–चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | २३२ | १ ४४ |
| | २३३ | ० ८३ |
| | १८५ | ० ८५ |
| | २३९ | ० ६१ |
| | २३८ | १ ८८ |
| | २३१ | ३ १८ |
| | एकूण .. | १९ ९३ |
| व्ही ४३-सी २० | २२० | ३ ०८ |
| | २२१ | ३ ४३ |
| | २२२ | ० ९५ |
| | २२३ | ० ९४ |
| | २२४ | ० ८२ |
| | २२५ | १ २१ |
| | २२६ | ० ४६ |
| | २२७ | १ १८ |
| | २२८ | २ ०० |
| | २२९ | २ ०६ |
| | २३० | ३ १९ |
| | एकूण .. | १९ ३२ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नं. | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| बहाद्दारपूर | २०० | ३१५ २८ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र. . | | ३१५ २८ |

अमरावती :
दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२५.

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम
विभाग क्र. १,
अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६८.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

*NOTIFICATION NO. - III*

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005.

I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, hereby delineate areas of operation of following WUA's and direct that the certified copy of the updated map and list of land holders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned GramPanchayat, Tahsil Offices, Irrigation Section, Sub-Division and Division and other prominent public places ;

Therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No. 1, Amravati, also hereby declare that, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & that system of supply of water through Water User Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act,2005 ;

Any person affected by this notification or part thereof, may, within 30 days from the date of Publication in the *Maharashtra Govt. Gazette*, file an appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati.

SCHEDULE-'A'

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka : Bhatkuli, District : Amravati

**No. of Village :-** 1, Bahhadarpur, Tal : Murtijapur/ Bhatkkuli, Dist. : Amravati

**Description of area Notified :-** Chack No. 17 of WUA-08

**Total Area of WUA :-** 315.28 Ha. (CCA).

**Name & Address WUA :-** Proposed W.U.A.- 08, Village-Bahhadarpur, Tal : Murtijapur/Bhatkkuli, Dist. : Amravati

| Chak No. | Gut No. | Area |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V43-C2 | 15 | 0 82 |
| | 16 | 3 37 |
| | 17 | 3 28 |
| | 18 | 2 46 |
| | 19 | 1 70 |
| | 20 | 0 86 |
| | 21 | 1 89 |
| | 22 | 0 81 |
| | 23 | 0 10 |
| | 24 | 0 28 |
| | 25 | 0 89 |
| | 26 | 1 62 |
| | 27 | 0 81 |
| | 28 | 0 87 |
| | 29 | 0 81 |
| | Total . . | 20 57 |
| V43-C3 | 33 | 2 02 |
| | 34 | 0 81 |
| | 35 | 1 21 |
| | 36 | 1 01 |
| | 37 | 1 40 |
| | 38 | 3 18 |
| | 39 | 1 61 |
| | 40 | 1 68 |
| | 41 | 1 24 |
| | 42 | 1 25 |
| | 43 | 1 98 |
| | 44 | 1 01 |
| | Total . . | 18 40 |
| V43-C4 | 32 | 6 96 |
| | 62 | 3 07 |
| | Total . . | 10 03 |
| V43-C5 | 46 | 1 20 |
| | 47 | 0 81 |
| | 48 | 0 81 |
| | 49 | 1 21 |
| | 50 | 0 81 |
| | 51 | 0 81 |
| | 53 | 1 21 |
| | 54 | 0 83 |
| | 55 | 2 24 |
| | 52 | 0 81 |
| | 56 | 1 27 |
| | 57 | 0 77 |

SCHEDULE-'A'—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 58 | 0 81 |
| | 59 | 1 62 |
| | 68 | 1 14 |
| | 69 | 0 83 |
| | Total . . | 17 18 |
| V43-C8 | 121 | 2 09 |
| | 122 | 1 45 |
| | 123 | 1 65 |
| | 124 | 1 52 |
| | 125 | 1 28 |
| | 126 | 2 02 |
| | 134 | 1 21 |
| | 131 | 1 23 |
| | 132 | 0 86 |
| | 133 | 1 16 |
| | 135 | 0 62 |
| | 136 | 0 98 |
| | 137 | 0 97 |
| | 138 | 0 78 |
| | Total . . | 17 82 |
| V43-C9 | 139 | 1 62 |
| | 140 | 4 48 |
| | 141 | 1 77 |
| | 142 | 1 05 |
| | 143 | 1 52 |
| | 144 | 2 05 |
| | 145 | 1 59 |
| | 146 | 0 81 |
| | 147 | 0 90 |
| | 157 | 1 64 |
| | Total . . | 17 43 |
| V43-C10 | 98 | 1 18 |
| | 99 | 0 41 |
| | 100 | 0 80 |
| | 101 | 1 43 |
| | 102 | 0 81 |
| | 103 | 1 61 |
| | 104 | 1 21 |
| | 105 | 0 82 |
| | 106 | 0 82 |
| | 127 | 0 82 |
| | 128 | 1 58 |
| | 129 | 2 36 |
| | 130 | 0 79 |
| | 148 | 0 81 |

SCHEDULE-'A'—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 149 | 1 21 |
| | 150 | 0 74 |
| | 151 | 3 32 |
| | Total . . | 20 72 |
| V43-C11 | 90 | 9 77 |
| | 91 | 0 81 |
| | 92 | 1 54 |
| | 93 | 0 52 |
| | 94 | 2 00 |
| | 95 | 1 15 |
| | 96 | 0 86 |
| | 97 | 1 98 |
| | Total . . | 18 63 |
| V43-C12 | 152 | 3 43 |
| | 153 | 1 24 |
| | 154 | 2 48 |
| | 155 | 1 66 |
| | 156 | 2 70 |
| | 161 | 2 47 |
| | 162 | 1 21 |
| | 163 | 0 81 |
| | 164 | 0 41 |
| | 165 | 1 21 |
| | 166-1 | 1 36 |
| | 166-2 | 0 81 |
| | 166-3 | 0 81 |
| | 167 | 1 34 |
| | 168 | 0 81 |
| | Total . . | 22 75 |
| V43-C13 | 159 | 1 62 |
| | 160 | 5 95 |
| | 172 | 2 47 |
| | 173 | 2 02 |
| | 174 | 2 00 |
| | 175 | 2 01 |
| | Total . . | 16 07 |
| V43-C14 | 169 | 1 24 |
| | 170 | 2 56 |
| | 176 | 3 17 |
| | 177 | 3 17 |
| | 178 | 4 64 |
| | 2 | 6 18 |
| | Total . . | 20 96 |

SCHEDULE-'A'—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V43-C15 | 179 | 4 19 |
| | 180 | 5 45 |
| | 181 | 3 91 |
| | 240 | 1 21 |
| | 241 | 1 01 |
| | 242 | 1 10 |
| | 243 | 0 41 |
| | 244 | 1 70 |
| | Total . . | 18 98 |
| V43-C16 | 187 | 1 68 |
| | 188 | 1 62 |
| | 189 | 1 19 |
| | 202 | 2 75 |
| | 190 | 0 90 |
| | 191 | 1 62 |
| | 192 | 1 62 |
| | 193 | 1 62 |
| | 194 | 1 62 |
| | 195 | 1 62 |
| | 196 | 1 62 |
| | 197 | 2 35 |
| | 198 | 2 35 |
| | Total . . | 22 56 |
| V43-C17 | 199 | 1 96 |
| | 200 | 1 97 |
| | 201 | 1 98 |
| | 203 | 1 98 |
| | 204 | 4 35 |
| | 206 | 4 67 |
| | Total . . | 16 91 |
| V43-C18 | 212 | 1 48 |
| | 213 | 2 26 |
| | 214 | 0 78 |
| | 215 | 1 92 |
| | 210 | 2 06 |
| | 211-1 | 1 03 |
| | 211-2 | 1 00 |
| | 207 | 1 41 |
| | 208 | 0 89 |
| | 209 | 0 40 |
| | 216 | 1 21 |
| | 217 | 0 45 |
| | 218 | 0 61 |
| | 219 | 1 52 |
| | Total . . | 17 02 |

SCHEDULE-'A'—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V43-C19 | 182 | 2 18 |
| | 184 | 1 09 |
| | 183 | 2 19 |
| | 237 | 1 15 |
| | 234 | 1 62 |
| | 235 | 0 32 |
| | 236 | 1 78 |
| | 205 | 0 81 |
| | 232 | 1 44 |
| | 233 | 0 83 |
| | 185 | 0 85 |
| | 239 | 0 61 |
| | 238 | 1 88 |
| | 231 | 3 18 |
| | Total . . | 19 93 |
| V43-C20 | 220 | 3 08 |
| | 221 | 3 43 |
| | 222 | 0 95 |
| | 223 | 0 94 |
| | 224 | 0 82 |
| | 225 | 1 21 |
| | 226 | 0 46 |
| | 227 | 1 18 |
| | 228 | 2 00 |
| | 229 | 2 06 |
| | 230 | 3 19 |
| | Total . . | 19 32 |

VILLAGEWISE ABSTRACT

| Village (1) | Gut No. (2) | Area C.C.A. (3) H. A. |
|---|---|---|
| Bahaddarpur | 200 | 315 28 |
| Total Area of W.U.A. . . | | 315 28 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २६९

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणि वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांनाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यायावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची-'अ'

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती.

**गावांची संख्या**:– २, बहादरपूर, पेढी, तालुका मुर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र :**--२२४.८७ हेक्टर (सीसीए)

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :– डब्ल्यू यू ए-०९, गांव : बहादरपूर, पेढी, तालुका मुर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

| चक नं. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही ४३-सी ६ | ८४ | ३ ४८ |
| | ८८ | ५ ०० |
| | ८९ | ३ ०१ |

### अनुसूची—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | १०७ | १ १५ |
| | १०८ | १ १६ |
| | ११२ | ० ८१ |
| | ११० | २ ०१ |
| | १०९ | २ ०४ |
| | १११ | ० ८१ |
| | एकूण . . | १९ ४७ |
| व्ही ४३-सी ७ | ११३ | ४ ७९ |
| | ११५ | ४ ५९ |
| | ११६ | १ ६२ |
| | ११७ | १ २१ |
| | ११८ | २ २४ |
| | ११९ | ४ ७९ |
| | १२० | १ २८ |
| | एकूण . . | २० ५२ |
| व्ही ४४-सी १ | १ | ४ ६३ |
| | २१ | १ ३२ |
| | २२ | ० ८६ |
| | ९८ | १ ५४ |
| | ९६ | १ ८७ |
| | ९७ | १ ५५ |
| | १०० | १ १४ |
| | १०१ | ० ५९ |
| | १०२ | १ २३ |
| | १०३ | १ २३ |
| | १०४ | २ ४३ |
| | ९३ | १ ०८ |
| | ९४ | १ ५४ |
| | ९५ | ० ६१ |
| | एकूण . . | २१ ६२ |
| व्ही ४४-सी २ | २ | ० ५३ |
| | ३ | ० ५३ |
| | ४ | ० ५४ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ५ | १ ६२ |
| | ६ | १ ९७ |
| | ७ | ० ८१ |
| | ८ | १ ३१ |
| | ९ | १ १९ |
| | १० | १ २२ |
| | ११ | १ १९ |
| | १२ | ० ७८ |
| | १८ | १ ६२ |
| | १७ | १ ६५ |
| | १९/१ | ० ८३ |
| | १९/२ | १ २१ |
| | २० | १ २१ |
| | ३१ | १ ४६ |
| | ३२ | १ ४५ |
| | एकूण . . | २१ १२ |
| व्ही ४४-सी ३ | १३ | १ ५८ |
| | १४ | ० ७५ |
| | १५ | ० ७९ |
| | १६ | ४ ३९ |
| | ३३ | १ ५८ |
| | ३४ | ० ८६ |
| | ३५ | २ ४४ |
| | ३६ | ४ ८७ |
| | ३७ | ४ ८८ |
| | एकूण . . | २२ १४ |
| व्ही ४४-सी ४ | ३९ | ४ ३२ |
| | ४२ | १ ५७ |
| | ३८ | १ ९७ |
| | ४० | ३ १४ |
| | ४१/१ | १ ६० |
| | ४१/२ | ० ९३ |
| | ४१/३ | ० ८३ |
| | ४४ | २ १९ |
| | ४५ | १ ६२ |
| | ४६ | २ ९० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ४७ | ० ९९ |
| | एकूण . . | २२ ०६ |
| व्ही ४४-सी ५ | ८१ | १ ८० |
| | ८२ | १ ८० |
| | ८३ | १ ०१ |
| | ८४ | १ ०० |
| | ८७ | १ ६० |
| | ८८/१ | ० ७९ |
| | ८८/२ | १ ५९ |
| | ८९ | २ ३८ |
| | ९० | २ ३८ |
| | ९१ | २ ३८ |
| | ९२/१ | १ ७१ |
| | ९२/२ | ० ८२ |
| | एकूण . . | १९ २६ |
| व्ही ४४-सी ६ | २३ | ० ३८ |
| | २५ | १ १८ |
| | २६ | ० ८१ |
| | २७ | ० ७७ |
| | २४ | ३ ३५ |
| | ३० | १ ४५ |
| | २८ | १ ५७ |
| | २९ | १ ४५ |
| | ४३ | ८ ९१ |
| | ५५ | १ ९१ |
| | ५६ | १ ४४ |
| | एकूण . . | २३ २२ |
| व्ही ४४-सी ७ | ८० | १ २० |
| | ७८ | १ २१ |
| | ७९ | १ २१ |
| | ८५ | २ ४३ |
| | ८६ | १ ६२ |
| | ६२ | १ ९९ |
| | ६३ | ० ८१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | ७७/१ | ३ ५६ |
| | ७७/२ | ० ९१ |
| | ७७/३ | १ ६० |
| | एकूण . . | १६ ५४ |
| व्ही ४४-सी ८ | ७३ | १ ६६ |
| | ७४ | १ ४२ |
| | ७२ | २ ४९ |
| | ७१ | २ ०० |
| | ७५ | १ ४२ |
| | ७० | १ ८२ |
| | ७६ | १ ६४ |
| | ६८ | १ ६२ |
| | ६९/१ | १ ७७ |
| | ६९/२ | १ ७८ |
| | एकूण . . | १७ ६२ |
| व्ही ४४-सी ९ | ४९ | १ १८ |
| | ५० | १ ५८ |
| | ५७ | ० ८१ |
| | ५८ | १ ६२ |
| | ५९ | ० ८१ |
| | ६४ | ० ८१ |
| | ६५ | १ ६१ |
| | ६६ | ० ८० |
| | ५१ | ० ७९ |
| | ५२ | १ २१ |
| | ५३ | २ ०२ |
| | ५४ | १ ६५ |
| | ६० | १ ६२ |
| | ६१ | १ ६२ |
| | ६७/१ | १ ५८ |
| | ६७/२ | १ ५९ |
| | एकूण . . | २१ ३० |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| बहादरपूर | १६ | ३९ ९९ |
| पेढी | ११४ | १८४ ८८ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | | २२४ ८७ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती : अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र.- १,
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२५. अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७०

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION-III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act 2005.I,Ganesh Shankar Kathale,Executive Engineer, Amravati Projec Construction Division No 1, Amaravati, hereby delineate the areas of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the upated map and list of land holders and / or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchyat, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub Division and Division and Other prominent public places

Therefore I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amaravati Project Constuction Division No - 1, Amaravati also hereby, declare that no water shall be, supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land and the system of supply of water through Water User's Association shall be binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any person affected by this notification or part thereof may, within 30 days from the date of publication in the Maharastra Govt. Gazette file and appeal before Superintending Engineer,Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the *Government gazette.*

***SCHEDULE - 'A'***

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka: Bhatkuli, District : Amravati

**No. of Village :-** 2, Bahaddarpur, Pedhi, Tal :- Murtijapur/Bhatkkuli, Dist :- Amravati

**Description of area Notified :-** Chack No. :- 11 Of WUA-09.

**Total Area Of W.U.A. :- 224.87 Ha.(CCA).**

**Name & address of W.U.A. :-** Proposed WUA -09

Village - Bahaddarpur, Pedhi, Tal :- Murtijapur / Bhatkkuli, Dist. Amravati.

| Chack No. | Gut No. | Area CCA H. A. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| V 43-C6 | 84 | 3 48 |
| | 88 | 5 00 |
| | 89 | 3 01 |
| | 107 | 1 15 |
| | 108 | 1 16 |
| | 112 | 0 81 |
| | 109 | 2 04 |
| | 110 | 2 01 |
| | 111 | 0 81 |
| | Total . . | 19 47 |
| V 43-C7 | 113 | 4 79 |
| | 115 | 4 59 |
| | 116 | 1 62 |
| | 117 | 1 21 |
| | 118 | 2 24 |
| | 119 | 4 79 |
| | 120 | 1 28 |
| | Total . . | 20 52 |
| V 44-C1 | 1 | 4 63 |
| | 21 | 1 32 |
| | 22 | 0 86 |
| | 98 | 1 54 |
| | 96 | 1 87 |
| | 97 | 1 55 |
| | 100 | 1 14 |
| | 101 | 0 59 |
| | 102 | 1 23 |
| | 103 | 1 23 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 104 | 2 43 |
| | 93 | 1 08 |
| | 94 | 1 54 |
| | 95 | 0 61 |
| | Total . . | 21 62 |
| V44-C2 | 2 | 0 53 |
| | 3 | 0 53 |
| | 4 | 0 54 |
| | 5 | 1 62 |
| | 6 | 1 97 |
| | 7 | 0 81 |
| | 8 | 1 31 |
| | 9 | 1 19 |
| | 10 | 1 22 |
| | 11 | 1 19 |
| | 12 | 0 78 |
| | 18 | 1 62 |
| | 17 | 1 65 |
| | 19/1 | 0 83 |
| | 19/2 | 1 21 |
| | 20 | 1 21 |
| | 31 | 1 46 |
| | 32 | 1 45 |
| | Total . . | 21 12 |
| V44-C3 | 13 | 1 58 |
| | 14 | 0 75 |
| | 15 | 0 79 |
| | 16 | 4 39 |
| | 33 | 1 58 |
| | 34 | 0 86 |
| | 35 | 2 44 |
| | 36 | 4 87 |
| | 37 | 4 88 |
| | Total . . | 22 14 |
| V44-C4 | 39 | 4 32 |
| | 42 | 1 57 |
| | 38 | 1 97 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 40 | 3 14 |
| | 41/1 | 1 60 |
| | 41/2 | 0 93 |
| | 41/3 | 0 83 |
| | 44 | 2 19 |
| | 45 | 1 62 |
| | 46 | 2 90 |
| | 47 | 0 99 |
| | Total . . | 22 06 |
| V44-C5 | 81 | 1 80 |
| | 82 | 1 80 |
| | 83 | 1 01 |
| | 84 | 1 00 |
| | 87 | 1 60 |
| | 88/1 | 0 79 |
| | 88/2 | 1 59 |
| | 89 | 2 38 |
| | 90 | 2 38 |
| | 91 | 2 38 |
| | 92/1 | 1 71 |
| | 92/2 | 0 82 |
| | Total . . | 19 26 |
| V44-C6 | 23 | 0 38 |
| | 25 | 1 18 |
| | 26 | 0 81 |
| | 27 | 0 77 |
| | 24 | 3 35 |
| | 30 | 1 45 |
| | 28 | 1 57 |
| | 29 | 1 45 |
| | 43 | 8 91 |
| | 55 | 1 91 |
| | 56 | 1 44 |
| | Total . . | 23 22 |
| V44-C7 | 80 | 1 20 |
| | 78 | 1 21 |
| | 79 | 1 21 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 85 | 2 43 |
| | 86 | 1 62 |
| | 62 | 1 99 |
| | 63 | 0 81 |
| | 77/1 | 3 56 |
| | 77/2 | 0 91 |
| | 77/3 | 1 60 |
| | Total . . | 16 54 |
| V44-C8 | 73 | 1 66 |
| | 74 | 1 42 |
| | 72 | 2 49 |
| | 71 | 2 00 |
| | 75 | 1 42 |
| | 70 | 1 82 |
| | 76 | 1 64 |
| | 68 | 1 62 |
| | 69/1 | 1 77 |
| | 69/2 | 1 78 |
| | Total . . | 17 62 |
| V44-C9 | 49 | 1 18 |
| | 50 | 1 58 |
| | 57 | 0 81 |
| | 58 | 1 62 |
| | 59 | 0 81 |
| | 64 | 0 81 |
| | 65 | 1 61 |
| | 66 | 0 80 |
| | 51 | 0 79 |
| | 52 | 1 21 |
| | 53 | 2 02 |
| | 54 | 1 65 |
| | 60 | 1 62 |
| | 61 | 1 62 |
| | 67/1 | 1 58 |
| | 67/2 | 1 59 |
| | Total . . | 21 30 |

**Village Wise Abstract**

| Village | Gut No. | Area(CCA) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H.R |
| Bahaddarpur | 16 | 39 99 |
| Pedhi | 114 | 184 88 |
| | Total Area of WUA. . | 224 87 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७१

**कार्यकारी अभियंता, यांजकडून**

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

**अधिसूचना-३**

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणि वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यायावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

**अनुसूची-'अ'**

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती.

**गावांची संख्या**:— २, वासेवाडी, भातकुली, तालुका मुर्तिजापूर/ भातकुली, जिल्हा अमरावती.

**अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील**:— चक संख्या - १८ पाण्याचा वापर स्थापित क्र. १०.

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :—३०९.८३ हेक्टर (सीसीए)

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :— डब्ल्यू यू ए-१०, गांव : वासेवाडी, भातकुली, तालुका मूर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

| चक नं. | गट नंबर | | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| (१) | (२) | | (३) |
| | | | हे. आर |
| व्ही ७-सी १ | ४४ | | ९ ४९ |
| | ४५/१ | | ४ ९३ |
| | ४६ पी | | २ ४३ |
| | | एकूण . . | १६ ८५ |
| व्ही ७-सी २ | ४५/२ | | ४ ९२ |
| | ४६ पी | | २ ४४ |
| | ५३ | | ० ८१ |
| | ५४ | | ० ८० |
| | ५५ | | १ ४४ |
| | ५६/१ | | ८ २१ |
| | | एकूण . . | १८ ६२ |
| व्ही ७-सी ३ | ४२ | | २ २६ |
| | ४३/१ | | ० ४१ |
| | ४३/२ | | १ २१ |
| | ४३/३ | | २ ३२ |
| | ४७ | | ५ ४७ |
| | ४८ | | ० ८१ |
| | ४९ | | ० ८२ |
| | ५१ | | ० ९५ |
| | ५२ | | ० ९४ |
| | ५०/१ | | २ ९१ |
| | ५०/२ | | २ २१ |
| | | एकूण . . | २० ३१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| व्ही ७-सी ४ | ९ | १ २३ |
| | १० | १ ३० |
| | १२ | १ ६९ |
| | १३ | १ २८ |
| | १४ | ० ६३ |
| | ५६/२ | १ ६२ |
| | ९४२ | १ ३० |
| | ९४३ | ० ९१ |
| | ९४४ | ० ९१ |
| | ९४५ | २ २८ |
| | एकूण . . | १३ १५ |
| व्ही ७-सी ५ | १५ | ० ८१ |
| | १६ | ० ४५ |
| | १७ | ० ८१ |
| | १८ | ० ५५ |
| | ३५ | १ ७२ |
| | ३६ | १ ५९ |
| | ३७ | १ ५५ |
| | ३८ | १ ६८ |
| | ३९ | २ ११ |
| | ४० | २ ५५ |
| | एकूण . . | १३ ८२ |
| व्ही ७-सी ६ | १९ | २ ५२ |
| | २० | ० ९१ |
| | २१ | २ ९९ |
| | २३ | १ ९१ |
| | २६ | १ ९७ |
| | ३३ | ४ ९० |
| | ३४/१ | २ ०९ |
| | एकूण . . | १७ २९ |
| व्ही ३३-सी १ | १ | १ ६२ |
| | २ | १ ६२ |
| | ३ | १ ८० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ४ | १ २१ |
| | ५ | ३ १६ |
| | ७६ | १ ५२ |
| | ७७ | ० १९ |
| | ७८ | ० ५६ |
| | ८३ | २ ३२ |
| | ८४ | १ ०२ |
| | ८५ | ० ४० |
| | ८६ | १ २४ |
| | ८७ | १ ६२ |
| | एकूण . . | १८ २८ |
| व्ही ३३-सी २ | ६ | १ ७२ |
| | ७ | १ ७२ |
| | ८ | १ १२ |
| | ९/१ | ० ६२ |
| | १० | १ ०६ |
| | ११ | १ १३ |
| | १२ | ० ३३ |
| | १३ | १ ९० |
| | १४ | २ १५ |
| | १५ | ० ८४ |
| | १६ | ० ६२ |
| | १७ | ६ ३१ |
| | एकूण . . | १९ ५२ |
| व्ही ३३-सी ३ | १८ | ० ७८ |
| | १९ | ० ८१ |
| | २० | २ ०४ |
| | २१ | ३ ९६ |
| | ३० | १ २० |
| | ३१ | ० ८२ |
| | ३२ | ० ९९ |
| | ७० | १ ३४ |
| | ७९ | १ ३४ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ८० | २ ०२ |
| | ८२ | ० ९९ |
| | ८१ | ० ९१ |
| | एकूण .. | १७ २० |
| व्ही ३३-सी ४ | ७१ | ४ ०६ |
| | ७२ | २ ८८ |
| | ७३ | २ ३६ |
| | ७४ | ३ ०६ |
| | ७५/१ | २ २३ |
| | ७५/२ | २ ०२ |
| | ७५/३ | २ ०२ |
| | एकूण .. | १८ ६३ |
| व्ही ३३-सी ५ | ६५ | ८ ८९ |
| | ६७ | ८ १६ |
| | एकूण .. | १७ ०५ |
| व्ही ३३-सी ६ | ६९ | ४ ०५ |
| | ६५ (प) | ३ ०० |
| | ६७ (प) | ३ ०० |
| | ६६ | ४ ८६ |
| | ६८ | २ ३२ |
| | एकूण .. | १७ २३ |
| व्ही ३३-सी ७ | ६२ | ३ ५९ |
| | ६३ | ९ ४७ |
| | ६४ | ३ ३० |
| | एकूण .. | १६ ३६ |
| व्ही ३३-सी ८ | ५६ | ० ८१ |
| | ५७ | ० ८२ |
| | ५८ | ० ८० |
| | ५९ | ४ ७६ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ६० | २ ८१ |
| | ६१ | १ ६० |
| | २५ | ७ ८८ |
| | एकूण .. | १९ ४८ |
| व्ही ३३-सी ९ | २२ | ० ८६ |
| | २३ | ३ ६४ |
| | २४ | ३ २६ |
| | २६ | ३ ४७ |
| | २७ | १ १० |
| | २८ | ० ७७ |
| | २९ | १ ४९ |
| | ३४ | ० ९२ |
| | ३३ | २ ०२ |
| | ३५ | १ ५२ |
| | एकूण .. | १९ ०५ |
| व्ही ३३-सी १० | ३७ | ० ८१ |
| | ३८ | १ ८१ |
| | ३६ | १ २१ |
| | ३९ | १ ७५ |
| | ४० | ० ७९ |
| | ४१ | ५ २१ |
| | ५३ (प) | ३ ४४ |
| | ५४ | १ ६८ |
| | ५५ | १ ६९ |
| | एकूण .. | १८ ३९ |
| व्ही ३३-सी ११ | ४२ | १ १९ |
| | ४३ | १ ६२ |
| | ४४ | १ १८ |
| | ५२ | १ ६४ |
| | ५१ | २ ०५ |
| | ५१ (प) | २ ०० |
| | ५३ (प) | ६ ०० |
| | एकूण .. | १५ ६८ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| व्ही ३३-सी १२ | ४६ | ० ८१ |
| | ४७ | ० ९१ |
| | ४८ | १ ८२ |
| | ४९ | ५ ०१ |
| | ५० | २ ३७ |
| | ५० (प) | २ ०० |
| | एकूण . . | १२ ९२ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| वासेवाडी | ९३ | २०९ ७९ |
| भातकुली | ४७ | १०० ०४ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | | ३०९ ८३ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती : अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र.- १,
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२५. अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७२.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION-III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act 2005.I,Ganesh Shankar Kathale,Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No 1, Amaravati, hereby delineate the areas of Operation of following WUA's and direct that the certified copy of the upated map and list of the land holders and / or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned *Grampanchyat*, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub Division and Division and Other prominent public places.

Therefore I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amaravati Project Construction Division No - 1, Amaravati also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water through Water User's Association shall binding on all the holders and the occupiers of the lands under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act-2005

Any person affected by this notification or part there of may, within 30 days from the date of publication in the Maharastra Govt. Gazette file and appeal before Superintending Engineer,Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the *Government gazette.*

***SCHEDULE - 'A'***

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka: Bhatkuli, District : Amravati.

**No. of Village :-** 2, Wasewadi, Bhatkuli, Tal :- Murtijapur/Bhatkuli, Dist :- Amravati.

**Description of area Notified :-** Chack No. :- 18 Of WUA-10

**Total Area of WUA :-** 309.83 Ha. (CCA).

**Name & address of W.U.A. :-** Proposed WUA -10

Village - Wasewadi, Bhatkuli, Tal :- Murtijapur / Bhatkuli, Dist Amravati.

| Chack No. | Gut No. | Area CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V 7-C 1 | 44 | 9 49 |
| | 45/1 | 4 93 |
| | 46P | 2 43 |
| | Total . . | 16 85 |
| V 7-C 2 | 45/2 | 4 92 |
| | 46P | 2 44 |
| | 53 | 0 81 |
| | 54 | 0 80 |
| | 55 | 1 44 |
| | 56/1 | 8 21 |
| | Total . . | 18 62 |
| V 7-C 3 | 42 | 2 26 |
| | 43/1 | 0 41 |
| | 43/2 | 1 21 |
| | 43/3 | 2 32 |
| | 47 | 5 47 |
| | 48 | 0 81 |
| | 49 | 0 82 |
| | 51 | 0 95 |
| | 52 | 0 94 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 50/1 | 2 91 |
| | 50/2 | 2 21 |
| | Total . . | 20 31 |
| V 7-C 4 | 9 | 1 23 |
| | 10 | 1 30 |
| | 12 | 1 69 |
| | 13 | 1 28 |
| | 14 | 0 63 |
| | 56/2 | 1 62 |
| | 942 | 1 30 |
| | 943 | 0 91 |
| | 944 | 0 91 |
| | 945 | 2 28 |
| | Total . . | 13 15 |
| V 7-C 5 | 15 | 0 81 |
| | 16 | 0 45 |
| | 17 | 0 81 |
| | 18 | 0 55 |
| | 35 | 1 72 |
| | 36 | 1 59 |
| | 37 | 1 55 |
| | 38 | 1 68 |
| | 39 | 2 11 |
| | 40 | 2 55 |
| | Total . . | 13 82 |
| V 7-C 6 | 19 | 2 52 |
| | 20 | 0 91 |
| | 21 | 2 99 |
| | 23 | 1 91 |
| | 26 | 1 97 |
| | 33 | 4 90 |
| | 34/1 | 2 09 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | Total . . | 17 29 |
| V 33-C 1 | 1 | 1 62 |
| | 2 | 1 62 |
| | 3 | 1 80 |
| | 4 | 1 21 |
| | 5 | 3 16 |
| | 76 | 1 52 |
| | 77 | 0 19 |
| | 78 | 0 56 |
| | 83 | 2 32 |
| | 84 | 1 02 |
| | 85 | 0 40 |
| | 86 | 1 24 |
| | 87 | 1 62 |
| | Total . . | 18 28 |
| V 33-C 2 | 6 | 1 72 |
| | 7 | 1 72 |
| | 8 | 1 12 |
| | 9/1 | 0 62 |
| | 10 | 1 06 |
| | 11 | 1 13 |
| | 12 | 0 33 |
| | 13 | 1 90 |
| | 14 | 2 15 |
| | 15 | 0 84 |
| | 16 | 0 62 |
| | 17 | 6 31 |
| | Total . . | 19 52 |
| V 33-C 3 | 18 | 0 78 |
| | 19 | 0 81 |
| | 20 | 2 04 |
| | 21 | 3 96 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 30 | 1 20 |
| | 31 | 0 82 |
| | 32 | 0 99 |
| | 70 | 1 34 |
| | 79 | 1 34 |
| | 80 | 2 02 |
| | 82 | 0 99 |
| | 81 | 0 91 |
| | Total . . | 17 20 |
| V 33-C 4 | 71 | 4 06 |
| | 72 | 2 88 |
| | 73 | 2 36 |
| | 74 | 3 06 |
| | 75/1 | 2 23 |
| | 75/2 | 2 02 |
| | 75/3 | 2 02 |
| | Total . . | 18 63 |
| V 33-C 5 | 65 | 8 89 |
| | 67 | 8 16 |
| | Total . . | 17 05 |
| V 33-C 6 | 69 | 4 05 |
| | 65 (P) | 3 00 |
| | 67 (P) | 3 00 |
| | 66 | 4 86 |
| | 68 | 2 32 |
| | Total . . | 17 23 |
| V 33-C 7 | 62 | 3 59 |
| | 63 | 9 47 |
| | 64 | 3 30 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | Total . . | 16 36 |
| V 33-C 8 | 56 | 0 81 |
| | 57 | 0 82 |
| | 58 | 0 80 |
| | 59 | 4 76 |
| | 60 | 2 81 |
| | 61 | 1 60 |
| | 25 | 7 88 |
| | Total . . | 19 48 |
| V 33-C 9 | 22 | 0 86 |
| | 23 | 3 64 |
| | 24 | 3 26 |
| | 26 | 3 47 |
| | 27 | 1 10 |
| | 28 | 0 77 |
| | 29 | 1 49 |
| | 34 | 0 92 |
| | 33 | 2 02 |
| | 35 | 1 52 |
| | Total . . | 19 05 |
| V 33-C 10 | 37 | 0 81 |
| | 38 | 1 81 |
| | 36 | 1 21 |
| | 39 | 1 75 |
| | 40 | 0 79 |
| | 41 | 5 21 |
| | 53 (P) | 3 44 |
| | 54 | 1 68 |
| | 55 | 1 69 |
| | Total . . | 18 39 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| V 33-C 11 | 42 | 1 19 |
| | 43 | 1 62 |
| | 44 | 1 18 |
| | 52 | 1 64 |
| | 51 | 2 05 |
| | 51 (P) | 2 00 |
| | 53 (P) | 6 00 |
| | Total . . | 15 68 |
| V 33-C 12 | 46 | 0 81 |
| | 47 | 0 91 |
| | 48 | 1 82 |
| | 49 | 5 01 |
| | 50 | 2 37 |
| | 50 (P) | 2 00 |
| | Total . . | 12 92 |

**Village Wise Abstract**

| Village | Gut No. | Area (CCA) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H.A. |
| Wasewadi | 93 | 209 79 |
| Bhatkkuli | 47 | 100 04 |
| | Total Area of WUA. . | 309 83 |

Amravati :
Dated the 5th August,
2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७३

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणि वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांनाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यायावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाचे राजपत्रात झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा : अमरावती.

**गावांची संख्या**:— १, भातकुली, तालुका मुर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा : अमरावती.

**अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील**:— चक संख्या - १७ पाण्याचा वापर स्थापित क्र. ११

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :—३०९.५४ हेक्टर (सीसीए)

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** (प्रस्तावित) :— डब्ल्यू यू ए-११, गांव : भातकुली, तालुका मूर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा : अमरावती.

| चक नं. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही ७-सी ७ | २४ | १ ४६ |
| | २५ | ० ९३ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | २७ | १ ०८ |
| | २८ | ० ९९ |
| | २९ | ० ४० |
| | ३०/१ | ३ ६८ |
| | ३०/२ | २ २८ |
| | ३०/३ | १ २० |
| | ३०/४ | १ ६६ |
| | ३१ | ३ ७४ |
| | ३२ | ५ २१ |
| | एकूण . . | २२ ६३ |
| व्ही ७-सी ८ | ५९७ | १ ६३ |
| | ९१६ | १ २२ |
| | ९१७ | २ ०२ |
| | ९१८ | २ ०२ |
| | ९१९ | ० ९६ |
| | ९२० | ० ९६ |
| | ९२२ | ० ९८ |
| | ९३७ | ० ११ |
| | एकूण . . | ९ ९० |
| व्ही ७-सी ९ | ५७७ | ५ ०१ |
| | ५७९ | ० ८५ |
| | ५७८ | ० ७९ |
| | ५८० | ० ६४ |
| | ५८१ | १ ५० |
| | ५८२ | २ ३९ |
| | ५९८ | ० ७० |
| | ५९९ | ० ४० |
| | ६०१ | २ ४१ |
| | ६०२ | १ ५७ |
| | ६०५ | ३ २७ |
| | ६०६/१ | १ १० |
| | ६०६/२ | १ १० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ६०६/३ | १ ०० |
| | ६०६/४ | १ १० |
| | एकूण . . | २३ ८३ |
| व्ही ७-सी १० | ६२८ | १ ७९ |
| | ६१४ | ० १४ |
| | ६१५ | ० १३ |
| | ६१६ | ० ५२ |
| | ६१७ | ० ६० |
| | ६२७ | ० ३५ |
| | ६३२ | ० ९४ |
| | ६३३ | ० ५५ |
| | ६३४ | १ ५८ |
| | ६२९ | १ ७५ |
| | ६३० | ० ८७ |
| | ६३१ | ० ८१ |
| | ५७१ | २ ८० |
| | ५७२ | २ ७९ |
| | ५७३ | ० ४२ |
| | ५७४ | ० ४२ |
| | ५६८ | १ ५९ |
| | ५६९ | ० ६६ |
| | ५७० | १ ९२ |
| | एकूण . . | २० ६३ |
| व्ही ७-सी ११ | ६३८ | १ ५१ |
| | ६३५ | ० २३ |
| | ६३६ | ० ७६ |
| | ६३७ | ० ८० |
| | ५६५ | १ ०१ |
| | ५६६ | ० ९४ |
| | ५६७ | ० २२ |
| | ४३५ | ० ८३ |
| | ४३६ | ० ५७ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ४३७ | ० ६३ |
| | ४५० | १ ८३ |
| | ४३४ | ० ९२ |
| | ४३९ | १ ०० |
| | ४४० | ० ७८ |
| | ४३३ | ० ७८ |
| | ४४१ | २ ३१ |
| | एकूण . . | १५ १२ |
| व्ही ७-सी १२ | ४२९ | २ ५७ |
| | ४३० | ८ २८ |
| | ४२० | ० ७९ |
| | ४२१ | ० ७५ |
| | ४२२ | ० ८५ |
| | ४२३ | ० ९४ |
| | ४२५ | ० ८० |
| | ४२६ | १ ५३ |
| | एकूण . . | १६ ५१ |
| व्ही ७-सी १३ | ३२१ | ० ३३ |
| | ३२२ | ० ८८ |
| | ३२५ | ० ६६ |
| | ३२६ | ० ४३ |
| | ३३८ | २ ८९ |
| | ३३७ | ० ९८ |
| | ३३९ | ० २१ |
| | ३४० | ० ८५ |
| | ३४१ | १ २२ |
| | ३४२ | १ ५७ |
| | ३४३ | १ ५७ |
| | ३४४ | १ ५७ |
| | ३४५ | १ ५७ |
| | ५८३ | १ ०१ |
| | एकूण . . | १५ ७४ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| व्ही ७-सी १४ | २४४ | १ ३३ |
| | २४५ | ० ६४ |
| | २४६ | १ ३६ |
| | २४७ | ० ६८ |
| | २४८ | ० ६९ |
| | २४९ | २ १० |
| | २५० | ३ १६ |
| | ३१६ | १ ७५ |
| | ३१७ | ० ९८ |
| | ३१८ | ० ४७ |
| | ३१९ | ० ८५ |
| | ३२० | ० ४३ |
| | ३२७ | ० ५० |
| | ३२८ | १ १५ |
| | ३२३ | ० ४७ |
| | ३२४ | ० ५२ |
| | ३२९ | ० ८० |
| | ३३० | ० ६० |
| | ३३१ | ० ०६ |
| | ३३२ | ० १९ |
| | ३३३ | ० २१ |
| | ३३४ | ० ०७ |
| | ३३५ | ० ३३ |
| | ३३६ | ० ३४ |
| | एकूण . . | १९ ६८ |
| व्ही ७-सी १५ | ३१५ | ३ ३९ |
| | ३४६ | ३ ४६ |
| | ३४७ | ० ८१ |
| | ३४८ | २ १७ |
| | ३४९ | २ १७ |
| | ३५० | २ ९७ |
| | ३५१ | ० ५० |
| | ३५२ | ० ५० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ३५५ | १ २५ |
| | ३५३ | ० ६८ |
| | एकूण . . | १७ ९० |
| व्ही ७-सी १६ | ३०६/१ | १ २१ |
| | ३०६/२ | १ ६२ |
| | ३०६/३ | ३ २० |
| | ३०६/४ | १ ६२ |
| | ३०८ | ४ ८६ |
| | ३०९ | १ ७८ |
| | १८८ | १ २३ |
| | ३५४ | २ ३३ |
| | ३५५ | १ २५ |
| | ३५६ | १ ०१ |
| | ३५७ | १ १७ |
| | ३५८ | ० ६३ |
| | ३५९ | ० ५२ |
| | एकूण . . | २२ ४३ |
| व्ही ७-सी १७ | २५१/१ | ३ ६० |
| | २५१/२ | ३ ५९ |
| | २५२ | १ ९६ |
| | २५३ | १ ०८ |
| | २५४ | ० ५८ |
| | २५५ | ० ५८ |
| | २५६ | ० ५८ |
| | २५७ | ० ५८ |
| | २५८ | ० ५८ |
| | २५९ | ० ८३ |
| | २६०/१ | ० ८० |
| | २६०/२ | ० ८० |
| | २६१ | १ २१ |
| | २६२ | १ १७ |
| | २६३ | २ ८० |
| | एकूण . . | २० ७४ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| व्ही ७-सी १८ | २६५ | १ ३० |
| | २६६ | १ ३८ |
| | २६७ | ३ ३४ |
| | २६८ | २ २४ |
| | ३०० | १ २१ |
| | ३०१ | १ ७७ |
| | ३०२ | ० ८१ |
| | ३०३ | ० ८१ |
| | ३६६ | ० ८१ |
| | ३०४ | १ १६ |
| | ३०५ | १ २० |
| | एकूण . . | १६ ०३ |
| व्ही ७-सी १९ | ३६१ | १ २७ |
| | ३६२ | ० ८३ |
| | ३६३ | १ ८० |
| | ३६४ | १ ९५ |
| | ३६७ | ० ९४ |
| | ३६८ | १ ११ |
| | ३६९ | ० ८१ |
| | ३७०/१ | १ २१ |
| | ३७०/२ | ० ८१ |
| | ३७१ | २ ४३ |
| | ३७२ | १ २२ |
| | ३७३ | २ १० |
| | एकूण . . | १६ ४८ |
| व्ही ७-सी २० | ३७४ | २ ५० |
| | ३७५ | २ ४२ |
| | ३७६ | ० ७६ |
| | ३७७ | ० ९३ |
| | ३७८ | १ ७४ |
| | ३७९ | १ ७३ |
| | ३८० | १ ७३ |
| | ३८१ | १ १६ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | ३८२/१ | १ ३५ |
| | ३८२/२ | १ ३६ |
| | २९५ | ६ ४२ |
| | एकूण . . | २२ १० |
| व्ही ७-सी २१ | २६९ | २ ३२ |
| | २७० | २ ०० |
| | २७१ | १ ७३ |
| | २७२ | २ ०१ |
| | २७३ | १ ७१ |
| | २९६ | १ ६५ |
| | २९७ | ० ८१ |
| | २९८/१ | १ २१ |
| | २९८/२ | १ २० |
| | २९९/१ | २ ०३ |
| | २९९/२ | १ ४६ |
| | एकूण . . | १८ १३ |
| व्ही ७-सी २२ | २७४ | २ ४२ |
| | २८७ | ० ९४ |
| | २८८ | २ ११ |
| | २९१ | २ ०२ |
| | २९२ | ० ९२ |
| | २९३ | १ ९१ |
| | २९४ | ५ ४० |
| | एकूण . . | १५ ७२ |
| व्ही ७-सी २४ | २७५ | १ १२ |
| | २७६ | १ ३८ |
| | २७७ | १ ४७ |
| | २७८ | ० १३ |
| | २७९ | १ १७ |
| | २८० | ० ७८ |
| | २८१/१ | २ ४४ |
| | २८१/२ | ० ८१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | २८२ | १ ९९ |
| | २८३ | ० ८६ |
| | २८४/१ | ० ९० |
| | २८४/२ | ० ९० |
| | २८५ | ० ८१ |
| | २८६ | १ २१ |
| | एकूण . . | १५ ९७ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| भातकुली | २१९ | ३०९ ५४ |
| | पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | ३०९ ५४ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती : अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र.- १,
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२५. अमरावती.

---

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७४.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION - NO III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act 2005.I,Ganesh Shankar Kathale,Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No 1, Amaravati, hereby delineate the areas of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the upated map and list of land holders and / or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchyat, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub Division and Division and Other prominent public places.

Therefore I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amaravati Project Constuction Division No - 1, Amaravati also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water

through Water User's Association shall binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any person affected by this notification or part thereof may, within 30 days from the date of publication in the Maharastra Govt. Gazette file and appeal before Superintending Engineer,Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the *Government gazette.*

***SCHEDULE - 'A'***

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka: Bhatkuli, District : Amravati

**Name & address of W.U.A. :-** Proposed WUA -11

Village - Nimba, Bhatkuli, Tal :- Murtijapur /Bhatkuli, Dist Amravati.

**Total Area of WUA Area :-** 309.54 Ha. (CCA).

| Chack No. | Gut No. | Area CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V 7-C 7 | 24 | 1 46 |
| | 25 | 0 93 |
| | 27 | 1 08 |
| | 28 | 0 99 |
| | 29 | 0 40 |
| | 30/1 | 3 68 |
| | 30/2 | 2 28 |
| | 30/3 | 1 20 |
| | 30/4 | 1 66 |
| | 31 | 3 74 |
| | 32 | 5 21 |
| | Total . . | 22 63 |
| V 7-C 8 | 597 | 1 63 |
| | 916 | 1 22 |
| | 917 | 2 02 |
| | 918 | 2 02 |
| | 919 | 0 96 |
| | 920 | 0 96 |
| | 922 | 0 98 |
| | 937 | 0 11 |
| | Total . . | 9 90 |
| V 7-C 9 | 577 | 5 01 |
| | 579 | 0 85 |
| | 578 | 0 79 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| | 580 | 0 64 |
| | 581 | 1 50 |
| | 582 | 2 39 |
| | 598 | 0 70 |
| | 599 | 0 40 |
| | 601 | 2 41 |
| | 602 | 1 57 |
| | 605 | 3 27 |
| | 606/1 | 1 10 |
| | 606/2 | 1 10 |
| | 606/3 | 1 00 |
| | 606/4 | 1 10 |
| | Total . . | 23 83 |
| V 7-C 10 | 628 | 1 79 |
| | 614 | 0 14 |
| | 615 | 0 13 |
| | 616 | 0 52 |
| | 617 | 0 60 |
| | 627 | 0 35 |
| | 632 | 0 94 |
| | 633 | 0 55 |
| | 634 | 1 58 |
| | 629 | 1 75 |
| | 630 | 0 87 |
| | 631 | 0 81 |
| | 571 | 2 80 |
| | 572 | 2 79 |
| | 573 | 0 42 |
| | 574 | 0 42 |
| | 568 | 1 59 |
| | 569 | 0 66 |
| | 570 | 1 92 |
| | Total . . | 20 63 |
| V 7-C 11 | 638 | 1 51 |
| | 635 | 0 23 |
| | 636 | 0 76 |
| | 637 | 0 80 |
| | 565 | 1 01 |
| | 566 | 0 94 |
| | 567 | 0 22 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 435 | 0 83 |
| | 436 | 0 57 |
| | 437 | 0 63 |
| | 450 | 1 83 |
| | 434 | 0 92 |
| | 439 | 1 00 |
| | 440 | 0 78 |
| | 433 | 0 78 |
| | 441 | 2 31 |
| | Total . . | 15 12 |
| V 7-C 12 | 429 | 2 57 |
| | 430 | 8 28 |
| | 420 | 0 79 |
| | 421 | 0 75 |
| | 422 | 0 85 |
| | 423 | 0 94 |
| | 425 | 0 80 |
| | 426 | 1 53 |
| | Total . . | 16 51 |
| V 7-C 13 | 321 | 0 33 |
| | 322 | 0 88 |
| | 325 | 0 66 |
| | 326 | 0 43 |
| | 338 | 2 89 |
| | 337 | 0 98 |
| | 339 | 0 21 |
| | 340 | 0 85 |
| | 341 | 1 22 |
| | 342 | 1 57 |
| | 343 | 1 57 |
| | 344 | 1 57 |
| | 345 | 1 57 |
| | 583 | 1 01 |
| | Total . . | 15 74 |
| V 7-C 14 | 244 | 1 33 |
| | 245 | 0 64 |
| | 246 | 1 36 |
| | 247 | 0 68 |
| | 248 | 0 69 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 249 | 2 10 |
| | 250 | 3 16 |
| | 316 | 1 75 |
| | 317 | 0 98 |
| | 318 | 0 47 |
| | 319 | 0 85 |
| | 320 | 0 43 |
| | 327 | 0 50 |
| | 328 | 1 15 |
| | 323 | 0 47 |
| | 324 | 0 52 |
| | 329 | 0 80 |
| | 330 | 0 60 |
| | 331 | 0 06 |
| | 332 | 0 19 |
| | 333 | 0 21 |
| | 334 | 0 07 |
| | 335 | 0 33 |
| | 336 | 0 34 |
| | Total . . | 19 68 |
| V 7-C 15 | 315 | 3 39 |
| | 346 | 3 46 |
| | 347 | 0 81 |
| | 348 | 2 17 |
| | 349 | 2 17 |
| | 350 | 2 97 |
| | 351 | 0 50 |
| | 352 | 0 50 |
| | 355 | 1 25 |
| | 353 | 0 68 |
| | Total . . | 17 90 |
| V 7-C 16 | 306/1 | 1 21 |
| | 306/2 | 1 62 |
| | 306/3 | 3 20 |
| | 306/4 | 1 62 |
| | 308 | 4 86 |
| | 309 | 1 78 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 188 | 1 23 |
| | 354 | 2 33 |
| | 355 | 1 25 |
| | 356 | 1 01 |
| | 357 | 1 17 |
| | 358 | 0 63 |
| | 359 | 0 52 |
| | Total . . | 22 43 |
| V 7-C 17 | 251/1 | 3 60 |
| | 251/2 | 3 59 |
| | 252 | 1 96 |
| | 253 | 1 08 |
| | 254 | 0 58 |
| | 255 | 0 58 |
| | 256 | 0 58 |
| | 257 | 0 58 |
| | 258 | 0 58 |
| | 259 | 0 83 |
| | 260/1 | 0 80 |
| | 260/2 | 0 80 |
| | 261 | 1 21 |
| | 262 | 1 17 |
| | 263 | 2 80 |
| | Total . . | 20 74 |
| V 7-C 18 | 265 | 1 30 |
| | 266 | 1 38 |
| | 267 | 3 34 |
| | 268 | 2 24 |
| | 300 | 1 21 |
| | 301 | 1 77 |
| | 302 | 0 81 |
| | 303 | 0 81 |
| | 366 | 0 81 |
| | 304 | 1 16 |
| | 305 | 1 20 |
| | Total . . | 16 03 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V 7-C 19 | 361 | 1 27 |
| | 362 | 0 83 |
| | 363 | 1 80 |
| | 364 | 1 95 |
| | 367 | 0 94 |
| | 368 | 1 11 |
| | 369 | 0 81 |
| | 370/1 | 1 21 |
| | 370/2 | 0 81 |
| | 371 | 2 43 |
| | 372 | 1 22 |
| | 373 | 2 10 |
| | Total . . | 16 48 |
| V 7-C 20 | 374 | 2 50 |
| | 375 | 2 42 |
| | 376 | 0 76 |
| | 377 | 0 93 |
| | 378 | 1 74 |
| | 379 | 1 73 |
| | 380 | 1 73 |
| | 381 | 1 16 |
| | 382/1 | 1 35 |
| | 382/2 | 1 36 |
| | 295 | 6 42 |
| | Total . . | 22 10 |
| V 7-C 21 | 269 | 2 32 |
| | 270 | 2 00 |
| | 271 | 1 73 |
| | 272 | 2 01 |
| | 273 | 1 71 |
| | 296 | 1 65 |
| | 297 | 0 81 |
| | 298/1 | 1 21 |
| | 298/2 | 1 20 |
| | 299/1 | 2 03 |
| | 299/2 | 1 46 |
| | Total . . | 18 13 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A. |
| V 7-C 22 | 274 | 2 42 |
| | 287 | 0 94 |
| | 288 | 2 11 |
| | 291 | 2 02 |
| | 292 | 0 92 |
| | 293 | 1 91 |
| | 294 | 5 40 |
| | Total . . | 15 72 |
| V 7-C 24 | 275 | 1 12 |
| | 276 | 1 38 |
| | 277 | 1 47 |
| | 278 | 0 13 |
| | 279 | 1 17 |
| | 280 | 0 78 |
| | 281/1 | 2 44 |
| | 281/2 | 0 81 |
| | 282 | 1 99 |
| | 283 | 0 86 |
| | 284/1 | 0 90 |
| | 284/2 | 0 90 |
| | 285 | 0 81 |
| | 286 | 1 21 |
| | Total . . | 15 97 |

**VillageWise Abstract**

| Village | Gut NO | Area(CCA) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H.R |
| Bhatkuli | 219 | 309 54 |
| | Total Area of WUA. . | 309 54 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७५

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणि वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांनाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :– डब्ल्यू यू ए-१२, गांव : भातकुली, कानफोडी, चाकुर, तालुका मूर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :–२९२.२१ हेक्टर (सीसीए)

| चक नं. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही ७-सी २३ | २८९ | १ २१ |
| | २९० | १ ६४ |
| | ३८५ | १ ७८ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | ३८३ | १ ७३ |
| | ३८७ | १ ७३ |
| | ३८६ | ० ८६ |
| | ४८४ | २ ५६ |
| | ४८५ | २ ५६ |
| | ४८६ | २ २८ |
| | ३९० | १ ०१ |
| | ३९१ | २ १९ |
| | ३९२ | १ ७१ |
| | एकूण . . | २१ २६ |
| व्ही ९-सी १ | १ | १ २३ |
| | २ | ० ५० |
| | ३ | ० ०९ |
| | ५ | ० ०९ |
| | ४ | ० ०९ |
| | ६ | ० १३ |
| | ८ | ० ११ |
| | ९ | ० १८ |
| | १० | ३ ७७ |
| | १२ | ० ४७ |
| | १३ | ० ४५ |
| | १४ | ० ९७ |
| | १५ | १ ३८ |
| | १६ | २ ४४ |
| | १७ | १ १७ |
| | १८ | २ ७९ |
| | १९ | १ ३७ |
| | २० | ० ४० |
| | २१ | ० ८२ |
| | एकूण . . | १८ ४५ |
| व्ही ९-सी २ | २२ | ३ ०४ |
| | २३ | ० १२ |
| | २४ | ० १२ |
| | २५ | ० १२ |
| | २६ | ० १३ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | २७ | ० ५४ |
| | २८ | ० २३ |
| | २९ | ० १८ |
| | ३० | ० १७ |
| | ३१ | ० ६१ |
| | ३२ | ३ ३९ |
| | ३४ | २ ०५ |
| | ३५ | १ ३५ |
| | ३६ | १ ३७ |
| | १४६ | ० ६७ |
| | ३७ | १ ०४ |
| | ३८ | १ ६२ |
| | ३९ | २ ०० |
| | एकूण . . | १८ ७५ |
| व्ही ९-सी ३ | ४० | १ ५७ |
| | ४२ | २ १७ |
| | ४१ | ५ ५९ |
| | ४३ | १ ०१ |
| | ४४ | २ ६७ |
| | ४५ | ० ८३ |
| | ४६ | ० ८१ |
| | ४७/१ | ० ८२ |
| | ४८ | १ २० |
| | ४९ | ० ९२ |
| | ५० | ० ४० |
| | ५१ | ० ४१ |
| | ५२ | ० ५७ |
| | ५३ | ० ४५ |
| | ५४ | ० ९० |
| | ५५ | ० ७७ |
| | ५६ | ० ७८ |
| | एकूण . . | २१ ८७ |
| व्ही ९-सी ४ | ५७ | २ १७ |
| | ५८ | ० ७८ |
| | ६० | २ ०२ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | ६१ | १ २८ |
| | ६२ | २ ९७ |
| | ६३ | ३ ३५ |
| | ६४ | ० ४० |
| | ६९ | ० ८० |
| | ७० | १ ६२ |
| | ७१ | ० ४० |
| | ७२ | ० ८१ |
| | ७३ | १ ६२ |
| | ७४ | ० ८१ |
| | ७५ | १ ६१ |
| | एकूण . . | २० ६४ |
| व्ही ९-सी ५ | ७६ | १ १९ |
| | ७७ | ० ४७ |
| | ७८ | ० ४६ |
| | ७९ | ० ४७ |
| | ८० | ० ४५ |
| | ८१ | ० ३९ |
| | १३० | ४ ८२ |
| | १३१ | ० ३३ |
| | १३२ | २ ३१ |
| | १३३ | २ ३५ |
| | १३४ | १ ७६ |
| | १३८ | १ २८ |
| | १३५ | ० ९३ |
| | १४० | २ २८ |
| | १३७ | १ २१ |
| | एकूण . . | २० ७० |
| व्ही ९-सी ६ | १३९ | ४ ३९ |
| | १४१ | १ ०३ |
| | १४२ | २ २७ |
| | १४३/१ | ० ९१ |
| | १४३/२ | ० ९१ |
| | १४३/३ | ० ९१ |
| | १४४ | ३ ४४ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) हे. आर. |
|---|---|---|
| | १४५ | १ १८ |
| | १४७/१ | २ ०७ |
| | १४७/२ | २ ०० |
| | १४७/३ | १ ३७ |
| | १४७/४ | १ ३७ |
| | एकूण . . | २१ ८५ |
| व्ही १८-सी १ | १ | १ ४७ |
| | | १ २१ |
| | २ | ० ५१ |
| | ३ | ० ८३ |
| | ४ | १ १३ |
| | ५ | ० १३ |
| | ९ | ० १५ |
| | ८ | ० १२ |
| | ११ | १ ३३ |
| | १४ | १ १२ |
| | १५ | ० ६२ |
| | १६ | ० ८५ |
| | १७ | ० ८१ |
| | १८ | ० ७९ |
| | २० | १ २५ |
| | २२३ | ० २० |
| | | ० २० |
| | २२५ | १ ५७ |
| | २२६ | ० ६५ |
| | | ० ६७ |
| | २२७ | ० २२ |
| | २२८ | १ ४९ |
| | २२९ | ० १७ |
| | २३० | ० २१ |
| | एकूण . . | १७ ७० |
| व्ही १८-सी २ | २१ | ९ ४३ |
| | २५ | ० ८१ |
| | | ३ १० |
| | | ० ८१ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | | ३ २० |
| | | १ ५२ |
| | | ० ८१ |
| | | ० ८१ |
| | एकूण . . | २० ४९ |
| व्ही १८-सी ३ | १९ | ३ ६५ |
| | १९-१ | ० ९१ |
| | २२ | १ ५१ |
| | २३ | १ १५ |
| | २३-१ | १ १५ |
| | २४ | १ ६० |
| | २६ | ० ७१ |
| | | ० ४१ |
| | २६-१ | ० ४१ |
| | २७ | ० ८० |
| | २८ | ० ७९ |
| | २९ | ० ८० |
| | ३० | ० ८२ |
| | ३१ | ० ३७ |
| | ३१-१ | ० ४१ |
| | | ० ४० |
| | | ० ८० |
| | ३२ | ० ८४ |
| | | ० ८५ |
| | ३३ | ० ७८ |
| | ३४ | ० ७८ |
| | ३४-१ | ० २० |
| | | ० ५८ |
| | ३४-२ | ० २० |
| | | ० ५९ |
| | १९० | ० ६८ |
| | एकूण . . | २२ १९ |
| व्ही १८-सी ४ | २१० | ३ २६ |
| | २११ | ३ २० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | २१२ | १ ०० |
| | २१३ | ० ८४ |
| | | ० ८४ |
| | २१४ | ० ७४ |
| | २१५ | ० ७९ |
| | २१६ | ० ९१ |
| | २१७ | ० ७१ |
| | २१८ | १ ४८ |
| | २१८-१ | ० ८१ |
| | २१९ | १ ०२ |
| | २२० | १ २८ |
| | २२१ | ० ४६ |
| | २२२ | १ ३६ |
| | एकूण . . | १८ ७० |
| व्ही १८-सी ५ | २०४ | १ ६२ |
| | २०६ | १ ५६ |
| | | ० ८१ |
| | २०७ | ५ ८८ |
| | २०८ | २ ८२ |
| | २०९ | ५ ३७ |
| | एकूण . . | १८ ०६ |
| व्ही १८-सी ६ | १२२-१ | ० ४० |
| | १२२ | ० ३९ |
| | १२३ | १ २२ |
| | १२४ | ० ७० |
| | १६२ | ० ७९ |
| | १६३ | ० ८५ |
| | १६४ | १ ०० |
| | | ० ९५ |
| | १६५ | १ ३६ |
| | १६६ | २ ०० |
| | १६७ | ० ६३ |
| | १६८ | ० ६० |
| | १६९ | ० ८० |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | १७० | १ ७५ |
| | | ० ८१ |
| | १७१ | १ २१ |
| | | ० ८१ |
| | १७२ | १ ३९ |
| | १७२-१ | १ ४४ |
| | १७३ | १ २८ |
| | एकूण . . | २० ३८ |
| व्ही १८-सी ७ | १०६ | ० ९१ |
| | १०७ | ० ८६ |
| | १०८ | १ ५२ |
| | १११ | ० ४० |
| | १०९ | ० ८३ |
| | ११० | ० ७८ |
| | ११४ | ० ८१ |
| | ११५ | ० ७७ |
| | ११२ | १ २५ |
| | ११३ | ० ७८ |
| | ११६ | १ ५१ |
| | ११८ | ० ७५ |
| | | ० ८० |
| | ११९ | ११८ |
| | १२० | १ ४४ |
| | १२१ | १ ९७ |
| | १२१-१ | ० ४१ |
| | १२५ | १ १४ |
| | | ० ८१ |
| | एकूण . . | १८ ९२ |
| व्ही १८-सी ८ | १२८ | ३ ५४ |
| | १२९ | ० ८१ |
| | १३० | ३ ०९ |
| | १३१ | २ ८० |
| | १३२ | २ ०१ |
| | एकूण . . | १२ २५ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| भातकुली | १२ | २१ २६ |
| कानफोडी | १२३ | १४८ ६९ |
| चाकुर | ९५ | १२२ २६ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | | २९२ २१ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र.-१,
अमरावती.

अमरावती :
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२५.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७६.

BY EXECUTIVE ENGINEER

**MMISF ACT, 2005.**

**NOTIFICATION-III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act 2005.I,Ganesh Shankar Kathale,Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No 1, Amaravati, hereby delineate the areas of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the upated map and list of land holders and / or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchyat, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub Division and Division and Other prominent public places.

Therefore I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amaravati Project Constuction Division No - 1, Amaravati also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water through Water User's Association shall be binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management Irrigation System by Farmers Act-2005

Any person affected by this notification or part thereof may, within 30 days from the date of publication in the Maharashtra Govt. Gazette file an appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the *Government gazette.*

*SCHEDULE - 'A'*

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka: Bhatkuli, District : Amravati

**No. of Village :-** 3, Bhatkuli, Kanfodi, Chakur, Tal :- Murtijapur/Bhatkuli, Dist :- Amravati

**Description of area Notified :-** Chack No. :- 15 Of WUA-03, Area - 292.21Ha. (CCA).

**Name & address of W.U.A. :-** Proposed WUA -12

**Village -** Bhatkuli, Kanfodi, Chakur,Tal :- Murtijapur / Bhatkuli, Dist Amravati.

| Chack No. | Gut No. | Area CCA H. A. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| V7-C 23 | 289 | 1 21 |
| | 290 | 1 64 |
| | 385 | 1 78 |
| | 383 | 1 73 |
| | 387 | 1 73 |
| | 386 | 0 86 |
| | 484 | 2 56 |
| | 485 | 2 56 |
| | 486 | 2 28 |
| | 390 | 1 01 |
| | 391 | 2 19 |
| | 392 | 1 71 |
| | Total . . | 21 26 |
| V9-C 1 | 1 | 1 23 |
| | 2 | 0 50 |
| | 3 | 0 09 |
| | 5 | 0 09 |
| | 4 | 0 09 |
| | 6 | 0 13 |
| | 8 | 0 11 |
| | 9 | 0 18 |
| | 10 | 3 77 |
| | 12 | 0 47 |
| | 13 | 0 45 |
| | 14 | 0 97 |
| | 15 | 1 38 |
| | 16 | 2 44 |

SCHEDULE—*Contd.*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 17 | 1 17 |
| | 18 | 2 79 |
| | 19 | 1 37 |
| | 20 | 0 40 |
| | 21 | 0 82 |
| | Total . . | 18 45 |
| V9-C 2 | 22 | 3 04 |
| | 23 | 0 12 |
| | 24 | 0 12 |
| | 25 | 0 12 |
| | 26 | 0 13 |
| | 27 | 0 54 |
| | 28 | 0 23 |
| | 29 | 0 18 |
| | 30 | 0 17 |
| | 31 | 0 61 |
| | 32 | 3 39 |
| | 34 | 2 05 |
| | 35 | 1 35 |
| | 36 | 1 37 |
| | 146 | 0 67 |
| | 37 | 1 04 |
| | 38 | 1 62 |
| | 39 | 2 00 |
| | Total . . | 18 75 |
| V9-C 3 | 40 | 1 57 |
| | 42 | 2 17 |
| | 41 | 5 59 |
| | 43 | 1 01 |
| | 44 | 2 67 |
| | 45 | 0 83 |
| | 46 | 0 81 |
| | 47/1 | 0 82 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 48 | 1 20 |
| | 49 | 0 92 |
| | 50 | 0 40 |
| | 51 | 0 41 |
| | 52 | 0 57 |
| | 53 | 0 45 |
| | 54 | 0 90 |
| | 55 | 0 77 |
| | 56 | 0 78 |
| | Total . . | 21 87 |
| V9-C 4 | 57 | 2 17 |
| | 58 | 0 78 |
| | 60 | 2 02 |
| | 61 | 1 28 |
| | 62 | 2 97 |
| | 63 | 3 35 |
| | 64 | 0 40 |
| | 69 | 0 80 |
| | 70 | 1 62 |
| | 71 | 0 40 |
| | 72 | 0 81 |
| | 73 | 1 62 |
| | 74 | 0 81 |
| | 75 | 1 61 |
| | Total . . | 20 64 |
| V9-C 5 | 76 | 1 19 |
| | 77 | 0 47 |
| | 78 | 0 46 |
| | 79 | 0 47 |
| | 80 | 0 45 |
| | 81 | 0 39 |
| | 130 | 4 82 |
| | 131 | 0 33 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 132 | 2 31 |
| | 133 | 2 35 |
| | 134 | 1 76 |
| | 138 | 1 28 |
| | 135 | 0 93 |
| | 140 | 2 28 |
| | 137 | 1 21 |
| | Total . . | 20 70 |
| V9-C 6 | 139 | 4 39 |
| | 141 | 1 03 |
| | 142 | 2 27 |
| | 143/1 | 0 91 |
| | 143/2 | 0 91 |
| | 143/3 | 0 91 |
| | 144 | 3 44 |
| | 145 | 1 18 |
| | 147/1 | 2 07 |
| | 147/2 | 2 00 |
| | 147/3 | 1 37 |
| | 147/4 | 1 37 |
| | Total . . | 21 85 |
| V18-C 1 | 1 | 1 47 |
| | | 1 21 |
| | 2 | 0 51 |
| | 3 | 0 83 |
| | 4 | 1 13 |
| | 5 | 0 13 |
| | 9 | 0 15 |
| | 8 | 0 12 |
| | 11 | 1 33 |
| | 14 | 1 12 |
| | 15 | 0 62 |
| | 16 | 0 85 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 17 | 0 81 |
| | 18 | 0 79 |
| | 20 | 1 25 |
| | 223 | 0 20 |
| | | 0 20 |
| | 225 | 1 57 |
| | 226 | 0 65 |
| | | 0 67 |
| | 227 | 0 22 |
| | 228 | 1 49 |
| | 229 | 0 17 |
| | 230 | 0 21 |
| | Total . . | 17 70 |
| V18-C 2 | 21 | 9 43 |
| | 25 | 0 81 |
| | | 3 10 |
| | | 0 81 |
| | | 3 20 |
| | | 1 52 |
| | | 0 81 |
| | | 0 81 |
| | Total . . | 20 49 |
| V18-C 3 | 19 | 3 65 |
| | 19-1 | 0 91 |
| | 22 | 1 51 |
| | 23 | 1 15 |
| | 23-1 | 1 15 |
| | 24 | 1 60 |
| | 26 | 0 71 |
| | | 0 41 |
| | 26-1 | 0 41 |
| | 27 | 0 80 |
| | 28 | 0 79 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 29 | 0 80 |
| | 30 | 0 82 |
| | 31 | 0 37 |
| | 31-1 | 0 41 |
| | | 0 40 |
| | 32 | 0 80 |
| | | 0 84 |
| | | 0 85 |
| | 33 | 0 78 |
| | 34 | 0 78 |
| | 34-1 | 0 20 |
| | | 0 58 |
| | 34-2 | 0 20 |
| | | 0 59 |
| | 190 | 0 68 |
| | Total . . | 22 19 |
| V18-C 4 | 210 | 3 26 |
| | 211 | 3 20 |
| | 212 | 1 00 |
| | 213 | 0 84 |
| | | 0 84 |
| | 214 | 0 74 |
| | 215 | 0 79 |
| | 216 | 0 91 |
| | 217 | 0 71 |
| | 218 | 1 48 |
| | 218-1 | 0 81 |
| | 219 | 1 02 |
| | 220 | 1 28 |
| | 221 | 0 46 |
| | 222 | 1 36 |
| | Total . . | 18 70 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| V18-C 5 | 204 | 1 62 |
| | 206 | 1 56 |
| | | 0 81 |
| | 207 | 5 88 |
| | 208 | 2 82 |
| | 209 | 5 37 |
| | Total . . | 18 06 |
| V18-C 6 | 122-1 | 0 40 |
| | 122 | 0 39 |
| | 123 | 1 22 |
| | 124 | 0 70 |
| | 162 | 0 79 |
| | 163 | 0 85 |
| | 164 | 1 00 |
| | | 0 95 |
| | 165 | 1 36 |
| | 166 | 2 00 |
| | 167 | 0 63 |
| | 168 | 0 60 |
| | 169 | 0 80 |
| | 170 | 1 75 |
| | 171 | 0 81 |
| | | 1 21 |
| | | 0 81 |
| | 172 | 1 39 |
| | 172-1 | 1 44 |
| | 173 | 1 28 |
| | Total . . | 20 38 |
| V18-C 7 | 106 | 0 91 |
| | 107 | 0 86 |
| | 108 | 1 52 |
| | 111 | 0 40 |
| | 109 | 0 83 |
| | 110 | 0 78 |
| | 114 | 0 81 |
| | 115 | 0 77 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A. |
|---|---|---|
| | 112 | 1 25 |
| | 113 | 0 78 |
| | 116 | 1 51 |
| | 118 | 0 75 |
| | | 0 80 |
| | 119 | 1 18 |
| | 120 | 1 44 |
| | 121 | 1 97 |
| | 121-1 | 0 41 |
| | 125 | 1 14 |
| | | 0 81 |
| | Total . . | 18 92 |
| V18-C 8 | 128 | 3 54 |
| | 129 | 0 81 |
| | 130 | 3 09 |
| | 131 | 2 80 |
| | 132 | 2 01 |
| | Total . . | 12 25 |

**Village Wise Abstract**

| Village (1) | Gut NO (2) | Area(CCA) (3) H.R |
|---|---|---|
| Bhatkkuli | 12 | 21 26 |
| Kanfodi | 123 | 148 69 |
| Chakur | 95 | 122 26 |
| | Total Area of WUA. . | 292 21 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७७

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

**महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—**

### अधिसूचना-३

क्रमांक-३०९९-तांशा-१-पाणी वापर संस्था-२०२५.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५, ६, ७ व नियम क्र. ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांनाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे.

त्याअर्थी, मी, गणेश शंकर कथले, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस पाणी पुरविले जाणार नाही. आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन शासनाने राजपत्रात झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची

**प्रकल्पाचे नाव**—निम्न पेढी प्रकल्प, तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती

**गावांची संख्या**:— २, कानफोडी, गणोजदेवी, तालुका मुर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती

**अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील**:— चक संख्या - १६ पाण्याचा वापर स्थापित क्र. १३

**पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र** :—३००.५१ हेक्टर (सीसीए)

**पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता** प्रस्तावित :— डब्ल्यू यू ए-१३, गांव : कानफोडी, गणोजदेवी तालुका मूर्तिजापूर/भातकुली, जिल्हा अमरावती.

| चक नं. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| व्ही १३-सी १ | १ अ | १ ५० |
| | १ ब | १ ५६ |
| | १ सी | १ ५६ |
| | २ | १ ५६ |
| | ३ | १ ३३ |
| | ३५७ | १ ६० |
| | ३५८//१ | १ ३३ |
| | ३५९ | ० ७७ |
| | ३६० | ० ९० |
| | ३६१ | ० ६२ |
| | एकूण . . | १२ ७३ |
| व्ही १३-सी २ | ४/१ | ० ८६ |
| | ४/२ | १ ६२ |
| | ५ | १ ५७ |
| | ६ | २ १० |
| | ८ | १ २२ |
| | ७ | ३ १६ |
| | ३५३ | ४ ५८ |
| | ३५४ | १ ६० |
| | ३५५ | ० ८१ |
| | ३५६ | ० ८१ |
| | ३६६ | २ ५९ |
| | एकूण . . | २० ९२ |
| व्ही १३-सी ३ | ३६४ | ० ७६ |
| | ४१३ | २ ५५ |
| | ३६३ | ४ ८० |
| | ४११ | ४ ७९ |
| | ४१२ | ३ १३ |
| | एकूण . . | १६ ०३ |
| व्ही १३-सी १६ | ३८७ | १ ६९ |
| | ४०६ | १ ७५ |
| | ३८९ | १ ८३ |
| | ३९० | १ ५९ |
| | ३९१ | २ ३० |
| | ३९२ | ० ९४ |
| | ४०२ | १ ५८ |
| | ४०३ | १ ३९ |
| | ४०१ | १ ३४ |

**अनुसूची**—चालू

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| | ४०४ | २ ६० |
| | ४०५ | १ ६६ |
| | ३८८ | ३ ३५ |
| | एकूण . . | २२ ०२ |
| व्ही १३-सी १७ | ३१३ | ३ ७४ |
| | ३१४ | ० ८३ |
| | ३१५ | ० ८१ |
| | ३१६ | ० ७६ |
| | ३१७ | ३ १६ |
| | ३१८ | ० ८१ |
| | ३१९ | ० ८१ |
| | ३२० | ३ ३९ |
| | ३७९ | १ १८ |
| | ३८० | १ ५९ |
| | ३८१ | १ ६६ |
| | एकूण . . | १८ ७४ |
| व्ही १३-सी १८ | ४०७ | ७ ६५ |
| | ४०९ | २ ७२ |
| | ४१० | १ ६७ |
| | ३७३ | ० ८१ |
| | ३७४ | १ ६८ |
| | ३८५ | ० ८२ |
| | ४०८ | १ ६२ |
| | एकूण . . | १६ ९७ |
| व्ही १३-सी १९ | ३५२ | ७ १० |
| | ३६८ | ० ६२ |
| | ३६९ | ३ ०८ |
| | ३७० | ३ ०७ |
| | ३७१ | ० ९१ |
| | ३७२ | ३ ३० |
| | एकूण . . | १८ ०८ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| व्ही १३-सी २० | ३४७ | १ २१ |
| | ३४८ | १ ८९ |
| | ३४९ | १ ३५ |
| | ३५० | २ ०२ |
| | ३५१ | २ ३४ |
| | ३७५ | २ ८५ |
| | ३७६ | ६ ०१ |
| | एकूण . . | १७ ६७ |
| व्ही १३-सी २१ | ३३९ | ० ८० |
| | ३४० | ० ८० |
| | ३४१ | ० ८० |
| | ३७७ | २ ०४ |
| | ३७८ | ५ ५१ |
| | ३८२/१ | १ ७९ |
| | ३८२/२ | १ ७६ |
| | ३८६ | १ २४ |
| | ३८३ | १ २१ |
| | ३८४ | १ २२ |
| | एकूण . . | १७ १७ |
| व्ही १३-सी २२ | ३२१ | ४ ३९ |
| | ३२२ | ० ५९ |
| | ३३४ | १ ९१ |
| | ३३५ | ० ७७ |
| | ३३२ | ० ७८ |
| | ३३३ | १ ६७ |
| | ३३६ | १ २१ |
| | ३३७ | ० ८० |
| | ३३८ | ० ८० |
| | ३४२ | २ ०० |
| | ३४३ | ० ८० |
| | ३४४ | १ २१ |
| | ३४५ | १ २१ |
| | ३४६ | ० ९३ |
| | एकूण . . | १९ ०७ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| व्ही १३-सी २३ | ३२३ | १ २७ |
| | ३२४ | ० ८६ |
| | ३२५ | १ ४३ |
| | ३२६ | १ ६१ |
| | ३२८ | ० ७७ |
| | ३२७ | ३ ९९ |
| | ३२९ | ० ६६ |
| | ३३० | १ ६२ |
| | ३३१ | ३ ३६ |
| | २९४ | १ २४ |
| | २९५ | ० ७२ |
| | २९६ | १ ५९ |
| | एकूण . . | १९ १२ |
| व्ही १३-सी २४ | २९३ | ५ ५४ |
| | २९७ | १२ ७३ |
| | एकूण . . | १८ २७ |
| व्ही १३-सी २५ | २७८ | ४ १३ |
| | २८१ | १ ६४ |
| | २८३ | १ ४१ |
| | २८४ | ० ८१ |
| | २८५ | २ २९ |
| | २८६ | १ ८७ |
| | २८७ | १ ६२ |
| | २८८ | १ २१ |
| | २८९ | १ २१ |
| | २९१ | ० ८७ |
| | २९२ | ० ९६ |
| | २९० | २ ७५ |
| | २८२-१ | १ ६० |
| | २८२-२ | १ ६० |
| | २८२-३ | १ ४५ |
| | २८२/४ | ० ८१ |
| | एकूण . . | २६ २३ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| व्ही १३-सी २८ | २७४ | २ ०३ |
| | २७५ | १ ६२ |
| | २६६ | १ ६२ |
| | २६७ | १ ४१ |
| | २६८ | २ ५० |
| | २६९ | १ ६२ |
| | २७१ | ० ४० |
| | २७२ | १ २८ |
| | २४० | ३ ०१ |
| | २९८ | ० ८९ |
| | २९९ | ० ४२ |
| | ३०० | ० ३९ |
| | ३०१ | ० ८० |
| | ३०४ | ० ८४ |
| | ३०५ | १ ७९ |
| | एकूण . . | २० ६२ |
| व्ही १८-सी ९ | १३३ | ० १६ |
| | | १ १६ |
| | १३३-१ | ० ७५ |
| | १३३-२ | ० ७५ |
| | १३५ | १ ५३ |
| | १३६ | ० ७९ |
| | १३७ | १ ८७ |
| | १३८ | ० ९० |
| | | ० ८६ |
| | १३९-१ | ० ८० |
| | १३९-२ | ० ८१ |
| | १३९-३ | १ ०३ |
| | १४० | ० ५२ |
| | | ० ५० |
| | १४१ | ० ८१ |
| | १४२ | १ १७ |
| | १४३ | १ ०१ |
| | १४४ | ० ८१ |
| | १४५ | १ ५९ |
| | १४६ | १ १४ |
| | एकूण . . | १८ ९६ |

**अनुसूची**—चालू

| (१) | (२) | (३) |
|---|---|---|
| | | हे. आर. |
| व्ही १८-सी १० | १४७ | ० ६० |
| | | १ १९ |
| | १४८ | ० ७९ |
| | १४९ | १ ३५ |
| | १५० | ० ८३ |
| | १५१ | ० ९५ |
| | | ० १९ |
| | १५२ | ० ८० |
| | १५३ | १ ५७ |
| | १५४ | ० ७९ |
| | १५५ | १ ८२ |
| | १५७ | १ ०० |
| | १५८ | ० ४७ |
| | | ० ४० |
| | १५९ | ० ८२ |
| | १६० | ० ८० |
| | १५६ | ० ७७ |
| | | ० ७६ |
| | १६१ | १ १० |
| | १६१-१ | ० ९१ |
| | एकूण . . | १७ ९१ |

**गावनिहाय गोषवारा**

| गाव | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| (१) | (२) | (३) |
| | | हे. आर |
| कानफोडी | ४० | ३६ ८७ |
| गणोजदेवी | १३८ | २६३ ६४ |
| पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . | | ३०० ५१ |

**ग. शं. कथले,**
कार्यकारी अभियंता,
अमरावती : अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र.- १,
दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२५. अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २७८.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.

**NOTIFICATION-III**

No. 3099-TB-1-WUA-2025.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User Association (WUAs) on Volumetric basis and as per Administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act 2005. I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amravati Project Construction Division No 1, Amaravati, hereby delineate the areas of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the upated map and list of land holders and / or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchyat, Tahasil Office, Irrigation Section, Sub Division and Division and Other prominent public places.

Therefore, I, Ganesh Shankar Kathale, Executive Engineer, Amaravati Project Constuction Division No - 1, Amaravati also hereby, declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land & the system of supply of water through Water User's Association shall binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management Irrigation System by Farmers Act,2005.

Any person affected by this notification or part thereof may, within 30 days from the date of publication in the Maharastra Govt. Gazette file and appeal before Superintending Engineer, Amravati Irrigation Project Circle, Amravati within 30 days from the date of publication of this notification in the *Government gazette.*

*SCHEDULE - 'A'*

**Name of the Project :-** Lower Pedhi Project, Taluka: Bhatkuli, District : Amravati

**No. of Village :-** 2, Kanfodi, Ganojadevi, Tal :- Murtijapur/Bhatkuli, Dist :- Amravati

**Description of area Notified :-** Chack No. :- 16 Of WUA-13

**Total Area of WUA :-** 300.51 HA. (CCA).

**Name & address of W.U.A. :-** Proposed WUA -13

**Village -** Kanfodi,Ganojadevi, Tal :- Murtijapur / Bhatkuli, Dist Amravati.

| CHACK NO. | GUT NO. | AREA CCA |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H. A. |
| V13-C 1 | 1 A | 1 50 |
| | 1 B | 1 56 |
| | 1 C | 1 56 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A.. |
|---|---|---|
| | 2 | 1 56 |
| | 3 | 1 33 |
| | 357 | 1 60 |
| | 358//1 | 1 33 |
| | 359 | 0 77 |
| | 360 | 0 90 |
| | 361 | 0 62 |
| | Total . . | 12 73 |
| V13-C 2 | 4/1 | 0 86 |
| | 4/2 | 1 62 |
| | 5 | 1 57 |
| | 6 | 2 10 |
| | 8 | 1 22 |
| | 7 | 3 16 |
| | 353 | 4 58 |
| | 354 | 1 60 |
| | 355 | 0 81 |
| | 356 | 0 81 |
| | 366 | 2 59 |
| | Total . . | 20 92 |
| V13-C 3 | 364 | 0 76 |
| | 413 | 2 55 |
| | 363 | 4 80 |
| | 411 | 4 79 |
| | 412 | 3 13 |
| | Total . . | 16 03 |
| V13-C 16 | 387 | 1 69 |
| | 406 | 1 75 |
| | 389 | 1 83 |
| | 390 | 1 59 |
| | 391 | 2 30 |
| | 392 | 0 94 |
| | 402 | 1 58 |
| | 403 | 1 39 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A.. |
|---|---|---|
| | 401 | 1 34 |
| | 404 | 2 60 |
| | 405 | 1 66 |
| | 388 | 3 35 |
| | Total . . | 22 02 |
| V13-C 17 | 313 | 3 74 |
| | 314 | 0 83 |
| | 315 | 0 81 |
| | 316 | 0 76 |
| | 317 | 3 16 |
| | 318 | 0 81 |
| | 319 | 0 81 |
| | 320 | 3 39 |
| | 379 | 1 18 |
| | 380 | 1 59 |
| | 381 | 1 66 |
| | Total . . | 18 74 |
| V13-C 18 | 407 | 7 65 |
| | 409 | 2 72 |
| | 410 | 1 67 |
| | 373 | 0 81 |
| | 374 | 1 68 |
| | 385 | 0 82 |
| | 408 | 1 62 |
| | Total . . | 16 97 |
| V13-C 19 | 352 | 7 10 |
| | 368 | 0 62 |
| | 369 | 3 08 |
| | 370 | 3 07 |
| | 371 | 0 91 |
| | 372 | 3 30 |
| | Total . . | 18 08 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A.. |
|---|---|---|
| V13-C 20 | 347 | 1 21 |
| | 348 | 1 89 |
| | 349 | 1 35 |
| | 350 | 2 02 |
| | 351 | 2 34 |
| | 375 | 2 85 |
| | 376 | 6 01 |
| | Total . . | 17 67 |
| V13-C 21 | 339 | 0 80 |
| | 340 | 0 80 |
| | 341 | 0 80 |
| | 377 | 2 04 |
| | 378 | 5 51 |
| | 382/1 | 1 79 |
| | 382/2 | 1 76 |
| | 386 | 1 24 |
| | 383 | 1 21 |
| | 384 | 1 22 |
| | Total . . | 17 17 |
| V13-C 22 | 321 | 4 39 |
| | 322 | 0 59 |
| | 334 | 1 91 |
| | 335 | 0 77 |
| | 332 | 0 78 |
| | 333 | 1 67 |
| | 336 | 1 21 |
| | 337 | 0 80 |
| | 338 | 0 80 |
| | 342 | 2 00 |
| | 343 | 0 80 |
| | 344 | 1 21 |
| | 345 | 1 21 |
| | 346 | 0 93 |
| | Total . . | 19 07 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) H. A.. |
|---|---|---|
| V13-C 23 | 323 | 1 27 |
| | 324 | 0 86 |
| | 325 | 1 43 |
| | 326 | 1 61 |
| | 328 | 0 77 |
| | 327 | 3 99 |
| | 329 | 0 66 |
| | 330 | 1 62 |
| | 331 | 3 36 |
| | 294 | 1 24 |
| | 295 | 0 72 |
| | 296 | 1 59 |
| | Total . . | 19 12 |
| V13-C 24 | 293 | 5 54 |
| | 297 | 12 73 |
| | Total . . | 18 27 |
| V13-C 25 | 278 | 4 13 |
| | 281 | 1 64 |
| | 283 | 1 41 |
| | 284 | 0 81 |
| | 285 | 2 29 |
| | 286 | 1 87 |
| | 287 | 1 62 |
| | 288 | 1 21 |
| | 289 | 1 21 |
| | 291 | 0 87 |
| | 292 | 0 96 |
| | 290 | 2 75 |
| | 282-1 | 1 60 |
| | 282-2 | 1 60 |
| | 282-3 | 1 45 |
| | 282/4 | 0 81 |
| | Total . . | 26 23 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A.. |
| V13-C 28 | 274 | 2 03 |
| | 275 | 1 62 |
| | 266 | 1 62 |
| | 267 | 1 41 |
| | 268 | 2 50 |
| | 269 | 1 62 |
| | 271 | 0 40 |
| | 272 | 1 28 |
| | 240 | 3 01 |
| | 298 | 0 89 |
| | 299 | 0 42 |
| | 300 | 0 39 |
| | 301 | 0 80 |
| | 304 | 0 84 |
| | 305 | 1 79 |
| | Total . . | 20 62 |
| V18-C 9 | 133 | 0 16 |
| | | 1 16 |
| | 133-1 | 0 75 |
| | 133-2 | 0 75 |
| | 135 | 1 53 |
| | 136 | 0 79 |
| | 137 | 1 87 |
| | 138 | 0 90 |
| | | 0 86 |
| | 139-1 | 0 80 |
| | 139-2 | 0 81 |
| | 139-3 | 1 03 |
| | 140 | 0 52 |
| | | 0 50 |
| | 141 | 0 81 |
| | 142 | 1 17 |
| | 143 | 1 01 |
| | 144 | 0 81 |
| | 145 | 1 59 |
| | 146 | 1 14 |
| | Total . . | 18 96 |

SCHEDULE—*Contd*

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | H. A.. |
| V18-C 10 | 147 | 0 60 |
| | | 1 19 |
| | 148 | 0 79 |
| | 149 | 1 35 |
| | 150 | 0 83 |
| | 151 | 0 95 |
| | | 0 19 |
| | 152 | 0 80 |
| | 153 | 1 57 |
| | 154 | 0 79 |
| | 155 | 1 82 |
| | 157 | 1 00 |
| | 158 | 0 47 |
| | | 0 40 |
| | 159 | 0 82 |
| | 160 | 0 80 |
| | 156 | 0 77 |
| | | 0 76 |
| | 161 | 1 10 |
| | 161-1 | 0 91 |
| | Total . . | 17 91 |

**Village Wise Abstract**

| Village | Gut NO | Area(CCA) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | H.A |
| Kanfodi | 40 | 36 87 |
| Ganojadevi | 138 | 263 64 |
| | Total Area of WUA. . | 300 51 |

Amravati :
Dated the 5th August, 2025.

G. S. KATHALE,
Executive Engineer,
Amravati Project
Construction Division No-1,
Amravati.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.